खण्ड-340, अंक-6
गुरूवार, 17 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(7 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	731–734
नव निर्वाचित सदस्या, श्रीमती प्रेमवती द्वारा शपथ ग्रहण.	..		734
प्रश्नोत्तर	..		735–770
नव-निर्वाचित सदस्य, चौधरी नौनिहाल सिंह द्वारा शपथ ग्रहण.	.		771
बस्ती जिले के निर्वाचन क्षेत्र पूरब बस्ती के ग्राम परेवा में अग्नि-कांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..			771
कानपुर के जाजमऊ चौकी के इंचार्ज द्वारा फर्रुखाबाद निवासी श्री जाहिद उर्फ मुन्ना की पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	..		771–772
बाराबंकी जिले के निन्दूरा ब्लाक में गाँव-सभा समरदा के पास रेगुलेटर द्वारा शारदा सहायक का पानी कल्याणी में डालने से बाढ़ की समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	..		772–773
ग्राम-सभा खजूरडीह, जिला फैजाबाद में खादूयान्न योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों में हरिजनों की भूमि के प्रयोग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	..		773–774
लखनऊ में राजकीय परिवहन निगम के चालकों, परिचालकों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	..		774
फैजाबाद जनपद में बिजली कर्मचारियों द्वारा की जा रही धांधली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना...	..		774
सीतापुर जिले के महमूदाबाद कस्बे में कर्मचारियों की उदासीनता से गन्दगी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना...	..		775
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ कर) विधेयक, 1979 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)			775
जनपद कानपुर के अन्तर्गत चौराहे में निकाली जा रही बालू व मौरंग से रेल की पटरी तथा सड़क धंसने का खतरा तथा आवागमन अवरुद्ध होने की आशंका के संबंध में वक्तव्य..	..		775–776

विषय	पृष्ठ संख्या
आगरा जनपद में रिक्शा चालक श्री शंकर बाल्मीकि को पुलिस कर्मचारियों द्वारा जिन्दा जला देने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य.. ..	776–778
31 मई, 1979 को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य.. ..	778–779
17 मई, 1979 को लघु सिंचाई मन्त्री श्री ख्यालीराम शास्त्री द्वारा लगाये गये आरोपों पर श्री हरगोबिन्द सिंह का स्पष्टीकरण ..	780–788
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979	788
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं.. ..	789–791
1979–80 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 12–परिवहन विभाग, अनुदान संख्या 108–परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या—127—परिवहन विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत).. ..	791–831
1979–80 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 85 का– न्याय विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	832–855
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं.. ..	855
प्रदेश में नहरों वाले क्षेत्रों में चकबन्दी होने और यदि हो गयी हो तो पुनः चकबन्दी कराये जाने के विषय में राजस्व मंत्री के आश्वासन के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में अग्रेतर वक्तव्य.. ..	856
प्रदेश में हथकरघा उद्योग पर भारी संकट तथा बुनकर परिवारों में बेरोजगारी की समस्या के संबंध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन.. ..	857
लखनऊ नगर में बिजली की खराबी के कारण उत्पन्न जल संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य.. ..	857–858
उ0 प्र0 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 (जारी)..	859
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 के उद्देश्य और कारणों में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव का नाम छपें होने पर आपत्ति.. ..	859–862
उत्तर प्रदेश विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 (प्रवर समिति को सौंपा गया)..	862–870
नत्थियां	871–877

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 7 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (298)

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह श्री, (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरीशंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा सिंह चौहान, श्री

छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुर्ग बिजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
नौनिहाल सिंह, चौधरी
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान' श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेमबती, श्रीमती
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री

मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव' श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल, सिंह
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूलचन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरयन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
बीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी

शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्बु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

नव निर्वाचित सदस्या, श्रीमती प्रेमवती द्वारा शपथ ग्रहण

श्री उपाध्यक्ष—

आज सबसे पहले नव निर्वाचित सदस्य, जो हैं वे शपथ लेंगे।

(श्रीमती प्रेमवती का नाम पुकारे जाने पर।)

(जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से मेंजों की थपथपाहट।)

माननीय सदस्या, श्रीमती प्रेमवती ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 7 जून, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सब-स्टेशन, रुधौली, जिला बस्ती द्वारा विद्युत आपूर्ति

**1—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सब-स्टेशन रुधौली, जनपद बस्ती पर 15 अप्रैल, 1979 से 20 मई, 1979 तक कितने घंटे बिजली प्रति दिन दी गई तथा शासन के निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों को कितने घंटे बिजली प्रतिदिन देने के हैं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

15 अप्रैल, 1979 से 20 मई, 1979 तक बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन 19 घंटे आपूर्ति की गई, जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक में दिया गया है।

वर्तमान समय में प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दो वर्गों "अ" और "ब" में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में रविवार को छोड़कर सप्ताह के प्रत्येक दिन 21 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। जब कि रविवार को 24 घंटे विद्युत देने की व्यवस्था है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 871 पर)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हो सकता है कि रुधौली फीडर जिसके बारे में दिवाकर विक्रम सिंह जी ने सवाल पूछा है, वहां कुछ गड़बड़ी हो। कहीं-कहीं फीडर में गड़बड़ी लोकल लेविल पर हो जाती है। आइंदा के लिये गड़बड़ी नहीं होगी।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां बिजली विभाग की गड़बड़ी न हो। हमारे हरदोई जिले में तमाम जगहें हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मैंने प्रश्न किया है रुधौली सब-स्टेशन से कितनी बिजली दी गयी और आपने उत्तर दिया है सम्पूर्ण बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र का। कहावत है "पंडित जी पायं लागी" पंडित जी ने कहा "सेम तूरिति है"। आपका विभाग सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का उत्तर दे रहा है, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रुधौली पर कितनी बिजली दी गयी, उसका सम्पूर्ण हिसाब जानकर इसको देखने की कोशिश करें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा है कि कहीं कहीं इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। आइंदा से कोशिश की जायगी कि इस तरह की गड़बड़ी न हो पाये।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो पूरे बस्ती जिले के संबंध में कहा तो मेरी निश्चित जानकारी को सही मानकर कि बस्ती जिले में भानपुर सब-स्टेशन में जो फीडर है उसमें पिछले साल 10 खंभे गिर गये थे, जो कि आज तक नहीं खड़े किये गये, तो वहां 1 घंटे से ज्यादा बिजली साल भर से नहीं दी जा रही है और मंत्री जी ने बताया कि 19 घंटे बिजली सब जगह दी जा रही है, तो क्या इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तफसील का सवाल है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

माननीय, रुधौली फीडर से उस इलाके में दो-दो दिन तक बिजली बन्द रहती है, इसलिये क्या मेरी सूचना को सही मानकर मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दन्ड देंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

कहा तो है कि व्यवस्था आगे के लिये की जायेगी।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि हो सकता है कि स्थानीय गड़बड़ी के कारण वहां बिजली न मिली हो, तो जैसा कि माननीय सदस्य श्री यूसुफ ने कहा है और मेरी भी निश्चित जानकारी है कि बांसी की भी यही हालत है। तो मैं मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं क्या कि वह आश्वासन देंगे कि बस्ती जनपद में जहां स्थानीय कर्मचारियों के कारण गड़बड़ी हुई है, क्या उनको दण्ड देने की मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिये तमाम कदम उठाये गये हैं और लोकल इंजीनियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर, आदि जो उसी जोन के रहने वाले थे, उनको वहां से हटाया गया है और हटाया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो।

विधायक के विरुद्ध लोक आयुक्त की रिपोर्ट

**2—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री जी को किसी विधायक के विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन के पटल पर रखने की मुख्य मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

जी हां, एक विधायक के विरुद्ध परिवाद पर लोक आयुक्त का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुआ है। चूंकि लोक आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन, उ0 प्र0 लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के प्राविधानों के अनुसार गोपनीय है, अतः लोक हित में उसे सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो 1975 के अधिनियम का जिक्र किया है, तो इसके वाल्यूम 16 के पेज 335 पर रूल 12 के क्लाज 4 और 7 को देखें। तो क्लाज 7 को मैं पढ़ रहा हूं—

"On receipt of a special report under sub-section (5) or the annual report under sub-section (6), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before each house of the State Legislature.."

श्रीमन्, इसमें प्रश्न यह है कि जो भी रिपोर्ट लोक आयुक्त की जांच पड़ताल के पश्चात् सरकार को प्राप्त होगी, दो वर्ष हो गये, इसको बने हुए न आपने विधान सभा में रखी और न किसी सदन में रखी, इस प्रोवीजन के अन्दर कोई भी गोपनीयता नहीं है। उसको सदन के पटल पर रखने का प्राविधान है। सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (4) में लिखा है कि 3 महीने की रिपोर्ट भी जो शासन को भेजी जाएगी, उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। मुझे मंत्री जी यह बता दें कि लोक आयुक्त की रिपोर्ट के बाद शासन के पास कार्यवाही करने के लिए जो चीज आ गई, उसमें गोपनीयता कहां तक आवश्यक है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इस अधिनियम की धारा 10 (2) गुलाब सेहरा जी देख लें, जिसमें प्राविधान है कि लोकआयुक्त अथवा किसी उप-लोक आयुक्त द्वारा की जाने वाली प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगी और विशेषतः परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व दौरान या पश्चात, जनता या प्रेस के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 15(1) में यह प्राविधान है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या उपलोकआयुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के संबंध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य गोपनीय माना जाएगा। माननीय सदस्य पूरा पढ़ेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक उस पर कार्यवाही का प्रश्न है, उसको मैं बताने के लिए तैयार हूं, यदि माननीय सदस्य जानना चाहें।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह गुलाब सेहरा जी ने जो पढ़ा उसके संदर्भ में दिया है। जो जांच की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जांच के बीच में जो एविडेन्स है, उसके डिटेल नहीं खोले जायेंगे लेकिन जांच पूरी होने के बाद मेन्डेटरी प्रोवीजन है कि लोकायुक्त इस जांच की रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेजेंगे और राज्यपाल जो उसका निष्कर्ष है, उसको सदन के पटल पर रखेंगे। मंत्री जी को इसको गोपनीय बनाने का अधिकार नहीं है। आप चाहें तो आज इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, आप इस प्रकार से नियमों के विरुद्ध माननीय सदस्य को बोलने देते हैं। प्रश्नों के दौरान तो किसी प्रकार की व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है जहां तक इससे सम्बन्धित प्रश्न हैं, सवाल इस बात का है कि गोपनीयता है या नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से धारायें बता रहा हूं। इन धाराओं को देख लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, क्या यह सही है कि जिस सेक्शन का हवाला मन्त्री जी ने दिया है, वह सेक्शन 10 इन्वेस्टीगेशन के प्रोसीजर के सम्बन्ध में गोपनीयता से है, प्रतिवेदन के सम्बन्ध में नहीं? और क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इन्वेस्टीगेशन के बाद जो रिपोर्ट का प्रोसीजर है, उसके लिए धारा 12 है, जिसमें रिपोर्ट आफ लोक आयुक्त लिखा है? तो इन्वेस्टीनेशन गोपनीय है लेकिन रिपोर्ट पर तो जैसा माननीय उप नेता विरोधी दल ने कहा कि सेक्शन 12, सब सेक्शन 7 के अन्तर्गत. . . .

परिवहन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

किस बारे में है आपका ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

नियमों की आपत्ति है प्रश्नों और उतर के सम्बन्ध में। विधान सभा की नियमावली है। मेरे पास वह उपलब्ध इस समय नहीं है, लेकिन मुझे निश्चित स्मरण है कि उस नियमावली में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में नियमों को लेकर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी। जिस तरीके से गुलाब सेहरा जी ने लोक आयुक्त के सम्बन्ध में नियमों की ओर ध्यान आर्कषित किया है, मेरा निवेदन है कि नियमावली में इस बात का स्पष्ट प्राविधान है कि इस प्रकार के नियमों से सम्बन्धित आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर तो गुलाब सेहरा जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें उनका कहना यह है कि कार्यवाही के दौरान तो उसको गुप्त रखा जा सकता है। कार्यवाही जब पूरी हो जाय, तो फिर उसको गुप्त नहीं रखा जा सकता। आप प्रकाशित कर सकते हैं। विषय यह है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के प्राविधान का उल्लेख किया है, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न की इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चली गयी। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वयं प्रतिवेदन शब्द का उल्लेख किया। प्रतिवेदन का मतलब अंग्रेजी में रिपोर्ट से है। श्रीमन् सेक्शन 12 के सब-सेक्शन 4 और 7 में है जिस प्रसंग में सदन के सामने रिपोर्ट रखना लाजिमी है और स्पेशल रिपोर्ट रखना लाजिमी है, सरकार ने क्या कार्यवाही की यह बताना भी लाजिमी है। कोई विधायक का प्रश्न नहीं है व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकार का जो एक कर्तव्य है अधिनियम में उसको माननीय मंत्री अपने उत्तर में दूसरे ढंग से रख रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें सेक्शन 10 लागू होता है या सेक्शन 12 लागू होता है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, अधिनियम को भी सम्पूर्ण रूप से ही देखना पड़ेगा। 10(2) में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा और विशेषतः इसमें लिखा है, प्रतिवादी तथ्य अन्वेषण से प्रभावित लोकसेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व जब कि लोक आयुक्त का अन्वेषण भी पूरा न हुआ हो, दौरान भी नहीं है, और पश्चात् जो भी कार्यवाही हो गयी हो जनता या प्रेस के समक्ष नहीं प्रकट करेंगे। मान्यवर, शासन इसको गोपनीय मानता है और यह उत्तर हमें देने का अधिकार है। आपकी अनेक बार व्यवस्था हो चुकी है। हम इसको प्रकट करना नहीं चाहते। यह गोपनीय है और जनहित में नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बड़े-बड़े कैबिनेट के फैसले ....

श्री सोहनवीर सिह तोमर--

मैं यह कहता हूं कि यह प्रश्न का उत्तर गोपनीय होने के कारण नहीं देना चाहते। माननीय तिवारी जी और मेरा कहना यह है कि विधि में मैन्डेटरी प्राविजन है कि जो रिपोर्ट लोकआयुक्त की होगी वह सदन के पटल पर रखी जायगी। मान्यवर, दो ही रास्ते हैं। आपके पीठ से व्यवस्थायें हुई हैं कि यह निर्णय पीठासीन अधिकारी करेंगे कि गोपनीय होने के आधार पर शासन को उत्तर देने से रोक सकते हैं या नहीं; मेरा कहना है कि दो ही रास्ते हैं या तो शासन के उत्तर देने के लिये फोर्स करें या आप इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दें या महाधिवक्ता को बुला कर उनसे राय ली जाय। शासन को इस बात को मान लेंगे तो गोपनीयता के नाम पर जो विधि में व्यवस्था है उसे टालने का इन्हें अवसर मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसे स्थगित करता हूं।

छठी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा

** 3--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार ने प्रस्तावित छठी योजना का आकार छोटा कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो इसका आकार, लक्ष्य और वर्तमान रूप रेखा क्या है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं, राज्य सरकार ने प्रस्तावित छठी योजना का आकार छोटा नहीं कर दिया है। वास्तव में राज्य सरकारों की योजना का वित्तीय आकार अन्तिम रूप से केन्द्रीय योजना आयोग तय करता है और यह आकार राज्य के संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता पर आधारित होता है। उक्त योजना के वित्तीय आकार के सम्बन्ध में आयोग से विचार-विमर्श का क्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस आकार के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय न हो सकने के कारण योजना की रूप-रेखा तथा लक्ष्य आदि भी अभी अन्तिम नहीं हो पाये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि माह मई, 79 में छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप और लक्ष्य तथा वार्षिक योजना का लक्ष्य छप कर विधायकों में बांट दिया गया था, तो अब कौन सी रूपरेखा बनानी रह गई है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह तो माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योजना का लक्ष्य तथा प्रारूप है उसके सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है और उसके सम्बन्ध में जानकारी भी उपलब्ध कराई गयी है, इसके लिये उनको शासन को धन्यवाद देना चाहिये कि वह जानकारी सदस्यों को मिल रही है और जो प्रयास हो रहे हैं, उनका आभास भी उनको हो रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि यह आश्वासन दिया गया था कि छठी योजना के प्रारूप पर सदन में विवाद करवाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक यह विवाद होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये समय निश्चित हो चुका है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

राज्य सरकार ने जनवरी, 79 में योजना आयोग को 7793 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति के लिये भेजी थी, लेकिन योजना आयोग ने 4600 रु0 की योजना की ही स्वीकृति दी है और वार्षिक योजना भी 78-79 के लिये 908 करोड़ रु0 की स्वीकृत की है, जिससे कि आकार छोटा हुआ है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश की आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए 7793 करोड़ रुपये की योजना तैयार की थी और केन्द्रीय सरकार से उसे स्वीकार कराने का प्रयास भी किया था लेकिन यह भी सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक 4600 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान नहीं की है लेकिन यह अन्तिम बात नहीं हुई है । हम लोग बराबर कोशिश कर रहे है कि जो हमारे लक्ष्य हैं अपनी आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के अनुरूप, उनको हम केन्द्रीय सरकार से स्वीकार करा कर अधिक से अधिक पूरा कर सकें । जहां तक इस वर्ष की योजना का सवाल है वह 810 करोड़ रुपये पर अन्तिम हो चुकी है और उसका विभागीय विभाजन भी हो चुका है । उसके संदर्भ में बात करना अनावश्यक होगा, यह बात स्पष्ट है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नदियों का जल प्रदूषण रोकने की व्यवस्था

*1--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की समस्त प्रमुख नदियों--गंगा, यमुना, हिंडन और नैनीताल झील का जल औद्योगिक उच्छेद और नगरों तथा कस्बों की गन्दगी मिलने से अत्यधिक प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या इन नदियों के जल प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

प्रदेश में कुछ प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण की समस्या से शासन अवगत है। विभिन्न नदियों के पानी की जांच की गई है जिसमें यह पाया गया है कि नदियों में प्रदूषण उन बिन्दुओं तक ही सीमित है जहां नगरों अथवा कारखानों का गंदा पानी नदियों में मिलता है।

जल प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड द्वारा नदियों में प्रवाहित किये जाने वाले पानी के मानक निर्धारित किये गये हैं। नदियों के पानी तथा कारखानों के निस्तारण की जांच की गई है। जिन स्थानीय निकायों तथा कारखानों का निस्तारण मानकों के अनुसार नहीं पाया गया उन्हें नोटिस दी गई है तथा कुछ के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही भी की गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय निकाय व कारखाने अपने गंदे पानी को साफ करके ही नदियों में निस्तारित करें जिससे नदियों के पानी के प्रदूषण की समस्या का निराकरण हो सके।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी उन स्थानीय निकायों और कारखानों के नाम बतायेंगे जिन्हें नोटिसेस दिये गये हैं और जिनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, उत्तर में उन्होंने लिखा है कि अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है।

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप फाइल में देखिये। नाम दिये होंगे। नीचे से रिपोर्ट आयी होगी, उसमें उन स्थानों का नाम दिया होगा ?

श्री क्रान्ति कुमार—

नाम तो नहीं है, संख्या दी गई है।

(प्रश्न संख्या २ पुकारे जाने पर)

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मान्यवर, इसे आपने स्थगित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, स्थगित नहीं किया है। स्थानों के बारे में आप अलग से प्रश्न कर लीजिये।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या किसी व्यक्ति या अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने से जल प्रदूषण रोका जा सकता है ? क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिससे नदियों का जल प्रदूषित न हो ?

श्री क्रान्ति कुमार--

ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो ऐफ्लियेन्ट निकलता है, उसको नदियों में न डाला जाय। इसका जो नियंत्रण बोर्ड है, वह देखता है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

जब से इस प्रदेश के अन्दर जलाशय और डैम की योजना चली है, तब से नदियों का प्रवाह कम हो जाने से नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे नदियों का प्रवाह होता रहे, गन्दगी बहती रहे और उससे जल प्रदूषण न हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उत्तर में आ गया है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, प्रश्न में है कि डैम बन जाने से नदियों का जल प्रवाह कम हो गया है और गन्दगी न बहती रहने से जल प्रदूषित हो गया है। इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? उन्होंने कुछ नदियों की बात कही है। मुख्य बात यह है कि फैक्ट्रियों आदि का जो गन्दा पानी होता है उसके लिये आपने कोई योजना बनायी है ?

श्री क्रान्ति कुमार--

जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है वहां सीवर की व्यवस्था की जा रही है। इस गन्दे पानी को प्रोसेस करके उसे खेतों में डालने की योजना बन रही है जिससे कि उस गन्दे पानी से खाद भी बन सके और नदियों का पानी प्रदूषित भी न हो।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्रदूषण औद्योगिक संस्थानों के पानी की निकासी से होता है और उसके लिये उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, १९७७ की धारा २ और धारा १४ में प्राविधान है कि औद्योगिक संस्थानों से टैक्स लिया जायेगा और जल प्रदूषण रोका जायेगा। क्या यह सच है कि अभी एक भी औद्योगिक संस्थान ने यह टैक्स नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या यह जो मैंडेटरी रूल है कि जो इस कर को नहीं देगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, अभी तक किसी संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री क्रांति कुमार--

मान्यवर, माह अप्रैल, १९७९ में राज्य सरकार ने १,५४,८३२ रुपये की धनराशि राज्य बोर्ड को भेजी है और मई में २,३४,५८३ रुपये भेजे हैं। जब यह मिला, तभी तो भेजा है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या किसी फैक्ट्री का चालान हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह पूछ रहे हैं कि इस संबंध में किसी फैक्ट्री का चालान हुआ है ?

श्री क्रांति कुमार—

यह अभी मार्च से व्यवस्था हुई है, अभी किसी फैक्ट्री का चालान नहीं किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सर्वाधिक महत्व के प्रश्न को देखते हुए चूंकि प्रदेश के नागरीय और गांवों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक प्रावधान हो गया है। क्या माननीय मंत्री जी स्वयं, जैसा हमने नया विभाग बनाया, बोर्ड की बैठक बुलायेंगे और स्वयं उसकी मौनेटरिंग करेंगे और केवल विभाग के स्तर पर इसे नहीं छोड़ देंगे और मासिक रिपोर्ट देखेंगे ताकि वास्तव में कार्यवाही हो सके ?

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, अवश्य देखा जायेगा।

श्री बाबूराम शुक्ल—

मान्यवर, कानपुर में गंगा नदी बहती है और उसके किनारे टेनरीज और अन्य कारखाने हैं, जिसकी वजह से उनका गंदा जल गंगा में गिरता है। वैज्ञानिकों के एक दल ने शासन को रिपोर्ट दी है कि कानपुर में गंगा का जल नहाने और पीने के लायक नहीं रह गया है, तो इस संबंध में कानपुर महापालिका ने इसके लिए कोई कार्यवाही उन फैक्ट्रीज के खिलाफ की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया है कि मार्च में यह अधिनियम आया है अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि "यह प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय निकाय व कारखाने अपने गंदे पानी को साफ करके ही नदियों में निस्तारित करें जिससे नदियों के पानी के प्रदूषण की समस्या का निराकरण हो सके।" तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कानपुर नगर में जहां गंगा जी बहती हैं, जहां की विशेष समस्या है, वहां पर नगर महापालिका ने कोई सुनिश्चित प्रयास किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप तफसील पूछ रहे हैं। यह पूछिये कि भविष्य में किया जायेगा, इस बात का आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री क्रांति कुमार—

मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि कानपुर की विशेष समस्या के बारे में विचार करेंगे और प्रदूषण रोकने की व्यवस्था करेंगे ? इस बात का वह आश्वासन चाहते हैं।

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

देहातों में पेयजल आपूर्ति योजना

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए देहाती लोगों को पेय जल आपूर्ति के बारे में कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

यद्यपि वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये देहाती लोगों को पेयजल आपूर्ति हेतु कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, विश्व बैंक कार्यक्रम एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित त्वरित कार्यक्रम चलाय जा रहे हैं।

ग्रामीण पेयजल के समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत मार्च 1979 के अंत तक कुल 8587 राजस्व ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 1979–80 में आयोजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 1825 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 800 ग्रामों का लक्ष्य अन्तिम निर्धारित किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तीन कार्यक्रम—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, विश्व बैंक कार्यक्रम और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री क्रांतिकुमार—

मान्यवर, इन तीनों कार्यक्रमों में जहां नदी से पानी लाना होता है वहां नदी से लाकर व्यवस्था की जाती है, जहां कुयें लगाने की जरूरत होती है, वहां कुयें लगाये जाते हैं और गावों में पानी दिया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गावों में कुयें बनाने का कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है ? ऐसी कोई योजना है कि नहीं ?

श्री क्रान्ति कुमार—

श्रीमन्, जल निगम के माध्यम से ही हो रहा है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मंत्री जी ने 1979–80 में 1825 ग्रामों में जो पेय जल योजना व्यवस्था का उल्लेख किया, तो उसके लिए विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार से कितनी-कितनी धनराशि आपको प्राप्त हुई है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, विश्व बैंक के माध्यम से कुमायूं, गढ़वाल और झांसी मंडलों में क्रम चल रहे हैं और इन तीनों मंडलों में ग्रामीण पेयजल योजना के लिए

24 करोड़ का अंश प्राप्त था, जो अब 84 करोड़ किया जा चुका है। इस बार 31 करोड़ के करीब खर्च हुआ है और सन् 82 तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक नियम यह है कि यदि किसी गांव में पेयजल की व्यवस्था करनी है, तो शासन उस स्थानीय निकाय को 80 प्रतिशत तक ऋण देती है और उसके बाद उसके रख-रखाव की व्यवस्था स्थानीय निकाय को ही करनी होती है। मैं समझता हूं कि इस नियम के कारण इस योजना के विस्तार करने में बाधा पड़ रही है, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि रख-रखाव की व्यवस्था भी जल-निगम पर रहे, और गांवों को परेशानी न उठानी पड़े ?

श्री क्रान्ति कुमार--

इस समस्या पर विचार हो रहा है।

फिरोजाबाद, आगरा में पेयजल सम्पूर्ति में वृद्धि किये जाने की मांग

*3--श्री रघुबरदयाल वर्मा (जिला आगरा) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद की दो लाख आबादी को कम से कम प्रति दिन पीने को सत्तर हजार (70,000) गैलन पानी चाहिए? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में जलकल संस्थान केवल बीस हजार (20,000) गैलन पानी दे पाता है जिससे हजारों व्यक्ति पेयजल से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने फिरोजाबाद के पेयजल के घोर संकट को हल करने की क्या योजना आरम्भ की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री क्रान्ति कुमार--

यह सही है कि नगरपालिका, फिरोजाबाद (आगरा) जिसकी जनसंख्या इस समय लगभग दो लाख हो गई है, को प्रतिदिन लगभग 70 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है किन्तु केवल लगभग 30 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ही आपूर्ति किया जाता है जो जनसंख्या के घनत्व की अपेक्षा कम है। यदि किसी दिन विद्युत् सप्लाई बन्द हो जाती है तो उस दिन पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है। नगर की पेयजल सम्पूर्ति बढ़ाये जाने हेतु नगरपालिका, फिरोजाबाद के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश जल निगम ने 42.10 लाख रुपये की एक योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी है जिसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय, शासन ने माना है कि वहां 70 लाख गैलन रोजाना पानी की आवश्यकता है, जिसमें से वह केवल 30 लाख गैलन देते हैं, तो निश्चित रूप से 40 लाख गैलन की नित्य कमी रहती है। अतः इस 40 लाख गैलन पानी की सम्पूर्ति नगर में तुरन्त कराने के लिए मंत्री जी कौन से कदम उठा रहे हैं ?

श्री क्रान्ति कुमार--

योजना सरकार को जा चुकी है और शीघ्र ही काम पूरा कराने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि आपके मूल उत्तर में उल्लिखित 42.10 लाख की योजना क्या है ? उसमें क्या--क्या कार्य होंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत पांच नलकूपों का निर्माण और उनका पम्पिंग प्लान्ट, विद्युतीकरण, पम्प हाउस तथा उनका सृजन क्षेत्र नम्बर 1 में करने की व्यवस्था है ।

क्षेत्र नम्बर 2 में तीन नलकूपों का निर्माण, उनके पंपिंग प्लान्ट, विद्युत् संयोजन, पम्प हाउस तथा राईजिंग मेन एवं तत्सम्बन्धी कार्य क्षेत्र नम्बर 3 में 1 नलकूप का निर्माण, उसका पम्पिंग प्लांट, विद्युत् संयोजन, पम्प हाउस तथा राईजिंग मैन एवं तत्सम्बन्धी कार्य क्षेत्र नम्बर 4 में एक नलकूप का निर्माण, उसका पम्पिंग प्लांट, विद्युत् संयोजन, पम्प हाउस तथा राईजिंग मेन एवं तत्सम्बन्धी कार्य, स्पेयर्स की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि पुराने पम्प्स भी चल सकें ।

श्री गुलाब सेहरा—

जल निगम की योजना कब प्राप्त हुई और सम्पूर्ण होने के लिए कितने वक्त की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

निश्चित समय में नहीं बता सकता क्योंकि बोरिंग करने में कभी–कभी अड़चन आ जाती है, बहुत समय लग जाता है ।

श्री गुलाब सेहरा—

योजना कब प्राप्त हुई और कब प्रारम्भ हो रही है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

डेट नहीं है मेरे पास में माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में बताइए कौन सी तारीख को स्वीकृत हुई है ? (कुछ रुकने पर) यह अच्छा नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि नगरपालिका की सीमा बढ़ाते वक्त 22 मोहल्ले और बढ़े हैं जिनके लिए पानी भेजने के लिए कोई नलकूप नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत इस नई आबादी की जलपूर्ति के लिए कोई नया कूप खोदवा कर पानी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार—

फिरोजाबाद नगरपालिका ने विभाग मे नगरपालिका के नए मोहल्लों को शामिल करते हुए पुनर्गठन योजना बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर भेजवाया था, परन्तु नगर–

पालिका द्वारा विरचन शुल्क जमा नहीं किए जाने पर, विरचन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, योजना के विरचन शुल्क प्राप्त होने पर यह योजना विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी । नगर में पेयजल व्यवस्था के सुधार हेतु इस पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है ।

रायबरेली जिले के सिंहपुर ग्राम में विद्युत् शाक से बस की दुर्घटना

*4—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती), श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 मई, 1979 को रायबरेली जिले में बस पर करेंट उतरने से 3 व्यक्ति मर गए तथा लगभग 25 व्यक्ति घायल हो गए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? आहतों को क्या सहायता दी गयी ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

दिनांक 8 मई, 1979 को एक निजी बस जनपद रायबरेली में महाराजगंज–इन्हौंना सड़क पर जा रही थी । ग्राम सिंहपुर में बस से सामान उतारने हेतु बस रोकी गयी । जिस स्थान पर बस रोकी गयी, उसके ऊपर से 11 के0 वी0 की ओवर हेड लाइन गुजरती थी । बस की छत पर से साइकिल उतारते समय साइकिल विद्युत् लाइन के जीवन्त तार के सम्पर्क में आ गई और बस विद्युत् से चार्ज हो गयी जिसके फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और इक्कीस व्यक्ति घायल हुये ।

राज्य विद्युत् परिषद् ने तीनों मृतक व्यक्तियों में से प्रत्येक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में रु0 5,000 की धनराशि स्वीकृत कर दी है । घायल यात्रियों को निकटवर्ती प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ले जाकर उपचार कराया गया जिससे 13 व्यक्तियों को उसी दिन इलाज करने के बाद साधारण चोट होने के कारण मुक्त कर दिया गया । शेष आठ व्यक्तियों को जो अपेक्षाकृत अधिक घायल थे, जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया ।

राज्य विद्युत् परिषद् ने घटनास्थल की विद्युत् लाइन के निर्माण कार्य एवं रख-रखाव में त्रुटि होने के कारण तीन अवर अभियन्ताओं एवं तीन अन्य आपरेटिंग श्रेणी के कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये हैं । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय विद्युत मंत्री बतायेंगे कि क्रासिंग पर लाइन ऊंची होने से दुखद दुर्घटना हुई, जिस उपखंड अधिकारी एवं जूनियर इंजीनियर के अन्तर्गत इस लाइन का निर्माण किया गया, उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि क्रासिंग पर लाइन ऊंची न रखी जाय ? उन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

यह लाइन का निर्माण जो होता है, उस समय अगर सड़क कच्ची रहती है, पक्की होने पर वह ऊंची हो जाती है । इसलिए इन अधिकारियों के खिलाफ, एस0 डी0 ओ0 के खिलाफ, जैसा वैश्य जी कह रहे हैं, उनके कैरेक्टर रोल में बैड एंट्री दी जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी एक्सप्लैनेशन देते हैं कि पहले तो कच्ची सड़क होती है और जब पक्की हो जाती है तो वह ऊंची हो जाती है। क्या कोई ऐसा मापदन्ड है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर यह तार जाने चाहिए ? क्या यह मालूम नहीं था कि अभी कच्ची सड़क है और जब पक्की होगी, तो वह ऊंची हो जावेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

लाइन 20 फिट की ऊंचाई पर रखने का प्राविधान है । यह तो जनरल जी0 ओ0 हम लोगों ने इशू कर दिया है क्योंकि इस तरह की बहुत सी घटनायें हो रही हैं । जहां पर सड़के ऊंची हों वहां तत्काल लाइन ऊंची कर दी जाये ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

वर्कमैन कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अनुसार दुर्घटना में जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसे 10 हजार रुपया मुआवजा का दिए जाने का प्राविधान है जबकि उनको विद्युत् परिषद् ने 5 हजार रुपये ही दिए, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको शेष मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि जो बस में यात्रा कर रहे थे, उनको हुई है और 5 हजार का उसमें प्राविधान है, जिसको परिषद् ने स्वीकृत कर दिया है ।

श्री राम दत्त जोशी--

जिनके चोटें लगी हैं, उनको आप कुछ देंगे या नहीं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा) --

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 5 हजार रुपया दिया गया है यह राशि अंतिम है या और भी दिया जायेगा इस प्रकार से जो दुर्घटनायें हो जाती हैं, तो सरकार के निश्चित आदेश हैं कि इतनी रकम दी जानी चाहिए ?

श्री रेवती रमण सिंह--

5 हजार रुपया देने का प्राविधान है ।

श्री गुलाब सेहरा--

5 हजार रुपया उनको मुआवजा दे दिया गया है और सम्बधित इन्जीनियर को बैड इन्ट्री दी गयी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह ठीक हो गयी है या नहीं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ठीक की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस सिलसिले में 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गये हैं, उनमें से एक कर्मचारी विद्युत् वितरण खन्ड का है, जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि 5 हजार रुपया तो मृतकों के परिवार को दिया गया है, परन्तु जो घायल लोग हैं उनको भी सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जो लोग सीरियस तरीके से घायल हैं उनके बारे में विचार किया जा सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्मचारी सस्पेंड हुआ है, तो माननीय सदस्य उसका नाम लिखकर मुझे दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

जो नयी सड़कें बन रही हैं, उनकी लाइन को ऊंचा करने के आदेश दिए गये हैं, लेकिन जो पुरानी सड़के हैं, उनके लिए भी आदेश दिए गये हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

उन्नाव जिले में कटरी क्षेत्र के अन्तर्गत लगंड़ेपन की बीमारी

*5—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्नाव की सदर तहसील के कटरी क्षेत्र के महदेनवा धैंघो, कौतापुर और आस-पास के स्थानों पर दूषित जल के कारण युवकों तथा बालकों में लंगड़ेपन की एक अजीब बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

उन्नाव जिले की सदर तहसील के सिक्न्दरपुर वर्ण (कटरी) क्षेत्र के कुछ गांव में कुछ व्यक्ति लंगड़ेपन की बीमारी से ग्रसित हुए है। किन्तु यह कहना कठिन है कि यह बीमारी दूषित जल के कारण ही होती है । इण्डस्ट्रियल टाक्सीकालोजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा विगत वर्षों में किए गए अनुसंधान एवं अध्ययन कार्यों से यह तथ्य सामने आये हैं कि इस बीमारी का मुख्य कारण केसारी दाल का निरंतर उपयोग है। प्रश्नगत क्षेत्र में इस बीमारी को रोकने के लिए शासन द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं :—

(1) क्षेत्र की जनता को केसारी दाल के विषैले तत्वों से रहित कर उसे उपयोग करने के सम्बंध में व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई;

(2) केसारी दाल की खेती तथा उसके उत्पादकों पर कानूनी रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिये शासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है;

(3) प्रश्नगत क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और केसारी दाल अथवा अन्य प्रकार से अपमिश्रित पाये गये नमूनों में कानूनी कार्यवाही की गई;

(4) प्रश्नगत क्षेत्र में ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए जल निगम द्वारा बदरका अस्वासी और अचलगंज में पेय जल योजनायें कार्यान्वित की जा रही ह तथा कुछ स्थानों की योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

बलिया नगरपालिका क्षेत्र के ग्राम मुहम्मदपुर के लोगों का मतदाता सूची में न शामिल किया जाना

*6—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1979 में बलिया नगरपालिका क्षेत्र के लिये तैयार मतदाता सूची में बलिया नगरपालिका में स्थित मुहम्मदपुर मौजे में (जिसमें

केवल हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग ही निवास करते हैं) दीर्घकाल से बसे हुए परिवारों में से किसी को भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है और सम्पूर्ण नागरिक अपने नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। यदि हां, तो क्यों? और सरकार, नगरपालिका के भावी चुनाव में इस मौजे के निवासियों को भाग लेने के लिए कौन सा उपाय कर रही है और यदि नही, तो सही तथ्य क्या हैं ;

श्री क्रान्ति कुमार—

मुहम्मदपुर मौजा नगरपालिका बलिया के किसी कक्ष में शामिल नहीं है क्योंकि यह मौजा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र है अतः वहां के निवासी नगरपालिका बलिया की कक्ष मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के मुहम्मदपुर मौजे के लोग किस गांव की मतदाता सूची म सम्मिलित हैं ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यह ग्राम मोहन छपरा में सम्मिलित है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मोहन छपरा में यह गांव सम्मिलित है ही नहीं। तो क्या फिर से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और जिस अधिकारी ने यह सूचना दी, उनसे कहेंगे कि वे मुझसे मिलकर बात कर लें ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मेरे पास जो सूचना है, वह जिला अधिकारी से प्राप्त हुयी है। मैं उनसे कह दूंगा कि वे माननीय सदस्य से बात कर लें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

टेम्पुल आफ हेल्थ एण्ड वेल्थ डिस्पेन्सरी, नरही, लखनऊ का अनुदान

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)—

*1—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नरही (लखनऊ) स्थित डिस्पेन्सरी-टेम्पुल आफ हेल्थ एण्ड वेल्थ को वर्ष 1974-75 में 1,000 रुपया; वर्ष 1975-76 में 4,000 रुपया, वर्ष 1976-77 में 9,000 रुपयों का अनुदान देने के उपरान्त वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में अनुदान देना बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

टेम्पुल आफ हेल्थ एण्ड वेल्थ डिस्पेन्सरी, नरही, लखनऊ को वर्ष 1974-75 में 1,000 रु0, वर्ष 1975-76 में 4,000 रु0 तथा वर्ष 1976-77 में 9,000 रु0 का अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। अनुदान हेतु व्यवस्थित धनराशि समाप्त हो जाने के कारण वष 1977-78 तथा वर्ष 1978-79 में कोई अनुदान दिया जाना सम्भव न हो सका।

वर्ष 1978-79 के अनुरक्षण हेतु इस डिस्पेन्सरी को 5,000 रु0 का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने हेतु व्यवस्थित धनराशि से बजट पारित होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् दिया जायगा ।

श्री अशफाक अहमद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में स्वास्थ्य निदेशक ने इस डिस्पेन्सरी के लिये 25,000 रु0 की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो सरकार को उसको देने में क्या कठिनाई थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

निदेशक ने वर्ष 1977-78 में संस्तुति तो की थी, लेकिन इतनी धनराशि के लिये नहीं जितनी माननीय सदस्य कर रहे हैं । उन्होंने 9 हजार रुपये के अनुदान की संस्तुति की थी और वर्ष 1978-79 के लिये 7,500 रुपये के अनावर्तक अनुदान की निदेशक की ओर से संस्तुति हुई थी, लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि पैसे के अभाव के कारण नहीं दिया जा सका । फिर भी जैसे ही मेरे संज्ञान में यह बात आई कि यह एक उपयोगी संस्था है, तो मार्च में ही इसके लिये अनुदान स्वीकृत कर दिया लेकिन चूंकि पैसा नहीं था वर्ष 1978-79 के लिये, अतः जब 1979-80 का बजट पास हो जायेगा दे दिया जायगा ।

श्री अशफाक अहमद खां--

मान्यवर, इस डिस्पेन्सरी में मुफ्त में 40-50 आदमियों को रोज दवाइयां दी जाती हैं, इसका अपना स्टाफ है, डाक्टर भी हैं । सालाना का 30-35 हजार रुपये का खर्च है जिसके लिए कुल 5000 रुपये की स्वीकृत दी गई है । क्या माननीय मंत्री जी इस धनराशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

ऐसी बहुत सी उपयोगी संस्थायें हैं जो उपयोगी कार्य कर रही हैं । यह भी एक उपयोगी कार्य कर रही है लेकिन हमारे पास कितने धन की उपलब्धि होगी, यह इस पर निर्भर करता है ।

गोरखपुर जिला के निचलौल टाउन फीडर के तार टूटने से मकानों में अग्निकाण्ड

*2--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में निचलौल टाउन फीडर में लगे पोलों पर तार के अधिक जोड़ों के कारण दिनांक 3 अप्रैल, 1979 को बिजली के तार टूटने से दर्जनों घर जल कर राख हो गये जिसमें 60,000 रुपये की क्षति ग्राम-वासियों की हुयी है ? तार टूटते ही बिजली कर्मचारियों को जोड़ने के लिये कहा गया किन्तु उन्होंने अपनी डयूटी में न होने के कारण तार जोड़ने में असमर्थता प्रकट की है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दूरभाष से दिनांक 4 अप्रैल, 1979 को क्षति पूर्ति दिलाने एवं विभागीय लापरवाही से हुई हानि की जांच कराने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो कार्य न होने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इस पूरे मामले की मुख्य विद्युत् निरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच की जा रही है ।

नोटीफाइड एरिया भिनगा, बहराइच के गृह कर में वृद्धि

*3—कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह जानकारी है कि बहराइच जिले की नोटीफाइड एरिया भिनगा के प्रशासक ने आपातकाल में बढ़ाये गये गृहकर को अब लागू करने की घोषणा कर दी है जिसमें भिनगा कस्बा का कई दिन तक शुरू अप्रैल, 1979 में बाजार बन्द रहा तथा नगर में असंतोष व्याप्त है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई तार स्वायत्त शासन मन्त्री को प्राप्त हुआ और उस पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो पुराने दर पर ही गृहकर की वसूली कराने की शासन कृपा करेगा?

श्री क्रान्ति कुमार—

बहराइच जिले की भिनगा नोटीफाइड एरिया में आपातकाल में गृहकर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी अतः उस वृद्धि के आधार पर कर की दरें अब लागू करने और इस सम्बन्ध में जनता के असंतोष का प्रश्न नहीं उठता।

शासन को इस सम्बन्ध में कोई तार नहीं प्राप्त हुआ बल्कि प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का 22-4-79 का एक पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है जिसकी जांच कराई जा रही है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह अधूरा है। प्रश्न का जो अंतिम भाग है उसमें पूछा था कि "यदि हां तो पुराने दर पर ही गृहकर की वसूली कराने की शासन कृपा करेगा" इसका उत्तर ही नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भिनगा नोटीफाइड एरिया में पुरानी दर पर ही गृह कर को वसूल कराने की कृपा करेंगे?

श्री क्रान्ति कुमार—

कर निर्धारण की एक प्रक्रिया है और जो एमरजेन्सी के दौरान किया गया था उसको रोक दिया गया है। वर्ष 1978-79 में गृह कर फिर निर्धारित किया गया, उसमें आपत्तियां आयीं, उनका निस्तारण हुआ और 39, 000 रुपया कर के रूप में रह गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह गृहकर नोटीफाइड एरिया के बाईलाज के अनुसार ही लगाया जाता है। उसके सेक्शन 140 (1) (ख) के अनुसार वह नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक बाई लाज को परिवर्तित नहीं किया जाता, यह जो कर बढ़ाया गया है अनियमित है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बाइलाज के किस नियमानुसार उप नियम के अधीन बढ़ाया गया है?

श्री क्रान्ति कुमार—

यह सूचना तो इस समय नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

आप इसे स्थगित कर दें जब तक यह न मालूम हो कि किस नियम के अनुसार बढ़ाया गया है, तब तक यह सूचना गलत ही दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये आप दूसरा प्रश्न कर लें कि बाइलाज का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

1976 से यह नोटिफाइड एरिया भंग है और प्रशासक के अधीन है। 6 माह बाद चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसी सूरत में क्या सरकार इस बढ़े हुये कर की वसूली को चुनाव तक के लिये स्थगित करने के आदेश देगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

यह तो सन् 1978-79 का मामला है वह फाइनल भी हो चुका है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुष्ट रोग तथा नेत्र रोग का प्रकोप

*4—श्री पुरुषोतम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुष्टरोग तथा नेत्र रोग भयावह महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इन महामारियों के रोक-थाम हेतु केन्द्रीय सरकार ने विशेष सहायता प्रदेश को मुहइया की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम की व्यवस्था कर रही है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुष्ट रोग तथा नेत्र रोग भयावह महामारी की तरह नहीं फैल रहे हैं। इन महामारियों की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार ने कोई विशेष सहायता प्रदेश सरकार को नहीं दी है।

[दिनांक 7 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पडरौना तहसील के अन्तर्गत घेंघा रोग का प्रकोप

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना तहसील के विशुनपुरा विकास खंड में पेयजल के अभाव के कारण 95 प्रतिशत ग्रामीण घेंघा, स्नोफीलिया, कृमिरोग, फाइलेरिया आदि रोगों से ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण विशुनपुरा विकास खंड में व्यापक सर्वे कराकर उक्त रोगों के उन्मूलन की व्यवस्था कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

विशुनपुरा विकास खंड में कराये गये एक रेन्डम सर्वेक्षण के अनुसार उक्त क्षेत्र में केवल 7 प्रतिशत व्यक्ति घेंघा रोग से ग्रस्त पाये गये।

प्रश्न में उल्लिखित बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आयोडाइज्ड साल्ट, डाई इथिल कार्बामाइजीन, पिपराजीन, एडीपेड नामक औषधियां दी गई तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विशुनपुरा पर घेंघा रोग की रोकथाम के लिये आयोडाइज्ड साल्ट उपलब्ध है।

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन का निर्धारण

*3--श्री कौशल किशोर (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के वेतग निर्धारण का प्रश्न पिछले डेढ़ साल से शासन स्तर पर या निदेशालय स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जिला स्तर पर नियुक्त केवल दो प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश शासन एवं निदेशालय स्तर से पहिले ही जारी किये जा चुके हैं। उक्त दो अधिकारियों के पूर्व पदों के वेतनमान के बारे में कतिपय सूचना के अभाव में इनके वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में अभी तक आवश्वक आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं।

जिला अस्पताल, उन्नाव में कुमारी जिज्ञासा मीनाक्षी की मृत्यु

*4--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जिला अस्पताल में दस वर्षीय कु0 जिज्ञासा मीनाक्षी का 30 अप्रैल, 1979 को लगभग 12 बजे अचानक देहान्त हो गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बालिका की मृत्यु डाक्टरों एवं स्टाफ की लापरवाही से हुई और दुखी पिता द्वारा शवोच्छेदन की मांग को भी मुख्य चिकित्साधिकारी ने बेरहमी से ठुकरा दिया ? कुमारी जिज्ञासा मीनाक्षी की मृत्यु से सम्बन्धित समस्त विवरण क्या है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

कुमारी जिज्ञासा मीनाक्षी का देहान्त कुछ दिनों की बीमारी के पश्चात् दिनांक 20-4-79 को 12 बजे दिन में हुआ। इस मामले की विस्तृत जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा उपचार) द्वारा की जा रही है। अभी तक की गई जांच के अनुसार बालिका की मृत्यु डाक्टरों एवं स्टाफों की लापरवाही से नहीं हुई है।

मुख्य चिकित्साधिकारियों को शवोच्छेदन करने का आदेश देने का अधिकार प्रदत्त नहीं है। अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव द्वारा पिता की शवोच्छेदन की मांग को ठुकरा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवरण यह है कि कुमारी जिज्ञासा मीनाक्षी दिनांक 14-4-79 को रात्रि में 9-30 बजे जिला चिकित्सालय, उन्नाव में भर्ती की गई। उनको टाइफाइड के कारण आंतों में परफोरेशन हो जाने से पैरीटोनाइटिस हो गया था। उसी के कारण अस्पताल की पर्याप्त सेवा सुश्रुषा के बावजूद भी वह बच न सकी तथा 20-4-79 को उनका देहान्त हो गया।

*5--श्री राज मंगल तिवारी--

[8 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

*6—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

[8 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसूचित जाति के संदर्भ लिपिक के स्थायीकरण की मांग

*7—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोण्डा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (मुख्यालय) पर वर्ष 1975 तक नैत्यिक लिपिक के पद पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो 1 सितम्बर, 1973 से सन्दर्भ लिपिक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी को नैत्यिक लिपिक के पद पर स्थायी क्यों नहीं किया गया ? क्या इसे भी नैत्यिक लिपिक के पद पर स्थायी करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में वर्ष 1975 तक नियुक्त नैत्यिक लिपिकों को स्थायी कर दिया गया है। 1 सितम्बर, 1973 से सन्दर्भ लिपिक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी जो विभाग के बी0 सी0 जी0 संगठन में कार्यरत था इस संगठन की समाप्ति के उपरान्त संगठन के पदों के समर्पण के फलस्वरूप समकक्ष पद पर सन्दर्भ लिपिक के रूप में सीधे नियुक्त कर लिया गया। इस कर्मचारी का निदेशालय म संदर्भ लिपिक के पद पर सीधी नियुक्ति के फलस्वरूप नैत्यिक लिपिक के पद पर गहन नहीं है। अतः नैत्यिक लिपिक के पद पर उक्त कर्मचारी का स्थायीकरण सम्भव नहीं है।

औषधि निरीक्षक, लखनऊ द्वारा बलरामपुर अस्पताल से लिया गया ग्लूकोज का नमूना

*8—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 24 मार्च, 1979 को औषधि निरीक्षक, लखनऊ न बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ का ग्लूकोज का सेम्पुल लिया था तथा केन्द्रीय औषधि अनुसन्धानशाला, कलकत्ता ने उसे निकृष्ट पाया ? क्या यह भी सच है कि औषधि निरीक्षक ने ग्लूकोज बनाने वाली एक स्थानीय फर्म का लाइसेन्स रद्द करने की संस्तुति की थी, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

औषधि निरीक्षक (मुख्यालय) लखनऊ ने दिनांक 24 मार्च, 1979 को बलरामपुर अस्पताल लखनऊ से डैक्स्ट्रोज इंजेक्शन का नमूना लिया था। उक्त नमूने की जांच करके राजकीय जन विश्लेषक उत्तर प्रदेश लखनऊ ने उसे स्टैन्डर्ड स्तर का घोषित किया। औषधि निरीक्षक लखनऊ द्वारा उक्त अस्पताल से दिनांक 28 मार्च, 1979 को उसी बैंच के डैक्स्ट्रोज का जो अलग नमूना लिया गया था उसमें सेन्ट्रल ड्रग लैबोरेट्री, कलकत्ता ने "सस्पेन्डड पार्टीकल्स" पाया।

यह सत्य है कि औषधि निरीक्षक, लखनऊ ने ग्लूकोज बनाने वाली एक स्थानीय फर्म का लाइसैंस निलम्बित किये जाने की संस्तुति की थी किन्तु खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश (लाइसेन्सिंग अथारिटी) द्वारा प्रश्नगत निर्माता फर्म को कठोर

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

चेतावनी दी गई । फर्म का लाइसेन्स निलम्बित न करके किन कारणों से उसे चेतावनी देना पर्याप्त समझा गया इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु जांच कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

जब औषधि निरीक्षक, लखनऊ ने उस फर्म का लाइसेन्स सस्पेंड करने की संस्तुत की तो वह सस्पेंड क्यों नहीं किया गया क्योंकि जब जांच के लिये कोई मैटीरियल भेजा जाता है, तो यह लोग जांच को प्रभावित करने की कोशिश करतें हैं, तो क्या कारण है कि आज तक उसका लाइसेन्स सस्पेंड नहीं किया गया ? क्या संबन्धित अधिकारी के खिलाफ इसके लियें कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जो ड्रग इन्सपेक्टर होता है वह तो जिले की इकाई का अधिकारी होता है, और उसके ऊपर दूसरे अधिकारी भी होते हैं और जो उत्तर प्रदेश में ड्रग कंट्रोल ऐक्ट के तहत जो सबसे बड़ा अधिकारी है वह औषधि खाद्य एवं औषधि नियंत्रक है, तो यह जो संस्तुति इन्सपेक्टर ने भेजी, वह औषधि नियंत्रक के पास भेजी और वह निर्णय औषधि नियंत्रक को ही करना था और उस फर्म को कठोर चेतावनी दे दी गयी। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी कोई शिकायत करे या अपील करे, तो भारत सरकार के अधीन ड्रग कंट्रोल पास करता है। यह मामला चूँकि हाउस में उठा, इसी लिए इस बात की जांच की जा रही है कि औषधि नियंत्रक ने कठोर चेतावनी देना ही क्यों ठीक समझा, इस बात की जांच की जा रही है ।

नगरपालिका, शाहगंज के सचिव एवं लिपिक के विरुद्ध गबन संबंधी शिकायती-पत्र

*9--श्री छोटे लाल निर्भय (जिला जौनपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, शाहगंज, जनपद जौनपुर के सचिव तथा भविष्य निधि लिपिक द्वारा किये गये अस्थायी अग्रिम व स्टोर के सामान व भविष्य निधि की रकम के अपहरण एवं गबन की शिकायतें माह अक्तूबर, 1978 में शासन, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं जिलाधिकारी को गयी थी? यदि हाँ, तो उनके खिलाफ उपरोक्त के स्तर से कार्यवाही की गई? क्या उक्त दोनों कर्मचारी उपरोक्त गम्भीर विषय में निलम्बित किये गये हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)--

जी हाँ । प्राप्त शिकायतों की जाँच करने के पश्चात् नगरपालिका शाहगंज के तत्कालीन सचिव को आरोप पत्र दिया गया है और भविष्य निधि लिपिक के विरुद्ध भविष्य निधि की धनराशि में से रु0 10-81 पैसे की धनराशि के अपहरण एवं गबन की शिकायत सही पाने के कारण उनको विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाना शाहगंज में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दिया गया है, जिसकी पुलिस द्वारा जाँच अभी लम्बित है । अभी तक उक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित नहीं किया गया है । सचिव से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर एवं पुलिस द्वारा भविष्य निधि लिपिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने पर, यदि आवश्यक हुआ तो उनके निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी ।

बस्ती जिले के श्री ओंकार त्रिपाठी एवं श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का काटा गया विद्युत् कनेक्शन एवं विद्युत् का बिल

*10--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खंड रूधौली, तहसील बांसी, जनपद बस्ती के सर्वश्री ओंकार त्रिपाठी तथा सुरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासीगण ग्राम पड़री के अपने नलकूप की बिजली की लाइन को स्थायी रूप से काटने हेतु प्रार्थना-पत्र देने पर लाइन काट दी गई, परन्तु अन्तिम हिसाब अभी तक नहीं बनाया गया और पुनः इस वर्ष तक का बकाया बनाकर वसूली हेतु रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

श्री ओंकार त्रिपाठी के 7.5 अश्व शक्ति नलकूप की लाइन उनके द्वारा स्थायी विद्युत् विच्छेद हेतु प्रार्थना-पत्र देने पर दिनांक 10-5-1976 को काटी गयी परन्तु उनके द्वारा विद्युत् विच्छेद की तिथि के ऊपर विवाद खड़ा करने के कारण उनका अन्तिम हिसाब नहीं बनाया जा सका। इसी विकास खण्ड के दूसरे उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का 7.6 अश्व शक्ति के नलकूप कनेक्शन को स्थायी रूप से काटने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-9-76 को प्राप्त हुआ था। उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया होने के कारण पहले से ही कटा हुआ था और उनका पत्र प्राप्त होने पर इसको स्थायी रूप से कटा मान लिया गया, परन्तु उपभोक्ता द्वारा केबिल आदि उखाड़कर स्वयं अपने कब्जे में ही रखे रहने के कारण उनका अन्तिम हिसाब (फाइनल बिल) नहीं भेजा जा सका है।

उपभोक्तागण श्री ओंकार त्रिपाठी और श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के ऊपर बिजली कटने से पहले के समय का क्रमशः रु० 3525.24 और रु० 9729.46 माह 2/75 तक का बकाया है, जिसकी वसूली के लिये ही रिकवरी सार्टीफिकेट जारी किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सेठ जय दयाल इण्टर कालेज, बिसवाँ के छात्र श्री गणेश कुमार मल्ल की हत्या

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेठ जय दयाल इण्टर कालेज, बिसवाँ के छात्र श्री गणेश कुमार मल्ल को 2 अप्रैल, 1979 को चाकू लगने के बाद सदर अस्पताल, सीतापुर में दाखिल किया गया और उसका आपरेशन 4 अप्रैल, 1979 को किया गया तथा डाक्टर पांडेय की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु 5 अप्रैल, 1979 को हो गयी ? क्या इस सम्बन्ध में की गई पूर्ण कार्यवाही का ब्योरा सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

सेठ जय दयाल इण्टर कालेज, बिसवाँ के छात्र श्री गणेश कुमार मल्ल को चाकू लगने के पश्चात् दिनाँक 2-4-79 की 12.45 बजे अपरान्ह जिला चिकित्सालय सीतापुर में इलाज हेतु भर्ती किया गया था। उनका आपरेशन उनके पिता एवं रिश्तेदारों की सहमति से दिनांक 4-4-79 को डा० एम० पी० पाण्डे सर्जन द्वारा किया गया एवं दिनांक 5-4-79 को प्रातः 5-45 पर उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक को समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी। डा० पाण्डे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी।

12—डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल—

[8वें गुरुवार के लिए स्थगित]

नगरपालिका, शाहजहांपुर के कर्मचारी श्री अखलाक अहमद खां की पदोन्नति के संबंध में कथित शिकायती-पत्र

*13—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 30 नवम्बर, 1978 को और दिनांक 6 दिसम्बर, 1978 को सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को नगरपालिका, शाहजहांपुर ने एक कर्मचारी (श्री अखलाक अहमद खां) को गलत तौर से प्रमोशन दिये जाने की लिखित शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर आज (22-4-79) तक कोई कार्यवाही न किय जाने का आधार क्या है और उसके लिये उत्तर-दायी कौन है ? तथा उत्तरदायी अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भुता व फैजनगर, जिला बरेली को टाउन एरिया बनाये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

*14—श्री सियाराम सागर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुता व ग्राम फैजनगर, जनपद बरेली को टाउन एरिया बनाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र गत वर्ष प्राप्त हुआ था ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में जिले से रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है तो अब तक टाउन एरिया न बनाने का क्या कारण है ? यदि कार्यवाही चल रही है तो कब तक यह टाउन एरिया घोषित हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली की आख्या प्राप्त हो गई है परन्तु निदेशक, पंचायत राज की आख्या प्रतीक्षित है। उनकी आख्या प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

*15—श्री कृष्ण स्वरूप—

[7 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम ऐंच, बरका शाहपुर आदि, जिला मथुरा के नलकूपों के विद्युतीकरण की माँग

16—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम ऐंच, बरका व शाहपुर, जनपद मथुरा व ग्राम चौकी व बुखरारी, विकास खंड छाता के नलकूपों का विद्युतीकरण का आदेश भूतपूर्व बिजली मन्त्री सन् 1978 मई में दे चुके हैं और ट्यूबवेलों की फीस के 500 रुपये दाखिल हो चुकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

केवल ग्राम ऐंच के तेरह (13) व्यक्तियों ने नलकूप के कनेक्शन के लिए अर्नेस्ट मनी रु0 25 के साथ प्रार्थना–पत्र दाखिल किये हैं। ऐंच ग्राम में विद्युत लाइन उपलब्ध न होने की स्थिति में इन तेरह (13) व्यक्तियों को कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है।

ऐंच, बरका, शाहपुर, चौकी व बुखरारी ग्राम किसी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है अतः इन ग्रामों में बिजली लाइन का विस्तार सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है। इन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु केवल 13 नलकूप कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में इन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्तमान स्थिति में सम्भव नहीं है।

इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। इन ग्रामों में बिजली लाइन का विस्तार न किये जा सकने का कारण कनेक्शन हेतु समुचित संख्या में प्रार्थना पत्र–उपलब्ध न होना है।

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*17—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के अन्तर्गत किसानों की कितनी जमीन ली गई है ? क्या सभी किसानों को मुआवजा दे दिया गया ह ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए कुल 3000.30 एकड़ भूमि अध्याप्त की गई है। मुआविजे की कुल धनराशि 18,97,101.22 रु0 में से 18,64,216.14 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। शेष 32,885.08 रु0 की धनराशि का भुगतान भूमि संबंधी विवाद होने के कारण अभी नहीं किया जा सका है।

बाराबंकी जिले के ग्राम कोठी के श्री मोहम्मद की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु

*18—श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम कोठी पो0 कोठी उसमानपुर में दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 को पीर मोहम्मद नामक युवक की मृत्यु बाजार कोठी के थाना कोठी को खींची गयी बिजली लाइन के टूटे तार के करेंट लग जाने से हुई है ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को अब तक क्या आर्थिक सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री पीर मोहम्मद की मृत्यु थाना कोठी के अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से खींची गई विद्युत् लाइन के टूटे जीवन्त तार के सम्पर्क में आने से दिनांक 23–10–78 को हुई थी। अवैधानिक ढंग से खींची गई यह लाइन परिषद् की नहीं थी: अतः मृतक के आश्रितों को परिषद् द्वारा क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इस्लाम नगर, बदायूं के डाक्टर एवं लिपिक के विरुद्ध गबन की शिकायत

*19--श्री ब्रज बल्लभ (जिला बदायूं)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इस्लाम नगर, जनपद बदायूं स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर एवं क्लर्क द्वारा इस वर्ष कुछ धन का गोलमाल किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या अब तक उचित कार्यवाही की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस्लाम नगर, बदायूं में तैनात लेखा लिपिक द्वारा 7,857.70 रु0 की धनराशि का दुर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है। 19-3-79 को दुर्विनियोग की हुई धनराशि को राजकीय कोषागार में लेखा लिपिक से जमा करा लिया गया है। लेखा लिपिक के ऊपर जो दुर्विनियोग के आरोप हैं उसके लिय अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। चिकित्साधिकारी के विरुद्ध भी आहरण एवं वितरण अधिकारों को प्रयोग में लाते समय पूर्ण सतर्कता न बरतने के कारण भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। विशेष सम्प्रेक्षा कराने की भी ब्यवस्था की जा रही है।

नगरपालिका, फैजाबाद के नालों को पक्का किये जाने की मांग

*20--श्री जयशंकर पांडेय (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद नगरपालिका में लगभग सभी नाले कच्ची मिट्टी के कारण लगातार दबते जा रहे हैं और गन्दे पानी का बहाव रुक गया है जिससे भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो सरकार गन्दे नालों (कच्ची मिट्टी के) को पक्के नालों में बदलने के लिये क्या-क्या कार्यवाही करने जा रही है और पक्के नालों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

यह सही है कि नगरपालिका फैजाबाद के सभी नाले कच्चे हैं किन्तु यह सत्य नहीं है कि वे दबते जा रहे हैं। नाले कच्चे होने के कारण सिल्टिंग एवं जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं जिनमें पानी रुका रहता है।

बीमारियों की रोकथाम के लिये समय-समय पर कीटनाशक दवाओं आदि का छिड़काव किया जाता है !

पालिका की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक न होने के कारण उन समस्त नालों को पक्का कराना संभव नहीं है किन्तु कतिपय नालों जो पक्का कराया जा रहा है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार

*21--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा विश्व-विद्यालय की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां। इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है किन्तु कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

*22—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*23-24—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[8वें गुरुवार के लिए स्थगित]

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में परिवार नियोजन अनुसंधान कार्य

*25—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत परिवार नियोजन हेतु अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमाशंकर कौशिक—

प्रदेश में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत परिवार नियोजन हेतु अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किये जाने की कोई योजना नहीं है अपितु भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के तत्वाधान में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में परिवार नियोजन अनुसंधान कार्य हेतु एक इकाई कार्यरत है।

*26—श्री ईश्वर प्रसाद—

[24-5-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

जिला अस्पताल, फैजाबाद के बाल रोग विशेषज्ञ की आर0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर नियुक्ति

*27—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फैजाबाद में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो जाने के बाद वहां पर पूर्व बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति आर0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर किए जाने का क्या आधार था? क्या सरकार इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए सोच रही है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जिला अल्पताल फैजाबाद में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप साधारण ग्रेड के पूर्व बाल रोग विशेषज्ञ की उनकी स्वयं की प्रार्थना पर इसी अस्पताल में आर0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर नियुक्त किया गया था। चूंकि इस विशिष्ठता में दो अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, अतएव शासन द्वारा इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों का स्थानान्तरण

*28—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय की 6 नर्सों तथा विद्यार्थी नर्सों का विभागीय या प्रशासनिक जांच के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के आधार पर या अन्य कारणों से मार्च, 1979 में स्थानान्तरण हुआ था? क्या यह सत्य है कि तीन विद्यार्थी नर्सों का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां । स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद की 3 स्टाफ नर्स तथा 3 छात्र नर्सों का प्रशासनिक कारणों से मार्च, 1979 में स्थानान्तरण किया गया था। किन्तु बाद में अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन विद्यार्थी नर्सों का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया।

जूनियर डाक्टरों का पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स

*29—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1979 में प्रदेश के जूनियर डाक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*30—श्री मन्जूर अहमद—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेडिकल कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षा में प्रवेश की नई पद्धति

*31—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन में भर्ती की वर्तमान पद्धति बदलने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो नई पद्धति की रूप रेखा क्या होगी और उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की नई पद्धत्ति की रूप रेखा तैयार की जा रही ह और उसे जनवरी, 1980 से लागू करने का विचार है ।

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*32—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग के निरीक्षक वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो 18 से 25 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, स्थायी नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर, मलेरिया इन्सपेक्टर, सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के पद अस्थाई हैं। अतः अस्थायी पदों के समक्ष पदधारियों का स्थायीकरण फिलहाल अपरिपक्व है ।

विद्युत वितरण मण्डल, देहरादून के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र

*33—श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून मन्सूरी विद्युत् बोर्ड कर्मचारियों की ओर से अधीक्षण अभियन्ता के विरोध में कोई गम्भीर आरोप-पत्र मई मास, 1979 उनको मिला है ? यदि हां, तो शासन ने सम्बन्धित आरोप-पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सचिव, मंसूरी-देहरा विद्युत् कर्मचारी संघ, देहरादून का एक शिकायती/आरोप-पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1979 जो कि विद्युत् वितरण मंडल, देहरादून के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध है परिषद् में मई मास में प्राप्त हुआ है । परिषद् इस पर मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा जाँच करा रही है ।

बरेली एवं मेरठ नगर पालिकाओं को नगरमहापालिका बनाये जाने पर बिचार

*34—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली एवं मेरठ नगर पालिकाओं को नगरमहापालिका बनाने का विचार है ? यदि हां, तो यह नगरपालिकाएं कब तक नगरमहापालिकाएं बना दी जायेंगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

बरेली और मेरठ नगरपालिकाओं को नगरमहापालिका बनाने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है । विचारोपरान्त यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

*35—श्री जगन्नाथ सिंह—

[8 वें गुरूवार के लिए स्थगित]

बहराइच नगर में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण

*36—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच नगर में पानी पीने की उचित व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी के बंगले के पास वर्ष 1978-79 में बड़ा ट्यूववेल बनाया गया है परन्तु बड़ी मोटर मशीन के अभाव में चालू न होने के कारण गम्भीर जल संकट बना हुआ है ? यदि हां, तो कब तक मशीन उपलब्ध कराकर पानी संकट दूर कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

बहराइच नगर में पीने के पानी के लिये उचित व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी के बंगले के पास दिनांक 12-1-79 को एक नलकूप का निर्माण कार्य पूरा हुआ था । उसमें वास्तव में 5400 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का पम्प सेट लगाया जाना था और जिसके आपूर्ति आदेश दिये जा चुके हैं, जिसे अक्टूबर, 1979 तक प्राप्त होने की आशा है । इतनी बड़ी क्षमता का पम्प न मिलने के कारण वर्तमान समय में केवल 200 लीटर प्रति मिनट का एक पम्प सेट अस्थायी रूप से लगाकर नलकूप चालू कर दिया गया है । नगर में कोई जल संकट नहीं है ।

फिरोजाबाद के सार्वजनिक नल के पानी से निकाला हुआ कैंचुआ

*37--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के शास्त्री बाजार में स्थित स्टैन्ड पोस्ट (सार्वजनिक नल) पर दिनाँक 15 अप्रैल, 1979 को प्रश्नकर्ता द्वारा पीने का पानी जग में भरने पर समय करीब एक बजे दिन के नल से पानी के साथ एक कैंचुआ नामक कीड़ा निकला जिसकी प्रभारी अधिकारी तथा चीफ सेनेटरी निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत कर सैम्पिल लेने का आग्रह किया गया? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

यह सही है कि दिनांक 15-4-79 को श्री रघुवर दयाल वर्मा, विधायक ने शिकायत की थी कि शास्त्री बाजार, फिरोजाबाद के सार्वजनिक नल के पानी के साथ में कैंचुआ नामक कीड़ा निकला विधायक महोदय द्वारा लाया गया पानी का नमूना प्रभारी अधिकारी नगर पालिका, फिरोजाबाद द्वारा जाँच के लिये संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ को भेजा गया था। राज्य स्वास्थ्य संस्थान ने सूचित किया है कि नमूना जाँच योग्य इसलिये नहीं है क्योंकि संस्थान द्वारा अधिकृत शीशी में तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्रित नहीं किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत् सब स्टेशन, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में रोस्टरिंग आदेश का पालन

1--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या बिद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोस्टिंग सम्बन्धी आदेश के बाद भी, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के मुख्य विद्युत् सब-स्टेशन से मऊ, महमूदाबाद, खैराबाद, जिला आजमगढ़ में विद्युत् कटौती माह, अक्तूबर से दिसम्बर, 1978 व जनवरी, 1979 में नहीं की गयी थी? क्या इस सम्बन्ध में रेड पार्टी ने जांच किया था? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता तृतीय के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के मुख्य विद्युत् सबस्टेशन में रोस्टिंग संबंधी परिषद् के आदेशों का पालन ठीक रूप से नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में रेड पार्टी ने जांच की और अपनी रिपोर्ट 6-2-79 को प्रेषित की। विचारोपरान्त की गयी अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 1-5-79 को संबंधित सहायक अभियन्ता तृतीय (श्री ओंकार नाथ सिंह) विद्युत् वितरण उपखंड, मऊ से स्पष्टीकरण माँगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी।

2--श्री राम नरायन वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बस्ती जिले का डाक्टर विहीन कठेला का अस्पताल

3--श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र इटवा में कठेला नामक स्थान पर सरकारी अस्पताल है जहां से डाक्टर का ट्रान्सफर

माह, अप्रैल, 1973 में हो गया ? यदि हां, तो कठेला नामक स्थान पर किसी डाक्टर की नियुक्ति अभी तक न होने का कारण क्या है और नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बरेली के भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० यू० पी० सिंह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी (डा० यू० पी० सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनेकों अनियमितताओं की जांच अप्रैल, 1978 में अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा) द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जी हां । जांच रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली (डा० यू० पी० सिंह) के विरुद्ध लगाये गये कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं ।

5-6--श्री राम आसरे वर्मा--

[8 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

7-8--श्री देव कुमार यादव--

[7 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9--श्री हिम्मत सिंह--

[31-5-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 29 द्वारा उत्तरित]

श्री दफेदार सिंह, बाग कालीचरन आश्रम रोड, मैनपुरी का विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थन-पत्र

10--श्री माधव (जिला एटा)--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता व श्री जसवीर सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को दफेदार सिंह उत्तरी छपही बाग कालीचरन आश्रम रोड, मैनपुरी के बिजली कनेक्शन पंखा लाइट के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवती रमण सिंह--

जी हां, एक पत्र श्री दफेदार सिंह, निवासी उत्तरी छपही, बाग कालीचरन आश्रम रोड, मैनपुरी को प्रकाश एवं पंखा के लिये विद्युत् कनेक्शन देने हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की गई। श्री दफेदार सिंह तथा उनके साथ के चार अन्य आवेदकों के सर्विस कनेक्शन चार्जेज का भुगतान करने तथा कनेक्शन की अन्य शर्तें पूरी करने हेतु सूचना भेज दी गई है। पैसा जमा करने तथा कनेक्शन की अन्य आवश्यक

औपचारिकतायें पूरी करने के तुरन्त बाद उक्त आवेदकों को बिजली देने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शैलेश मणि त्रिपाठी, स्टोर कीपर, विद्युत् विभाग, गोरखपुर द्वारा मकान का निर्माण

11—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री शैलेश मणि त्रिपाठी (स्टोर कीपर) कान्स्ट्रक्सन व डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, बिजली विभाग, गोरखपुर कितने वर्षों से वहीं तैनात हैं ? क्या वे उसी जिले के निवासी भी हैं ? क्या अपनी अवैध कमाई से अपनी पत्नी के नाम गोरखपुर शहर के जटेपुर मुहल्ले में एक शानदार भवन भी अभी हाल में बनाया है ? क्या सरकार शीघ्र उनकी सम्पत्ति की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री शैलेश मणि त्रिपाठी, स्टोर कीपर 19-10-70 से गोरखपुर में परिषद के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं तथा वे गोरखपुर जिले के ही निवासी हैं ।

श्री त्रिपाठी के कथनानुसार उनकी पत्नी ने अपनी पैतृक सम्पत्ति एवं अपने सम्बन्धियों की सहायता से अब तक चालीस हजार रुपये की लागत से एक मकान गोरखपुर के जटेपुर मोहल्ले में बनवाया है । इसके निर्माण में व्यय धन की वैधता के बारे में विद्युत परिषद के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई जा रही है ।

तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा अस्पताल के निर्माण की मांग

12—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर के जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना कहां-कहां की है ? क्या मन्त्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक बड़े ग्राम तथा न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना की जा सके ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग की कार्यवाही

13—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरी सम्पत्ति सीलिंग कानून प्रदेश में लागू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो सीलिंग की क्या सीमा है ? प्रदेश के कितने नगरों में सीलिंग के अन्तर्गत मकानों का तथा भूमि का अधिग्रहण किया गया है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां, नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 प्रदेश की 12 नगर बस्तियों-कानपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून, अलीगढ़ और सहारनपुर में दिनांक 17 फरवरी, 1976 से लागू किया गया है । प्रत्येक नगर-बस्ती में रिक्त भूमि धारण करने की सीमा तथा

भूमि अधिग्रहण का ब्यौरा संलग्न सूची में दिया हुआ है । किसी भी नगर-बस्ती में भवन का अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 872 पर)

गोरखपुर डोमनीगढ़ नाले में धर्म शाले के निर्माण से लिया कांक्रीट का नमूना

14—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नगर पालिका सीमा में निर्माण हो रहे नालों से जल निगम के किसी अभियन्ता द्वारा सीमेन्ट बालू के मिश्रण का नमूना लेकर जून-जुलाई, 1978 के लगभग सार्वजनिक निर्माण विभाग की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला को भेजा गया ? यदि हां, तो प्रयोगशाला से उक्त सीमेन्ट बालू के मिश्रण के बारे में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

गोरखपुर में निर्माणाधीन धर्मशाला डोमनीगढ़ नाले के मोहनपुर एवं अधियारी-बाग स्थल से कन्क्रीट के सैम्पुल जांच अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (शोध एवं विकास), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ एवं अभियन्ता 22 वां मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, मिर्जापुर ने लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को लखनऊ स्थित प्रयोगशाला को माह जुलाई, 1978 में भेजा था । सार्वजनिक निर्माण विभाग की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला से जांच आख्या प्राप्त हुई, उसके अनुसार सीमेन्ट बालू के मिश्रण में सीमेन्ट की कमी सिद्ध नहीं होती ।

बेसिक हेल्थ वर्कर संघ की मांगें

15—श्री गुंजेश्वर (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनके स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कस एसोसिएशन की मांगें तथा उनसे सम्बन्धित स्थिति संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 873 पर)

16—श्री ईश्वर प्रसाद श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद की चीनी मिलों द्वारा शीरा स्टोरेज टैंक का निर्माण

17—श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद जिले की किस-किस चीनी मिल ने उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 के प्राविधानों के अन्तर्गत शीरा स्टोरेज टैंकों का निर्माण करा लिया है ?

किस मिल ने उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत शीरा स्टोरेज टैंकों को निर्माण हेतु निर्धारित फण्ड में पूरा रुपया जमा कर दिया है तथा किस-किस मिल पर उक्त फण्ड में कितना रुपया जमा करना शेष रह गया है ? सरकार ने किस-किस मिल के विरूद्ध उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्राविधानों के उल्लंघन में मुकदमा चलाये का आदेश दिया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

मेरठ जिले में मवाना तथा सकौती टांडा चीनी मिल, मुजफ्फरनगर जिले में खतौली तथा शामली चीनी मिल और गाजियाबाद जिले में सिम्भावली चीनी मिल में नियमानुसार स्टोरेज टैंकों की पर्याप्त व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त मेरठ जिले में दौराल तथा गाजियाबाद जिले में मोदी चीनी मिलों में सीधे पाइप लाइन द्वारा शीरे का संभारण होता है ।

मेरठ जिले में दौराला, बागपत तथा मवाना, मुजफ्फरनगर जिले में शामली तथा गाजियाबाद जिले में मोदी चीनी मिलों ने निधि में देय धनराशि जमा कर दी है ।

मेरठ जिले में जसवंत मोहिउद्दीनपुर तथा सकौती टांडा, मुजफ्फरनगर जिले में खतौली, मंसूरपुर तथा रोहानाकलां और गाजियाबाद जिले में सिम्भावली चीनी मिलों को उक्त निधि में धनराशि जमा करना शेष रह गया है। जिसके मिलवार आंकड़े संलग्न हैं ।

किसी भी चीनी मिल के विरुद्ध इस संबंध में मुकदमा चलाये जाने की कार्यवाही अभी नहीं की गयी है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे 875 पर)

देवरिया जिले के ग्राम मठिया तथा धनगड़ा में विद्युत् लाइन से अग्निकाण्ड और मठिया बुजुर्ग का ट्रांसफार्मर

18---श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या विद्युत् मन्त्री को यह ज्ञात है कि देवरिया के विकास खण्ड के ग्राम मठिया बुजुर्ग के ट्रान्सफार्मर से आग लग जाने से ग्राम मठिया तथा धनगाड़ा जलकर भस्म हो गया ? यदि हां, तो जिन लोगों के घर जल गए उनकी क्षति पूर्ति हेतु मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और कितना-कितना और नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

विकास खण्ड खड्डा के ग्राम मठिया तथा धनगडा में दिनांक 4-4-1979 को आग लग गई थी, जिससे इन ग्रामों में स्थित कुछ झोपड़ियां जल गई। यह आग मठिया बुजुर्ग में लगे ट्रान्सफार्मर से नहीं लगी। यह आग उक्त ट्रान्सफार्मर से उत्तर दिशा को जाने वाली एल० टी० लाइन के ठीक नीचे रखे ईख के पत्ते के बोझ में आग लग जाने के कारण लगी । बिजली की इस लाइन का तनाव ठीक होने तथा लाइन के पास उक्त स्थान पर स्थित बांस की कोठ से लाइन की दूरी सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत समुचित होने की स्थिति में आग लगने का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत् परिषद् का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19--श्री श्रीनारायण--

क्या विद्युत् मन्त्री उक्त ट्रान्सफामर को कांटे से घिरवाकर सुरक्षित कराने तथा लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ग्राम मठिया बुजुर्ग में स्थित ट्रान्सफार्मर 'डबल पोल' पर रखा हुआ है तथा इस 'डबल पोल' पर नियमानुसार कांटे का तार तथा खतरे का बोर्ड लगा हुआ है तथा किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही नहीं की गयी है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शराब और ताड़ी के ठेके से आमदनी

20--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों 1975-76, 1976-77, 1977-78 में प्रत्येक वर्ष शराब और ताड़ी के ठेके से सरकार को कितनी आमदनी हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शराब बन्दी से प्रभावित लोगों को, जो बेरोजगार हो गये उनके खपाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

पिछले तीन वर्षों में आय के वर्षवार आंकड़े संलग्न हैं। शराब बन्दी से हुए बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कोई योजना नहीं है किन्तु ताड़ी बन्दी से बेरोजगार हुये व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा तालवस्तु योजना कार्यान्वित की गयी है।

बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्डपुर की जीप

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 876 पर)

21--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य केन्द्र, वर्डपुर, जनपद बस्ती के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (यूनीसेफ) द्वारा दी गयी है ?यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतलाएगी कि वह कहां प्रयोग में लाई जा रही है और यदि नहीं, तो अब तक स्वास्थ्य केन्द्र वर्डपुर, बस्ती पर न भेजे जाने के क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां। यूनीसेफ द्वारा दी गई गाड़ी विभिन्न चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिला मुख्यालय पर प्रयोग किया जा रहा था, किन्तु अब (5-6-1979 को) उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्डपुर में भेज दिया गया है।

गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरगांवा के कर्मचारियों का मकान किराया-भत्ता

22--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरगांवा के गांव में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं को जिनके

मुख्यालय भी गांव में है, नगर विकास भत्ता मकान किराया भत्ता मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत कार्यकर्त्ताओं को भी यह भत्ता मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरगांवा के उन सभी कार्यकर्त्ताओं को मकान किराया भत्ता दिया जाता है, जो राजाज्ञा संख्या जी-1-883/दस-140-65, दिनाक 25 जुलाई, 1968 के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं किन्तु उन्हें नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता है ।

प्रदेश के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत वे कर्मचारी भी मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं जो उक्त राजाज्ञा की परिधि में आते हैं।

शराब से हुई आय

23--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978-79 में वित्तीय वर्ष 1977-78 के अनुपात में उत्तर प्रदेश में देशी एवं अंग्रेजी शराब से कुल कितनी आय कम हुई और इस घाटे को किस स्रोत से पूरा किया जायगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन जिलों में शराब बन्द हो गई थी उनके सीमावर्ती जिलों में वित्तीय वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में कितनी-कितनी आय सरकार को प्राप्त हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

वर्ष 1977-78 की तुलना में वर्ष 1978-79 में लगभग 17,13,72,346 रु0 की आय कम हुई है । इस क्षति की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में लगभग 9 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं और शेष क्षति की प्रतिपूर्ति के निमित्त राज्य सरकार ने औद्योगिक अल्कोहल तथा अन्य मदों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कार्यवाही की है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1977-78 में 4 सीमावर्ती जिलों में 5,64,93,004 रु0 की आय हुई है तथा वर्ष 1978-79 में 17 सीमावर्ती जिलों में लगभग 14,04,76,441 रु0 की आय हुई है ।

(इसमें संलग्नक में उल्लिखित जिलों के विरुद्ध अंकित मास की सूचना उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नहीं है ।)

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 877 पर)

फैजाबाद शहर में पानी की टंकी का कथित निर्माण

24--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर में जल निगम द्वारा 1976-77 तथा 1977-78 में पानी की कितनी बडी टंकियां स्थापित की गई थीं तथा कितनी लागत आयी । कितनी पानी सप्लाई करने वाली टंकियों के ट्रान्स-फारमर जल गये और उसके क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जल निगम द्वारा वर्ष 1976-77 तथा वर्ष 1977-78 में पानी की कोई टंकी फैजाबाद शहर में स्थापित नहीं की गई।

पानी की टंकियों में ट्रान्सफारमर नहीं लगता है इसलिये इसके जलने का प्रश्न ही नहीं है ।

नव निर्वाचित सदस्य, चौधरी नौनिहाल सिंह द्वारा शपथ ग्रहण

श्री लक्खी सिंह—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप कैसे खड़े हो गये बिना इजाजत के ? यह लिखा नहीं जायगा।

(चौधरी नौनिहाल सिंह ने सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।)

[कांग्रेस (आई0) के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं ।]

बस्ती जिले के निर्वाचन क्षेत्र पूरब बस्ती के ग्राम परेवा में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर पूरब-बस्ती, ग्राम परेवा में भीषण अग्निकान्ड से 18 घरों की बस्ती पूर्ण रूप से जल कर नष्ट हो गयी है तथा एक पशु भी जल कर मर गया है और पशु तथा मनुष्य के रहने, खाने पहनने का वस्त्र भी नहीं बचा । औरत तथा छोटे-छोटे बच्चे बेपनाह हो रहे हैं तथा भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । इस गम्भीर दैविक प्रकोप की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को सूचना होने के बाद भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा न तो कोई तात्कालिक सहायता कार्य ही पहुंचा। यह सूचना मुझे तार द्वारा मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता द्वारा रात को प्राप्त हुयी ।

उपरोक्त घटना को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्राम के दुखी निवासियों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाय । ये लोग घाघरा की गत बाढ़ से पहले से ही तबाह थे । इस संबंध में प्राप्त तार संलग्न† है ।

कानपुर के जाजमऊ चौकी के इन्चार्ज द्वारा पिटाई से फर्रुखाबाद निवासी श्री जाहिद उर्फ मुन्ना की मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 4 जून, 1979 की रात्रि को कानपुर नगर की जाजमऊ पुलिस चौकी इन्चार्ज द्वारा फर्रुखाबाद निवासी मोटर साइकिल मेकेनिक श्री जाहिद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करके इतनी पिटाई की गयी कि 5 मई को मुन्ना की उर्सला अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अस्पताल में भर्ती कराने के पूर्व पुलिस ने मुन्ना को जेल में बन्द कराना चाहा था किन्तु उसके शरीर पर गम्भीर चोटें होने के कारण जेल अधिकारियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†छापा नहीं गया ।

[श्री बाबू राम शुक्ल—]

नेमुन्ना को लेने से इंकार कर दिया। मुन्ना का दोष केवल इतना था कि घटना के दो तीन दिन पहले जाजमऊ चौकी इन्चार्ज, श्री जय शंकर पाण्डेय ने मुन्ना से अपनी मोटर साइकिल को मरम्मत के लिए कहा था जिसमें मुन्ना ने असमर्थता व्यक्त कर दी थी। इसीलिए बदले की भावना से श्री पाण्डेय ने मुन्ना को हिरासत में लेकर पिटाई की। घटना की सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि कानपुर के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री विशाल मणि त्रिपाठी ने भी स्वीकार किया है कि श्री पाण्डय ने श्री मुन्ना से अपनी मोटर साइकिल को मरम्मत के लिए कहा था जिसमें मुन्ना ने असमर्थता व्यक्त कर दी थी। श्री त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विषय में कहा कि रिपोर्ट में मुन्ना के शरीर पर एक दर्जन घातक चोटों के निशान के साथ-साथ सिर में भी एक गम्भीर चोट पायी गयी। सम्भवतः इसी चोट के कारण मुन्ना की मृत्यु हो गयी है।

उपर्युक्त घटना के प्रति कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र के नागिरकों में कितना व्यापक क्षोभ एवं क्रोध है जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कल दिनांक 6 मई को कुछ क्रुद्ध भीड़ ने जाजमऊ पुलिस चौकी पर पथराव किया, चौकी का फर्नीचर तथा कुछ साइकिलें तोड़ दी तथा मिट्टी का तेल डाल कर चौकी में आग लगा दी। मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार जाजमऊ क्षेत्र में अब भी तनाव बना हुआ है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह जाजमऊ चौकी इन्चार्ज श्री जय शंकर पाण्डेय के विरुद्ध 302 का मुकदमा कायम कर उन्हे हत्या के अभियोग में अविलम्ब गिरफ्तार करने तथा सम्पूर्ण घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने के आदेश देने की कृपा करें। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सम्पूर्ण घटना के विषय में सदन को अवगत कराने हेतु एक विस्तृत वक्तव्य देने का कष्ट करें।

मान्यवर, वक्तव्य का आदेश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कानपुर नगर की घटना है। मन्त्री जी इसकी जांच करा लें तथा एक वक्तव्य दे दें। घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में वक्तव्य देना आवश्यक है।

बाराबंकी जिले के निन्दूरा ब्लाक में गांव सभा समरदा के पास रेगुलेटर द्वारा शारदा सहायक का पानी कल्याणी में डालने से बाढ़ का समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, तहसील फतेहपुर के निन्दूरा ब्लाक जिला बाराबंकी में गांव सभा समरदा में जो रेगुलेटर शारदा सहायक नहर पर बना है वहीं पर शारदा सहायक नहर का ज्यादा पानी कल्याणी नदी में डाला जाता है, जिससे कि तहसील फतेहपुर में नदी के किनारे जब भी नहर चलती है बाढ़ आ जाती है जिस कारण से किनारे के खेतों में पानी भर जाता है। जिन किसानों की जमीनें नदी के आस-पास पड़ती हैं उनमें पानी भरने से फसलें नहीं हो पाती, फलस्वरूप भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है।

इधर सरकार तथा बैंकों ने भी वसूली तेज करके किसानों की जमीनों की नीलामी एवं गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर रही है, जो अन्याय है। इस सम्बन्ध में अब तक सैकड़ों प्रार्थना-पत्र किसानों की ओर से दिये गये हैं लेकिन किसानों का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई कार्यवाही न हो सकी।

बाराबंकी जिले के सिन्दूरा ब्लाक में ग्राम–सभा समरदा के पास रेगुलेटर द्वारा शारदा सहायक का पानी कल्याणी में डालने से बाढ़ की समस्या को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग हैं कि कल्याणी नदी की गहराई को बढ़वा दिया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है और जब तक इस समस्या का हल नहीं किया जाता हैं किसानों की वसूलयाबी स्थगित करने का आदेश दिया जावे।

ग्राम सभा खजूरडीह, जिला फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों में हरिजनों की भूमि के प्रयोग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम सभा खजूरडीह, विकास खण्ड कटेहरी, जिला फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनने वाले सम्पर्क मार्ग को हरिजनों की भमि पर जबरन बनाने की तरफ इस लोक महत्व की सूचना से माननीय सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, उक्त विकास खण्ड के अन्तर्गत पेहतीथूर (औरंगनगर) से मंशापुर तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग बन रहा है। ग्राम सभा खजूरडीह के आबादी के अन्दर पुराना रास्ता (डहर) मौजूद है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी पुराने रास्ते से सम्पर्क मार्ग न बनवा कर ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना से तथा जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की नीयत से गरीब हरिजनों के खेतों से जबरदस्ती पटवा कर सम्पर्क मार्ग बनवा रहे हैं।

मान्यवर, इस तरह हरिजनों के खेतों से सड़क बन जाने से हरिजन बिना खेत के हो जायेंगे ओर भूखों मरने लगेंगे जिससे शासन की छवि धूमिल होगी और शासन के प्रति लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा होने लगेगी। इसी सम्बन्ध में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को नुकसानों की फोटो कापी के साथ एक प्रार्थना–पत्र दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि हरिजनों की फसल एवं भूमि की क्षतिपूर्ति शासन से अविलम्ब दिलवाया जाय तथा हरिजनों के साथ जबरदस्ती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें और शासन से इस लोक महत्व की सूचना पर वक्तव्य देने का निदेश करें।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष––

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री हरीराम वर्मा––

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष––

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

नोट––[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

हरिजनों की जमीन लेकर खाद्यान्न योजना में जो सड़क बनायी जा रही है उसकी मंत्री जी जांच करा लें।

इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता इसलिए काश्तकारों की जमीन नहीं लेनी चाहिये। मंत्री जी जांच करा लें।

लखनऊ में राजकीय परिवहन निगम के चालकों तथा परिचालकों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय, कल से उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम के लखनऊ स्थित कैसरबाग तथा चारबाग डिपो के चालकों एवं परिचालकों द्वारा हड़ताल कर दिये जाने से बसों का चलना बिल्कुल ठप है। परिणामतः इस भीषण गर्मी में हजारों यात्रियों को घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। हड़तालियों की शिकायत है कि वह पीटे जाते हैं और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय, लखनऊ नगर तथा उसके बाहर जो बसें लखनऊ डिपो से कानपुर सीतापुर, खीरी, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, इलाहाबाद आदि जाती हैं, उनका भी चलना बंद है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है परन्तु सरकार द्वारा स्थिति सामान्य बना पाने में असफल रहने के कारण संकट उत्पन्न है।

अतएव लोक महत्व की इस सुनिश्चित समस्या को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर तुरन्त कोई हल निकालने का अनुरोध करता हूं। उचित होगा कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने इस संबंध मे जो प्रयास किये हों, उनकी जानकारी सदन को दे दें तथा यह भी बताने की कृपा करें कि स्थिति कब सामान्य बना दी जायगी।

फैजाबाद जनपद में बिजली कर्मचारियों की धांधली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय, मैं आपके माध्यम से फैजाबाद जनपद में बिजली कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे धांधली की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय, फैजाबाद जनपद में हजारों बिजली के कनेक्शन गत माह से अकारण काट दिये जाने के कारण जनता में गहरा क्षोभ व असंतोष व्याप्त हो गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कनेशन काटने के पूर्व कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई। तमाम ऐसे लोगों के भी कनेशक्न काट दिये गये हैं, जिन पर बिजली का कोई बकाया नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझकर जनता से नाजायज पैसा वसूलने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। साथ ही साथ बिजली के बिलों में भी बड़े पैमाने पर धांधली है। फैजाबाद के जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें पिछले पांच महीने से बिजली का कोई बिल दिया ही नहीं गया। फतेहगंज में प्रकाश कुमार गुप्ता का कनेक्शन अवैध तरीके से इसलिये काट दिया गया कि उन्होंने इस विभाग से अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी। इसी प्रकार की अनेकों घटनायें रोज घट रही हैं और आम जनता बिजली विभाग के इस रवैये से अत्यन्त पीड़ित है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीतापुर जिले के महमूदाबाद कस्बे में कर्मचारियों की उदासीनता से गन्दगी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

महोदय, कस्बा महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में नगरपालिका के कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कस्बे में बढ़ती हुयी गंदगी के कारण वहां के निवासियों के जीवन के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ।

महोदय, भीषण गर्मी के कारण कस्बे में मच्छर, मक्खी का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया है । कस्बे में सफाई न होने के कारण कुछ मुहल्लों में इतनी दुर्गन्ध पैदा हो गयी है कि वहाँ के निवासियों के लिये रहना कठिन हो रहा है । अनेकों बीमारियां, महामारियों का रूप धारण कर रही हैं । इस वर्ष ब्लीचिंग पाउडर, बी० डी० टी० तथा कालरा वैक्सीन आदि का छिड़काव न होने के कारण अनेकों लोग मलेरिया और कालरा से अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं । इस समय कस्बे की सड़कों तथा नालियों की इतनी दुर्दशा है कि कोई भी व्यक्ति कस्बे में घुसने पर अपने को बहुत ही कष्टमय महसूस करता है । कस्बे के निवासियों का जीवन नरकमय है। यदि गंदगी को दूर करने की कोई व्यवस्था न की गयी तो निकट भविष्य में सैकड़ों आदमियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। नगर की इस दयनीय दशा को देखते हुये नगर निवासियों में सरकार तथा कर्मचारियों के प्रति द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है । यदि सुधार न हुआ तो जनता वहां के कर्मचारियों के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ने के लिये कृत संकल्प हो चुकी है ।

अतः इस अविलंबनीय महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि महमूदाबाद कस्बे की सड़कों की स्थिति सुधार कर गंदगी दूर कराने की व्यवस्था करायें जिससे वहां के निवासियों के जीवन की रक्षा की जा सके।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मई, 1979 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 30 मई, 1979 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जून, 1979 को प्राप्त हो गया है ।

जनपद कानपुर के अन्तर्गत चौराहे में निकाली जा रही बालू व मोरंग से रेल की पटरी तथा सड़क धंसने का खतरा तथा आवागमन अवरुद्ध होने की आशंका के सम्बन्ध में वक्तव्य

(उद्योग मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। दिनांक 17 मई को एक मामला यहां हाऊस में उठा था जिसमें मुझे आज का समय मिला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उद्योग मंत्री को बुला लिया है । इसलिये जब विशेषाधिकार का मामला प्रश्न के लिए आयेगा तब आप अपनी बात कहें। अभी आप बैठें ।

उप मुख्य मन्त्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

शासन ने ग्राम दौलतपुर कछार व रसूलपुर भलार, तहसील भोगिनीपुर, जिला कानपुर में बालू/मौरंग क्षेत्रों का पट्टा 5 वर्ष की अवधि के लिए 9,15,000 रु0 श्री कुंवर बहादुर सचान को स्वीकृत करने के आदेश जिलाधिकारी कानपुर को दिये। तदनुसार उक्त धनराशि का चौथाई भाग दिनांक 3 जनवरी, 1978 को राजकीय कोष में जमा कराया गया किन्तु पट्टा निष्पादित होने में इस कारण विलम्ब हुआ कि खनन क्षेत्र से बालू/मौरंग निकालने के लिये ठेकेदार को रास्ता नहीं दिया जा सका। इस समस्या का समाधान जिलाधिकारी तथा सा0 नि0 वि0 के अधिकारियों न मिलकर किया और विवादग्रस्त रास्ते का कब्जा दिनांक 15-1-79 को दिया गया तथा पट्टा निष्पादन कराया गया। उक्त ठेकेदार ने प्रश्नगत क्षेत्र में बालू/मौरंग निकालने का कार्य लगभग 4 माह पहले प्रारम्भ किया है। प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर के द्वारा दिनांक 4 जून, 1979 को किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग तथा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया और पाया कि मौरंग तथा बालू की खुदाई केवल यमुना नदी के किनारे बन रहे नये पुल के पश्चिम की ओर हो रही है। अन्यत्र कहीं भी सा0 नि0 वि0 तथा रेलवे लाइन के किनारे खुदाई होती नहीं पायी गयी। निर्माणाधीन पुल के पश्चिम की ओर जो खुदाई की गयी है उसकी दूरी 250 मीटर से कुछ अधिक पायी गयी है। इतनी दूरी पर खुदाई करने से पुल अथवा सा0 नि0 वि0 के मार्ग को क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं पायी गयी और न ही स्थल पर कहीं सुरंग के रूप में की गयी खुदाई पायी गयी। सा0 नि0 वि0 या रेलवे के अधिकारियों ने प्रश्नगत खुदाई से सम्भावित खतरा होने की कोई सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी है। जिला प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों से काफी पहले बात-चीत भी की थी और रेलवे लाइन को कोई खतरा नहीं पाया गया।

उपर्युक्त से ज्ञात होगा कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई अनधिकृत खनन नहीं किया जा रहा है और न ही उससे रेल की पटरी या सा0 नि0 वि0 की सड़क को खतरा होने की सम्भावना है। सम्बन्धित अधिकारियों को पहले ही निदेश दिये जा चुके हैं कि निम्नांकित सुरक्षात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें:

1--क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण प्रायः किया जाय और जब कभी अनियमित खनन पाया जाय तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

2--प्रश्नगत क्षेत्र में रेलवे लाइन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क रखा जाय।

3--क्षेत्र में यदि कोई गड्ढे व सुरंगें पाई जायें तो सा0 नि0 तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों के सहयोग से उन्हें बन्द कराया जाय।

आगरा जनपद में रिक्शा चालक, श्री शंकर बाल्मीकी को पुलिस कर्मचारियों द्वारा जिन्दा जला देने की घटना के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21/22-5-79 की रात्रि के लगभग 1-45 बजे श्री शरीफ पुत्र श्री सईद, निवासी गुम्मट, सुल्तानपुरा ने थाना सदर बाजार पर इस आशय

की लिखित सूचना दी कि लगभग 2 बजे दिन जब वह अपने मित्र शंकर से मिलने गया तो शंकर ने उसे बताया कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के प्रयास में हैं और कुछ देर बाद शंकर कोठरी में गया और अपने शरीर में आग लगा ली। शंकर की पत्नी भी बाहर से आ गई। उसने तथा शंकर की पत्नी ने आग बुझायी। उसके द्वारा शंकर से ऐसा करने का कारण पूछा गया, तब शंकर ने उसे बताया कि वह अपनी जान देकर थाना लालकुर्ती की पुलिस को फंसायेगा। उनके द्वारा शंकर को अस्पताल ले जाया गया। उक्त सूचना पर थाना सदर बाजार, आगरा पर धारा 309 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक की पत्नी ने दिनांक 21/22-5-79 की रात्रि के लगभग 3-10 बजे थाना सदर बाजार पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसके पति शंकर को पुलिस के तीन कर्मचारियों द्वारा पेट्रोल डालकर जलाया गया। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक श्री शंकर के पास गये किन्तु उसके बेहोश होने के कारण उससे बातचीत नहीं कर सके तथा उसका मरणासन्न बयान नहीं हो सका। शंकर की दिनांक 22/23-5-79 की रात्रि में मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के उपरान्त उसके शव को उसकी पत्नी एवं उनके सहायकों द्वारा कब्रिस्तान ले जाया गया, परन्तु 50-60 व्यक्ति उसके शव को जिला-धिकारी के निवास स्थान पर लाये और संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा मुआवजा दिये जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस घटना की मैजिस्टोरियल जांच के आदेश दिये तथा उन्हें आश्वासन दिया कि जांच के उपरान्त यदि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 25-5-79 को लगभग 100-150 व्यक्ति कलेक्ट्रेट गये और संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा कार्यवाही न होने पर सफाई कर्मचारी संघ, नगर महापालिका द्वारा दिनांक 26-5-79 से हड़ताल किये जाने के संबंध में अतिरिक्त जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया।

दिनांक 26-5-79 को एक जुलूस सदर भट्टी चौराहे पर एकत्रित हुआ जिनके द्वारा संबंधित पुलिस कर्मचारियों के निलम्बन एवं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। कुछ व्यक्ति जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि मैजिस्टोरियल जाँच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा उन्हें बार-बार समझाये जाने के उपरान्त भी वे संतुष्ट नहीं हुये और जिलाधिकारी के निवास से निकल कर उनके द्वारा पथराव शुरू किया गया जिससे वहाँ खड़ी एक जीप को क्षति हुई। प्रदर्शनकारियों द्वारा बिजली के खम्बों को गिराने, जिलाधिकारी के निवास के फाटक तोड़ने का प्रयास किया गया। इस घटना के संबंध में अभियोग अन्तर्गत धारा 147/336/427 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया एवं 9 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पार्टी एवं एक रोडवेज बस पर पथराव किया गया जिसके परिणामस्वरूप बस की दो सवारियों को चोटें आईं। अधिकारियों द्वारा उन्हें बार-बार समझाने पर एवं नगर मैजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें चेतावनी देने के बावजूद जब कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा तब अश्रुगैस का प्रयोग किया गया। 50-60 व्यक्तियों द्वारा सदर भट्टी चौराहे पर पहुंचकर पथराव किया गया जिससे पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं और एक पी0 ए0 सी0 ट्रक को क्षति पहुंची। भीड़ को तितर-बितर करने हेतु पुलिस द्वारा अश्रुगैस का प्रयोग किया गया तथा 5 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया। इस घटना के संबंध में थाना रकाबगंज पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/336/427/332/353 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। प्रदर्शनकारियों में से 15-16 व्यक्ति रजौरा वर्कशाप चौराहा नालबन्द पर पहुंचे और पी0 ए0 सी0 की एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी तथा पथराव करने लगे। वहाँ पर कुछ और व्यक्तियों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस पर भारी पथराव आरम्भ किया। नगर मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को अवैधानिक घोषित किया तथा उन्हें चेतावनी दी गई

[श्री बनारसी दास---]

परन्तु इसका अनुकूल प्रभाव उन पर नहीं पड़ा । फलस्वरूप अश्रुगैस का प्रयोग किया गया जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई । इस घटना के संबंध में धारा 147/148/323/336/337/436/427 भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक शंकर धर्म परिवर्तन करके काफी समय पूर्व ईसाई धर्म अपना चुका था । श्री शंकर की मृत्यु की घटना की जाँच नगर मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, एवं एक उपनिरीक्षक, एक हेड कान्सटेबिल तथा एक कान्सटेबिल का स्थानान्तरण किया जा चुका है । मैजिस्टीरियल जाँच के उपरान्त यदि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

व्यवधान

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, एक बाल्मीकि की हत्या कर दी गई है और इसमें कहानी गढ़कर मंत्री जी सुना रहे हैं । इसलिये इसमें कुछ स्पष्टीकरण कर लेने दें ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय, इसमें चर्चा करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप गलत बयानी समझ रहे हैं तो आप प्रश्न करके पूछ लें । आप लोग बैठ जायं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय, [* * *] यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्री जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न के महत्व को देखते हुए आप चर्चा के लिए लिखकर हमारे पास भेज दीजिये । हम उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका अधिकार है आप चाहें तो नियम को सिलम्बित कर सकते हैं और दो-चार प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 की सूचनाओं के ऊपर या और जो वक्तव्य आते हैं, जिन पर नियमावली में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं है, इसके लिए अगर आप आधे घंटे की चर्चा के बारे में लिखकर भेज दीजिये तो हम उस पर विचार कर लेंगे ।

31 मई, 1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 मई, 1979 को श्री बाबू लाल वर्मा, सदस्य,

---

नोट :—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित प्रश्न के संबंध में सर्वश्री विजय राज सिंह तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा के अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि--

(1) "पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चुनाव सीधे किये जायेंगे तो अब कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे शासन यह विचार कर रहा है कि सीधे चुनाव न होकर परोक्ष रूप से करायें जायें ?"

(2) "अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों, इस संबंध में पुनर्विचार करने के बाद कोई नीति संबंधी निर्णय ले लिया गया है या वह भी अभी शेष है ?"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि :

(1) "अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन इस प्रकार का एक प्रत्यावेदन मिला है जिस पर विचार हो रहा है।"

(2) "अभी नीति संबंधी निर्णय लेना शेष है।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"यह निर्णय लिया जा चुका है कि नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं में मेयर/अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न कराकर पहले की भांति अप्रत्यक्ष रूप से कराने हेतु अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन किये जायं।"

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ पर....)

4--मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय, आपने देखा कि जो इनका मूल उत्तर था अनुपूरक के संबंध में, वह बिलकुल अलग था और जो अभी संशोधित उत्तर आया है, वह बिलकुल अलग है। यदि यह संशोधित उत्तर उस समय आ जाता तो उसके ऊपर कुछ और अनुपूरक प्रश्न भी हो सकते थे। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जहां संशोधित उत्तर बिलकुल अलग आ जाये और प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण हों जहां अनुपूरक प्रश्न हो सकते हों, वहां आप अनुपूरक पूछने की आज्ञा दे दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो संशोधित उत्तर आया है, इसके ऊपर अगर आप अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं तो अलग से कर लीजिये, यह नियमों में है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नियमों में है लेकिन नियमों के अन्दर ही निकलवाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अगर संशोधित उत्तर बिल्कुल ही और आ जाता है तो उस के ऊपर अनुपूरक नहीं पूछ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

17 मई, 1979 को लघु सिंचाई मन्त्री, श्री ख्याली राम शास्त्री द्वारा लगाये गये आरोपों पर श्री हर गोविन्द सिंह का स्पष्टीकरण

(श्री हर गोविन्द सिंह को पुकारने के उपरान्त)

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह देख लीजिए। आप के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने कहा था आप अपना स्पष्टीकरण उसी तक संबंधित रखें। अगर आप कोई नया आरोप लगायेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा और कार्यवाही से उस को निकलवा दूंगा। आप के पास कार्यवाही नहीं है तो मैं पढ़ देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आप व्यवस्था देने से पहले कृपया एक बात का ध्यान रखें। माननीय सदस्य के ऊपर कई आरोप लगाये गये हैं। उन आरोपों के पीछे कोई नीयत रही होगी, बैक ग्राउन्ड रहा होगा। यदि वह कोई बैकग्राउन्ड देना चाहें तो उस की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं। बैकग्राउन्ड की बात तो अलग से वह चाहे कहें।

*श्री हर गोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, 17 मई को माननीय लघु सिंचाई मन्त्री, श्री ख्याली राम शास्त्री जी ने मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाये जिनका मैंने उसी वक्त उत्तर देना चाहा था। दो तीन बातें कही थी आप ने उन्हें कार्यवाही का अंग न बनने के आदेश दे दिये और मैं चुप होकर बैठ गया। इस के बाद जब मैं घर गया वहां मेरे क्षेत्र में इन्होंने 25 पेज की एक रिपोर्ट बंटवायी। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं आप उन आरोपों का हाउस में जाकर जवाब क्यों नहीं देते। कार्यवाही में जो आरोप हैं उनको पढ़ता हूं और सिलसिलेवार जवाब दूंगा।

इनका पहला आरोप तो यह है कि जैसे आप हैं वैसे ही आदमियों को लेकर वहां पहुंचे। मैं कैसा आदमी हूं आप कैसे आदमी हैं। आप के बारे में बताना चाहता हूं इन्होंने खुद रिपोर्ट लाज नहीं करवाई। उसी थाने के थानेदार, अशोक कुमार सिंह से लाज करवाई है। वहां के प्रधान अबरार और एक बहुत अच्छे मेडिकल प्रेक्टिशनर, सुधीर शर्मा, के लिए भी बदमाश व्यक्ति कहते आ रहे हैं। गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को इस प्रकार की बात कहने का इनको अधिकार नहीं है। यह आरोप इनका निराधार और मिथ्या है।

दूसरा आरोप इन्होंने यह लगाया है कि जोया ग्राम की केवल 25 प्रतिशत जनता मेरे हक में है बाकी 75 प्रतिशत मेरे खिलाफ है। मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि आपके पास कम्प्यूटरों की बहुत कमी है। इस प्रकार का अन्दाज लगाने का कोई आला नहीं है। आंकड़े निकालने में मुश्किल पड़ती है। आप के क्षेत्र में कौन आदमी आपकी मुखालफत करता है और कौन मुआफक्त करता है, इस बात को जानने के लिए आप माननीय मंत्री जी को ले जायं। यह सब नोट कर बतायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरा आरोप इनका यह हैं कि मैं लड़ाई का काम किया करता हूं जिस गांव में रहता हूं। वहां आज तक मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई है जहां माननीय मंत्री जो रहते है वहां दो साल पहले एक हरिजन ने 107 के तहत इनका नाम लिया है।

अगला प्वाइन्ट इनका है वहां जाकर अगर झगड़ा नहीं रोकते तो झगड़ा बहुत बढ़ सकता था। म इतना ही अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि . . . .

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि हाउस में लोग छोटी-छोटी मीटिंग करते हैं उसे आप देखा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बातें करना नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री हर गोविन्द सिंह—

अगर यह जाकर उनको रुकवाते नहीं तो वहां झगड़ा बढ़ सकता था। उन्होंने-जगह जगह मीटिंग ली और हर जगह उन्होंने यह कहा कि हर गोविन्द गडा है तो मैं सबा गुंडा हूं। इस तरह से झगड़ा करवाना उन्होंने शुरू किया।

एक इलजाम यह है कि मेरे घर में नाजायज हथियार बरामद हुए और मैंने मर्डर करवाया है। मेरे ऊपर यह अनर्गल आरोप है। अगर मेरे जिले से कोई इस प्रकार की गवाही मिल जाय कि मैं मर्डर करवाता हूं तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे सकता हूं। मेरे खिलाफ अगर नामजद रिपोर्ट हो तो मैं आज ही सदन से इस्तीफा देता हूं। अगर उनके नाम कोई मर्डर की बात हो तो वह इस्तीफा दे दें।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब आप नहीं कह सकते।

श्री हर गोविन्द सिंह—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप रुकें। म आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

जो हाईकोर्ट के जजमेंट से छूट गये हों उनको सदन में कैसे मुजरिम साबित किया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि कार्यवाही का अंग नहीं होगा। आप पहले मेरी बात सुनें. . . . . कानों में खराबी तो नहीं है? आपने यह कहा कि मैं सदन से त्याग-पत्र देता हूं?

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हर गोविन्द सिंह—

मैंने यह कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाय तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्पष्ट कर दिया । पहले आपने यह कहा था कि मैं इस्तीफा देता हूं ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

मेरे ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल कर मैंने जोया को टाउन एरिया बनवाया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने को उन आरोपों तक सीमित रखें जो आप पर लगाये गये हैं । मंत्री जी ने जो कहा है उसी का आप स्पष्टीकरण दें ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

उसी का स्पष्टीकरण दे रहा हूं । मेरे ऊपर यह आरोप है कि तहसीलदार तथा एस० डी० एम० पर दबाव डाल कर मैंने जोया को टाउन एरिया बनवाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इसमें नहीं है । कार्यवाही में यह नहीं है ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

यह है कि अधिकारियों पर नाजायज दबाव डलवा कर जोया ग्राम को टाउन एरिया घोषित कराया ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

जिसे उन्होंने 25 मई 1979 को डीनोटिफिकेशन करा दिया । मैंने 8 मई को अपने पत्र में लिखा था...

श्री उपाध्यक्ष—

क्या माननीय सदस्य यह बात माननीय मन्त्री जी के लिए कह रहे हैं या आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है ? यह आरोप तो उन्होंने आपके ऊपर नहीं लगाया है ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

यह आरोप मेरे ऊपर लगाया है कि मैंने गलत तरीके से वहां के तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से मिलकर जोये को टाउन एरिया बनवाया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपके पास कार्यवाही है ? यदि आपके पास कार्यवाही हो तो उसे कृपया पढ़ दें । मेरे पास जो है उसमें इस तरह का कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया है ।

श्री हर गोविन्द सिंह—

मैंने कार्यवाही का एक-एक हरूफ पढ़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने गलत रिपोर्ट दी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपके पास कार्यवाही की नकल है तो उसे आप पढ़ दें ।

श्री हर गोविन्द सिंह---

मेरे पास कार्यवाही की नकल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास जो है, उसमें कहीं नहीं है ।

श्री हर गोविन्द सिंह---

सबसे अन्त में यह है कि वहां की आबादी 3360 लिखायी है जब कि वहां की आबादी 2000 से ज्यादा नहीं है । इन्होंने लिखा है मैं वहां विध्वंसात्मक कार्य करता हूं । मान्यवर, 25 मई, 1979 को इन्होंने उसे डीनोटिफाइड करा दिया । मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि शासन ऐसे मंत्रियों से बाखबर रहे जो किसी नीति को पहले नोटिफाइड करते हैं और बाद में डीनोटिफाइड करते हैं । मैंने 25 मई, 1979 को एक पत्र राज्यपाल को, एक पत्र मुख्य मंत्री को और मुख्य सचिव को भी लिखा है । मुझे पता चला है कि श्री राम आधार पांडेय जो स्वायत्त शासन मन्त्री हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालकर हमारी नवोदित टाउन एरिया को समाप्त कर देना चाहते हैं । मान्यवर, उसी दिन मेरे पत्र का उत्तर आ जाता है कि यह टाउन एरिया डीनोटिफाइड की जाती है । इस प्रकार से जो हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न है वहां पर समाप्त हो गया । यह कार्य गवाही देता है कि हम कितने निष्पक्ष हैं । [× × ×] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । आप बैठें ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री बाबू बदरे---

आपने कहा था कि जो प्रोसीडिंग में हो उसी को कहें लेकिन ये प्रोसीडिंग से अलग बात कर रहे हैं और ...[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने उनको टोका कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ...(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

काले कारनामे सदन के समक्ष आ जायं...

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठें, आपका स्पष्टीकरण हो गया ।

श्री हर गोविन्द सिंह---

अगर कैबिनेट रैंक के मन्त्री दोषी हैं तो यह माननीय सदन उन्हें दोष दें । इस माननीय सदन के अन्दर बैठकर किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह अनर्गल बात न कहें ...(व्यवधान)

नोटः-(×××)यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

[श्री उपाध्यक्ष---]

श्री हर गोविन्द सिंह ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया । उन्होंने कुछ नयी बातें कहीं, जो कार्यवाही में नहीं थी । उन्हें मैं देख लूंगा । श्री बाबू बदरे ने जो आपत्ति उठायी [× × ×] उनको भी देखने के बाद मैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था तभी मैंने निर्देश दिया था कि केवल उन शिकायतों के बारे में जो माननीय मन्त्री जी ने आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं, स्पष्टीकरण दें । अगर फिर नए आरोप लगायेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । यह मैंने कहा कि कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

माननीय सदस्य ने आपकी अनुमति से उनके खिलाफ जो आरोप थे उनका स्पष्टीकरण दिया । लेकिन अपने स्पष्टीकरण में एक मन्त्री के खिलाफ आरोप लगाये कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नाजायज काम करते हैं और दूसरा आरोप यह लगाया कि [×××] । फिर इसका भी स्पष्टीकरण देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, वह मैंने कार्यवाही से निकाल दिया । आपने सुना नहीं मैंने कहा कि वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, जो कुछ इस सदन में हो रहा है, अगर ऐसे होने दिया तो मैं नहीं समझता कि सदन की गरिमा क्या रहेगी । जनता पार्टी के एक जिम्मेदार मन्त्री इस सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर कुछ गम्भीर आरोप लगाते हैं । माननीय सदस्य से इसी सदन में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि बदनीयती से, सदन को गुमराह करने के लिए उन मन्त्री महोदय ने उनके ऊपर आरोप लगाये । माननीय मन्त्री कहते हैं कि माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह करने के लिए काउंटर आरोप लगाए तो अगर यह चलने दिया गया तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी न कुछ आरोप लगाए और व्यक्तिगत जानकारी से कहते हैं कि वह गम्भीर आरोप हैं । उसके उत्तर में माननीय सदस्य उठे हैं और वह कहते हैं कि माननीय मन्त्री जी ने बदनीयती से, सदन को गुमराह करने के इरादे से यह आरोप लगाए हैं । मेरा निवेदन यह है कि नियम 63 के अन्दर देखें उसमें लिखा है---परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।

इसलिए मन्त्री जी का जो कथन है और माननीय सदस्य का जो कथन है उन दोनों को आधार बनाकर इन दोनों मामलों को आप विशेषाधिकार समिति को सौंप दीजिए ताकि भविष्य में इस तरह के अनर्गल आरोप न लगाए जायं ।

नोट---[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी कोई शिकायत आयेगी तो फिर उसके ऊपर विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा निवेदन है कि आप नियम 63 के परन्तुक को देख लें उसमें स्पष्ट है कि यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें माननीय सदन का अवमान हुआ है। यह जो अनर्गल आरोप चलते रहे उनकी छानबीन नहीं हुई तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। लिहाजा हमेशा के लिए यह मामला तय हो जाय, माननीय मन्त्री के और माननीय सदस्य के मामलों को विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय ताकि विशेषाधिकार समिति जांच कर सके।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)---

मान्यवर, यह सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनता। माननीय सदस्य का यह कहना था कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाये गये हैं, जिनको उन्होंने साफ कर दिया और उसमें जो आपने ठीक नहीं समझे उनको कार्यवाही से निकाल दिया। इसलिए इससे आगे दूसरे आईटम पर बढ़िए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप (श्री देवबहादुर सिंह, श्री नेगी आदि से) लिख कर भेज दें अगर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता होगा तो विशेषाधिकार समिति को भेज देंगे।

श्री देवबहादुर सिंह---

नेगी जो ने जो बात कही है नियम 63 में यह आता है उसमें लिखा है--- परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। तो जैसा माननीय नेगी जी ने कहा यह सदन के समक्ष अवमान हुआ है। तो नियम के खिलाफ सदन में इस तरह को कार्यवाही हुई है। सदन इस प्रकार रोज गुमराह होता रहेगा। चूंकि सदन को भ्रमित करने के लिए लिया गया है इसलिए विशेषाधिकार भंग हुआ है। इसलिए आप अनुमति दे दें कि इनके विरूद्ध विशेषाधिकारी भंग की कार्यवाही की जाय।

श्री राजमंगल पान्डेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह अभूतपूर्व स्थिति पहली दफा देखने को मिल रही है, जहां एक ही पार्टी के एक सदस्य अपने ही मंत्री के खिलाफ और उनके आचरण पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, पता नहीं आपने कहां तक इसे मुनासिब समझा, जो यहां तक कहने दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

जिस सदस्य पर आरोप लगाया गया हो, नियमों में स्पष्टीकरण देने का उसे अधिकार है और इसे लिखकर उन्होंने भेजा था, इसलिए उन्हें अवसर दिया गया।

*श्री राजमंगल पान्डेय--

जो प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, इसका अन्त कहां होगा, कहना मुश्किल है। जिस व्यक्ति के दिलोदिमाग में जो बात आ रही है, कह रहा है, सिर्फ गाली नहीं दे रहा है। अवमानना की बात आप कब मानेंगे, समझ में नहीं आता है। अवमानना तभी हो जाती है, जब इस सदन का एक सदस्य दूसरे सदस्य के खिलाफ इस तरह की बात करता है। जिस वक्त आरोप-प्रत्यारोप हो रहा था और हरगोविन्द सिंह लगा रहे थे, मंत्रिपरिषद् की ज्वाइन्ट रिस्पांसीबिलिटी होती है, लेकिन उससे परे हटकर जनता पार्टी के सभी मंत्री-कौशिक जी हों या रेवतीरमण जी या और कोई मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे। जैसे उनको अच्छा लग रहा था कि यह बात सही है, अच्छी है .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

हंसने का मतलब यह थोड़े कि वह खुश हो रहे हैं : (व्यवधान)

श्री राजमंगल पान्डेय--

हंसने का मतलब यहां केवल इतना है कि वह हरगोविन्द सिंह की बात की ताईद कर रहे हैं कि जो कुछ वह कह रहे हैं ठीक है और यह होना चाहिए। नेगी जी ने जो कहा है उसमें देखना यह है कि क्या अवमानना हुई है जो उन्होंने अपनी सफाई के अतिरिक्त कहा, उसके बारे में आपने कहा कि वह निकाल दिया जाएगा। लेकिन, भले ही उसे आप निकाल दें, सदन ने जो कुछ सुना है, जो आपत्तिजनक बात यहां हुई है [×××] जिसे गैलरी में बैठे लोगों, माननीय सदस्यों और पत्रकारों ने भी सुना है, आपके निकालने के बाद भी यदि कल वह चीज अखबारों में जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्रीमन्, आप कुछ निकाल नहीं सकते हैं। यह सही लिखें, यह इनका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस बात को मैं कार्यवाही से निकाल देने की कह दूं, उसको प्रेस वाले अखबार में नहीं छाप सकते हैं।

श्री राजमंगल पान्डेय--

यदि माननीय सदस्य ने सदन में कोई बात कही है, तो उसको सदन के बाहर प्रेस अखबार में लिखता है, तो उसके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। कार्यवाही को एक्सपंज कर देना एक बात है और कही हुई बात की सही रिपोर्टिंग करना दूसरी बात है। अब देखना यह है कि अवमानना हुई है या नहीं?

श्री उपाध्याक्ष--

उस पर तो सुप्रीम कोर्ट तक का निर्णय है। उस सम्बन्ध में 'सर्च लाइट' से सम्बन्धित एक केस है। किसी माननीय सदस्य ने कोई बात कही थी और उस पर स्पीकर ने कहा कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। उसके बाद भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वह 'सर्चलाइट' में छापा गया तो उसके विरुद्ध कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट तक में गया और सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दिया कि जिस बात को मना कर दिया जाए उसे न छापा जाय ।

श्री राजमंगल पान्डेय--

लेकिन जितने सदन के सदस्य हैं, उन्होंने सुना है.....

श्री उपाध्यक्ष--

नेगी जी जैसा चाहते हैं, तो वह उस को लिखकर भेज दें तभी मैं उस पर कार्यवाही करूंगा.... (व्यवधान)

(श्री बाबू बदरे का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री शकीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मेरे जिले का मामला है । एक सुझाव दे दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में अब कोई सुझाव नहीं पेश किया जायगा ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, नियमावली के नियम 65 (1) (ख) को देख लें । सदन के समक्ष प्राग्दर्शन में अवमान का प्रश्न आया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी कृपया अपने दल के सदस्यों पर अनुशासन रखें ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता आपको मैंने उसका निर्णय ले लिया । माननीय नेगी चाहेंगे तो लिख कर भेज देंगे । कृपया बैठिये । कार्यवाही में यह बात लिखी नहीं जायगी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर,.....

श्री बाबू बदरे--

एक बार मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष

नहीं, नहीं ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

[× × ×]

नोट:--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप बैठिए। कई मर्तबा कह चुका हूं। मुझे सूचना देनी पड़ेगी या कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री गौरीशंकर, एडवोकेट—

मैं कार्यवाही में रखने के लिए नहीं कह रहा हूं···

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठिए। माननीय मन्त्री जी अपने सदस्यों को मना करें, कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

श्री बाबू बदरे—

एक व्यवस्था···

श्री उपाध्यक्ष—

अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री बाबू बदरे—

माननीय मन्त्री जी ने जो आरोप लगाया, आरोप का माननीय सदस्य ने जवाब दे दिया। आपने कहा कि प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि चीजों को पूरा कह दें।

राजमंगल जी ने एक उदाहरण दिया···

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए मैं इजाजत नहीं देता। कृपया आप बैठिए। मैं किसी को इजाजत नहीं देता। बैठिए आप। कार्यवाही चलने दें।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979

स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं आप की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट : [×××] यह अंश मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री देवकुमार ने लखनऊ में बसों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

इसी विषय पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को नियम 301 में आज मैंने स्वीकार किया, इसलिये नियम 56 में इसे अस्वीकृत किया।

श्री गुलाब सेहरा ने जिला परिषद् कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 25 मई, 1979 से क्रमिक अनशन करने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको भी मैंने अस्वीकृत किया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, पहले भी भूख हड़ताल और अनशन की गयी थी और आश्वासन दिया गया था कि उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जायगा। यह मान्यवर, अपनी नीति बता दें। पिछले सत्र में आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में न लाकर नियम 51 में देते।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, सरकार स्पष्टीकरण तो करे। लोग अनशन कर रहे हैं। कम से कम इस पर आप वक्तव्य तो दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। मैं इसको शासन के पास भेज दूंगा।

श्री गुलाब सेहरा—

वक्तव्य के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वक्तव्य के लिए कह दूंगा।

श्री देव कुमार—

तीन दिनों से बसें नहीं चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय परिवहन मन्त्री जी से कह दिया है कि इसको वे देखें और व्यवस्था करें।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय देव कुमार यादव जी ने....

श्री उपाध्यक्ष--

परिवहन मन्त्री जी, आप के विभाग की ग्रान्ट कब है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आज है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो आप इसको आज उसी समय बता देंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक पत्र मिला है। उस पत्र को श्री प्रकाश कुमार गुप्त ने दिया है। फैजाबाद के सभी विधायकों को दिया है कि हम विधायकों को विधान सभा में नहीं आने दिया जायगा। यह एक अजीब घटना है...

(श्री गोविन्द सिंह नेगी ने उस पत्र को पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्री उपाध्यक्ष--

इसको आप लिखकर मेरे संज्ञान में लावें, तो मैं इसको देख लूंगा। इस तरह से अचानक उठाना नामुनासिब है।

अब वित्तीय वर्ष 1979-80 के आय व्ययक पर मतदान होगा :

(परिवहन मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं। आपका यह लिखा नहीं जायेगा। आप बगैर मेरी इजाजत के बोल रहे हैं। मैंने माननीय परिवहन मन्त्री जी को बुला लिया है। इसमें व्यवस्था के प्रश्न का क्या औचित्य है ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्रीमती राम रती देवी--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

नोट:--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती राम रती देवी—

हमारे जिले के सारे विधायकों को लिखकर दिया गया है। मेरी बात आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी आपकी ओर से लोग इस तरह से बोलने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। उसका एक नियम होता है। आपको लिखकर देना चाहिए।

श्री मन्जूर अहमद—

मेरी दरख्वास्त है आपके द्वारा कि माननीय कौशिक जी मन्जूर अहमद को मामूली बात पर इंगित कर देते हैं। उधर के लोगों ने चोर कहा तो कुछ नहीं कहते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत गलत है।

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मतदान–अनुदान संख्या 12–परिवहन विभाग, अनुदान संख्या 108––परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127––परिवहन विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय–व्ययक पर चर्चा होगी।

(माननीय परिवहन मंत्री को पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)— [* * *]

श्री उपाध्यक्ष––यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री कबूल सिंह—

[* * *]

(सत्ता एवं विरोध पक्ष के बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

कई सदस्य—

हम उनको सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, जब तक वे ट्रौली पर से टैक्स हटाने का आश्वासन नहीं देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अब माननीय परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले माननीयमंत्री जी को सुन तो लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय परिवहन मंत्रीको त्याग-पत्र दे देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई संसदीय तरीका नहीं है । आप माननीय परिवहन मंत्री जी को सुन तो लीजिये । आपको बाद में मौका मिलेगा । जितनी आप आलोचना करना चाहेंगे, करिये और जब मतदान होगा तब आप हां या ना कहिए । यह कहना कि मंत्री जी को बोलने नहीं देंगे, यह संसदीय प्रणाली के खिलाफ है । अगर आप सदन को अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सारा सदन यह चाहता है कि ट्रालीज पर से टैक्स हटाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो बहुत संयमित और योग्य सदस्य हैं । आपको तो सदन चलाने में हमारी मदद करनी चाहिये । अब आप बैठें ।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

हो सकता है आपके विचारों को सुनने के बाद कोई ऐसा निर्णय हो ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जैसा पिछली बार माननीय आबिद अली ने किया कहीं आप भी वैसा न करें ।

एक सदस्य--

माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे खूब सोच समझकर जवाब दें वरना इसके अन्जाम अच्छे नहीं होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

कानून तो पहले आने दीजिये, फिर बाद में ही काला कानून कहिये ।

परिवहन मंत्री *(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,78,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 108--परिवहन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,00,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्य पाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127 परिवहन विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,82,10,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यातायात और परिवहन विभाग का सीधा संबंध इस प्रदेश की जनता से किसानों से, और उनसे है जो अन्य प्रदेशों से हमारे यहां आते हैं। इस विभाग के तीन अंग हैं एक तो यह निगम है जो यात्री बसों का संचालन करता है, दूसरा परिवहन आयुक्त का कार्यालय है जो मोटर, स्कूटर, टेम्पो, आटो-रिक्शा आदि की रजिस्ट्री आदि का मामला देखता है, तीसरा अंग जो है वह हिन्द फ्लाइंग क्लब के कार्यों को देखता है । जब से इसका राष्ट्रीकरण हुआ है तब से जितने भी मार्ग हैं अभी एक चौथाई मार्गों पर ही हमारी बसें चल पायी हैं। 1 जून, 1972 से परिवहन निगम की स्थापना हुई। निगम की स्वायत्तता के बारे में कुछ थोड़ा सा भ्रम है। मेरा ऐसा विश्वास है और मत है कि न केवल विधान मंडल वरन प्रदेश की 11 करोड़ जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। उसका यह कर्त्तव्य है कि प्रदेश में बसें पर्याप्त मात्रा में चलें, उनका संचालन ठीक तरह से हो, सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार हो।

मान्यवर, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तमाम दिक्कतों के होते हुये और बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद निगम को पिछले वर्ष एक करोड़ 13 लाख रुपये का लाभ हुआ। बहुत दिनों से यह कहा जा रहा है कि यह निगम जनता की पर्याप्त मात्रा में सेवा नहीं कर पा रहा है या जितनी सेवा करना चाहिये वह नहीं कर पा रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिये, न केवल निगम के अधिकारी ही वरना शासन के भी सभी अधिकारियों का यह प्रयास सदा रहता है कि जनता की अधिक से अधिक सेवा की जाय, बसों की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ायी जाये और बस स्टेशनों पर जहां-जहां जन सुविधायें उपलब्ध नहीं है उन्हें उपलब्ध कराया जाये। जहां-जहां हमारी बसें नहीं चलतीं वहां भी निगम की बसों को चलाया जाये।

मान्यवर, निगम में इस वक्त लगभग 42 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें इस बात का पूरा प्रयास किया जाता रहा है और भविष्य में भी प्रयास किया जायेगा कि आरक्षण के संबंध में जितने भी शासनादेश हैं, उनका पालन किया जाय और आरक्षण का कोटा पूरा कराया जाय। वित्तीय वर्ष 1977-78 में निगम इस बात से पूरी प्रकार से अवगत है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, उनको भी सुविधायें मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी अगर संतुष्ट नहीं होंगे, तो विभाग का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पावेगा। अभी हाल में 1977-78 में कर्मचारियों को 8.43 की दर से अनुग्रह भुगतान का आदेश दे दिया गया है । निगम में ऐसे 4000 कर्मचारी थे, जिनकी नियुक्ति 1972 के पूर्व की गई थी जब उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत परिवहन विभाग था, 2 जून से निगम ने एक प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है कि जितने ऐसे कर्मचारी है, पूर्व के और 3 वर्ष से अधिक भी वह सेवा कर चुके हैं, तो उनकी सेवाओं का स्थायीकरण कर दिया जाय। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत लगभग 4 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे । 1972 के बाद भी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय---]

जितने कर्मचारियों की नियुक्ति निगम द्वारा की गई है और वे अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और 3 साल तक कार्य करते हो गया है, तो उनको स्थायी कर दिया जायगा।

जो निगम के चालक और परिचालक हैं, इनके लिए वर्दी की व्यवस्था कराई जायगी और निकट भविष्य में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायगा। कर्मचारियों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि उनकी जो सेवा शर्तें हैं वे पूरी प्रकार से लिपिवद्ध नहीं की गई हैं, निगम ने इस संबंध में पूरी कार्यवाही कर ली है, शीघ्र ही सर्विस रेगुलेशन शासन के अनुमोदन से लागू कर दिया जायगा। उसके लागू हो जाने से निगम के कर्मचारियों की जो मांगें है, वे अपने आप पूरी हो जायेगी। उनका नया सेवा नियम यह है कि जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, जो 10 वर्ष तक सेवा कर लेने के पश्चात् तक यदि इनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होगी, तो इस प्रकार से इन छोटे कर्मचारियों को भी प्रोन्नति का मौका दिया जायगा। निगम के जितने कर्मचारी है, उनके सबके लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था कराई जा रही है। पहले से ही निगम के कर्मचारियों को एक यात्रा पास और पी0 टी0 ओ0 पास दिया जाता रहा है। कुछ स्थानों में जैसे बरेली, टनकपुर, शिकोहाबाद में कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था कराई गई है और भविष्य में इसका विस्तार अन्य नगरों और जनपदों में कराया जायगा।

दो पुस्तिकायें हैं जो माननीय सदस्यों को उपलब्ध हुई होंगी। इन दोनों पुस्तिकाओं से जो निगम का संगठन और परिवाहन का संगठन है, इससे पूरी जानकारी माननीय सदस्यों को हो जायगीं। पद ग्रहण करने के ठीक पश्चात् मैंने माननीय सदस्यों को और संसद सदस्यों के पास एक पत्र भेज कर मैंने अनुरोध किया था कि उनके जो भी सुझाव हों वे कृपा पूर्वक मेरे पाज भेजा करें और इसके अलावा जो भी सुझाव मेरे पास प्राप्त होते हैं, उनके लिए प्रयास यही किया जाता है कि उनको कार्यान्वित कराया जाय। माननीय विधायकों और संसद सदस्यों से जो भी सुझाव प्राप्त हुआ करेंगे, उन पर कार्यवाही की जाया करेंगी और मेरे ऐसे आदेश हैं कि 1 महीने के अन्दर जो कुछ भी कार्यवाही कराई गई हो, माननीय सदस्यों को सूचित किया जाया करे।

माननीय विधायकों को निगम की बसों में पास से चलने की व्यवस्था है उसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था थी कि एक सहवर्ती ले जा सकते थे लेकिन नियम यह था कि एक प्रपत्र भरना पड़ता था और यह शिकायत आ रही थी कि उसको भरने में काठनाईयां आती हैं इसलिए उस प्रपत्र को समाप्त कर दिया गया है और माननीय विधायक के कहने पर ही उसे ले जाने की इजाजत दे दी गयी। इसमें भी कुछ कठिनाई होती है और कुछ कण्डक्टर, जिन्हें हिन्दी में परिचालक कहा जाता है, कह देते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, उसका हमें खेद है। जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुनः आदेश दिये जा रहे हैं और जो क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं उनसे कहा गया है कि कर्मचारियों की बैठक बुला कर उन्हें निर्देश दे दें कि भविष्य में इस संबंध में अगर कोई शिकायत सुनी जायेगी तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। बसों में विधायक सीट तो है लेकिन शब्द मिट गये हैं इस लिए माननीय विधायकों को बसों में बैठने में कठिनाई होती है। इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है कि शिकायतें दूर हों।

पूर्व में मान्यवर, एक पर्वतीय यातायात समिति गठित की गयी है पर्वती क्षेत्रों की समस्याओं के संबंध में। इसमें आजतक केवल विधायक होते थे अब शासन ने निर्णय लिया है कि इसमें संसद सदस्यगण भी शामिल हों और मुझे आशा है कि

अब विभागीय अधिकारियों का न केवल ध्यान आकृष्ट होगा बल्कि कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी।

एक सदस्य—

मीटिंग भी बुलाई जायेगी या केवल समिति बनी रहेगी? 3 माह से साल भर हो गया, मीटिंग कभी नहीं बुलायी गयी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अभी तक माननीय विधायक या संसद सदस्यगणों की कोई समिति नहीं थी, जो अन्य थीं, वे पहले से थीं। अतः परिवहन विभाग के संबंध में एक सलाहकार समिति गठित की गयी है और इसमें प्रत्येक जनपद के विधायक और संसद सदस्य होंगे। बसों में भी आम तौर से सफाई की आवश्यकता है। बस स्टेशन जो हैं, वहां गन्दगी इतनी है कि आश्चर्य होता है कि क्या यह कोई आदमी के रहने का स्थान है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पिछले 3 माह में मैंने लगभग 12 स्टेशनों का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां गन्दगी पायी गयी। इस संबंध में मान्यवर, अब सुधार करने की कार्यवाही की जा रही है और कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में बसों और बस स्टेशनों की सफाई के संबंध में हमारा निरन्तर प्रयास रहेगा कि इसकी वृद्धि हो और पर्याप्त सफाई कराई जाये।

बढ़े हुए व्यय की बात भी आई 1978–79 में परिवहन निगम ने एक करोड़ 13 लाख 5 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। जबकि विगत वर्ष शुद्ध लाभ केवल 22 लाख रुपये का था। इसी प्रकार गत अप्रैल में जो कुछ भी निगम की आय हुई थी उससे काफी अधिक आय इस अप्रैल में हुयी हमारा प्रयास है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायं और ऐसे स्थानों पर बस स्टाप चालू किये जायं जहां पर यात्री पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके लिये "मुझे भी ले चलो" पैसेन्जर 'एक्सप्रेस द्रुतगामी सेवायें' चलाई जा रही हैं। एक समस्या जटिल है, देव बहादुर जी जिसके लिये कार्य–स्थगन प्रस्ताव लाये यह समस्या उससे जुड़ी है। आम तौर से निगम की बसों में विशेषकर छात्र और नवयुवक लोग कुछ ऐसे हैं जो बिना टिकट चलने का प्रयास किया करते हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल निगम को घाटा होता है बल्कि कानून के प्रति लोगों में अनास्था पैदा होती है। आये दिन निगम के कर्मचारियों और बिना टिकट चलने वालों के बीच में कुछ घटनायें होती है ठीक इसी प्रकार की घटना परसों लखनऊ में हुयी जिसके सम्बन्ध में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। निगम एक व्यावसायिक संस्था, वाणिज्यिक संस्था है। जो बिना टिकट चलने का प्रयास करते हैं और यदि किसी चालक या परिचालक की उसमें साजिश हो तो यह काम जघन्य अपराध ही नहीं बल्कि सारे समाज के प्रति अपराध है।

गतवर्ष एक कानून पारित कराकर इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि जो यात्री बिना टिकट पाये जायेंगे उनके विरुद्ध इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायगी और जुर्माने का प्राविधान किया गया था। गत दिसम्बर, 1978 में केन्द्र सरकार ने इस

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय---]

सम्बन्ध में एक संशोधन किया है और संशोधन करके उसमें यह प्राविधान किया गया है कि न केवल यात्री बल्कि बस का ऐसा चालक जो परिचालक का कर्त्तव्य करता है या परिचालक इस सम्बन्ध में दोषी पाया जायगा तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तो होगी ही लेकिन इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही करायी जायगी । आगामी वर्ष में निगम ने फैसला लिया है कि 1080 नयी बसें सड़कों पर लगायी जायंगी। इसके अलावा जो 800 बसें पुरानी, टूटी-फूटी हालत में हैं, जिनके बारे में आम जनता कहती है कि निगम की बसें बेबस हैं, किसी का वश नहीं है, तो यह शिकायत आमतौर से सुनने को मिलती है । यह निर्णय लिया गया है कि जो पुरानी 800 बसे हैं उनको बदला जाय । इसके अतिरिक्त 1080 नयी बसे सड़कों पर लगायी जाय । जैसा कि सर्व विदित है कि किसी भी बस के संचालन उनके पुर्जे ठीक रहने, टायर ट्यूब, मशीनरी ठीक रहने पर निर्भर करता है इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि कारखानों के संगठन को सुदृढ़ किया जाय और विस्तार किया जाय । इसके लिये बलिया, गाजीपुर, बेलथारा रोड, मुगलसराय, रुड़की, कोटद्वारा, श्रीनगर औरैया, मैनपुरी, हापुड़, बाह, धामपुर, चांदपुर, रामपुर, सम्भल, बिजनौर रानीखेत, हलद्वानी, अल्मोड़ा, चंदौसी, बदायू, लोहाघाट, पीलीभीत, लखनऊ तथा बाराबंकी में डिपो कारखाने बनाये जायेंगे । इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे उस सम्बन्ध में मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि यथासंभव हमारा प्रयास होगा कि वहां भी डिपो खोले जायं या कार्यशालायें खोली जायं, जमीन के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् उसके ऊपर निर्णय लिया जायगा । यात्रियों की सुविधा के लिये देहरादून, भूपेश्वर, मथुरा, वाराणसी, बड़हल गंज, झांसी, अल्मोड़ा, में बस स्टेशन बनाये जायेंगे । बहुत से स्थानों में पिक अप सेन्टर बनाने का प्राविधान किया गया है । इनमें ज्ञानपुर, गोपीगंज, बक्सर, बिचलौल, मुगलसरांय, शक्ति नगर, कसिया, कुशीनगर, कैसरगंज, जरवल रोड, मुरादनगर, सिकन्दराराऊ, बढ़नपुर, घनौरा, अमरोहा, रामनगर लोहाघाट स्थानों का चयन किया गया हैं ।

परिवहन निगम की बसों द्वारा इस समय प्रदेश के 23 जिलों का सीधा सम्बन्ध दिल्ली से है और भविष्य में इस बात का प्रयास किया जाएगा कि और भी जिलों को दिल्ली से सीधे जोड़ा जाए । इसके अतिरिक्त राजधानी लखनऊ से प्रदेश के 26 जिलों का बसों द्वारा सीधा सम्बन्ध है और भविष्य में यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक, जितने जिले अभी बचे हैं, इन सबकों लखनऊ से जोड़ा जाय । मुझे आशा है कि इस सबसे यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार होगा । परिवहन निगम की बसों द्वारा अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में लगभग 39 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी । हमारा प्रयास होगा कि किसी प्रकार से बसों की संख्या में वृद्धि करके और उनके फेरे में भी वृद्धि करके वर्तमान आलोच्य वर्ष में 45 करोड़ यात्री हमारी बसों से यात्रा कर सकें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास है कि प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल या तीर्थ स्थान हैं । उनको अन्य जिलों से जोड़ा जाय या वहां उपलब्ध बस सुविधाओं में वृद्धि की जाय । इसके लिए फिलहाल अभी मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, नैमिषारण्य, नौगढ़, सारनाथ, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, हरिद्वार, रुड़की, वाराणसी, आगरा, खजुराहो और चित्रकूट आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए गए हैं । यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आते हैं या हमारे प्रदेश के पर्यटक हैं । उनकी सुविधा के लिए इस वर्ष 30 अतिरिक्त डीजल बसें लगायी जायें । दिल्ली से वृन्दावन के लिए 5 अप और 5 डाउन बसें तुरन्त लगाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त ताजमहल जाने हेतु पर्यटकों की सुविधाओं हेतु बसों की मात्रा में वृद्धि की जा रही है । वह भी प्रयास किया जा रहा है कि निकट भविष्य में शहरों में बसों की उपलब्ध सेवाओं में वृद्धि की जाय और बसों में क्षमता से अधिक सवारी न चलें । क्षमता से अधिक सवारी इसलिए चलती हैं कि लोगों को जाना होता है और बसों की संख्या कम रहती है ।

हमारा प्रयास होगा कि बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाय। पर्वतीय मार्गों के लिए बसों के सम्बन्ध में शिकायत आती है। और यह शिकायत भी अपनी जगह उचित है। वहां पर बसों की कमी है और जो बसें उपलब्ध हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि बहुत शीघ्र ही पर्वतीय मार्गों के लिए 50 नई बसें उपलब्ध हो जायेंगी। जैसे ही बसें हमको उपलब्ध हो जायेंगी वैसे ही उन्हें पर्वतीय भागों पर वहां के संसद सदस्यों और विधायकों की सलाह से लगा दिया जाएगा। मुझे आशा है कि 50 बसें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् उनकी समस्यायें चाहे पूरी

[इस समय 1 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।]

तौर से समाप्त न हों लेकिन उसमें कमी अवश्य होगी। यह भी प्रयास रहेगा कि बड़े--बड़े नगरों और कवाल टाउन्स में इस प्रकार से बस सेवायें उपलब्ध कराई जायें कि जो विभिन्न घनी बस्ती वाले मुहल्ले हैं उनको रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाए। एक विशेष बात, जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है, बसों के किराये में वृद्धि से संबधित है। निगम का कहना है कि पिछली बार सन् 1975 में किराये मे वृद्धि हुई थी और उसके बाद से आज तक किराये मे कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त जो नगरों की बस सेवाये हैं उनमें जो किराया 8-10 वर्ष पूर्व निश्चित किया गया था, वही चल रहा है। निगम ने कई महीने पूर्व यह निर्णय लिया है और शासन को प्रस्ताव पारित कर भेजा है कि निगम की बसों के किराये मे 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। विभिन्न प्रकार के बढ़े हुए खर्चों का बढ़ा हुआ भार 22 करोड़ 45 लाख हो गया है और इसको पूरा करने के लिये 25 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। यह भी सही है कि पेट्रोल, डीजल, चैसिस और विभिन्न मोटर पार्ट्स कीमत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निगम के कर्मचारियों के जो वेतन और महंगाई भत्ते 1975 में थे, उनमें काफी मात्रा में वृद्धि हो गई है और यह माननीय सदस्यों को भलीभांति विदित है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका यह अनुदान 3 बजे तक चलेगा, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समय को देखते हुए समय कुछ कम लें तो अच्छा होगा और यही मेरी प्रार्थना जो कटौती के प्रस्तावक होंगे, उनसे होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं आपकी अपेक्षा से भी कम समय लूंगा। देव कुमार जी शायद जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र रखे हुए हैं। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि परिवहन सेवायें सस्ती और सुलभ हों। मैं भी इस में विश्वास करता हूं क्योंकि निगम की बसों में गरीब लोग, गरीब किसान, छोटे कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, छात्रायें और पत्रकार चलते हैं। इस संबंध में हमने निगम से यह निवेदन किया कि निगम अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे और प्रशासनिक मितव्ययिता के संबंध में प्रस्ताव बनाये। साथ-साथ जो एक आम विदित बात है कि कार्यशालाओं में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए भी अनुरोध किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि निगम ने अपनी हाल की बैठक में कुछ निर्णय लिये हैं। एक निर्णय के अनुसार निगम ने अपने यहां जो कार्यक्रम बनाया है उसके हिसाब से लगभग 3.50 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके अतिरिक्त निगम यह प्रयास करने जा रहा है कि उनकी आय में लगभग 14 करोड़ रु0 की

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

वृद्धि हो । सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि न केवल मितव्ययिता बरती जाए, बल्कि बहुत से अनावश्यक बड़े-बड़े पद हैं, उनको समाप्त किया जाए । यह भी निर्णय लिया गया है कि जो अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक का पद जो है उस पर अब किसी की नियुक्ति न की जाए । इसके अतिरिक्त एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे और सचिव अलग होते थे, इन दोनों का एक में विलीनीकरण किया जाए ।

श्री हाजी शमशाद अहमद (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है । कोरम पूरा कराया जाए ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई)

श्री देव कुमार—

एक से दो बजे के बीच कोरम आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

एक माननीय सदस्य ने कोरम का प्रश्न उठा दिया है तो उसे पूरा करना आवश्यक है । अगर कोई सदस्य आपत्ति उठाते हैं तो उस आपत्ति को हम रोक नहीं सकते ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

ट्रैक्टर और ट्राली टैक्स खत्म कर रहे हैं या नहीं...

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

किराये वृद्धि के सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं स्वयं आश्वस्त नहीं हो जाऊंगा...

श्री देव बहादुर सिंह—

ट्रैक्टर, ट्राली के बारे में बता दें...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं जो बोल रहा हूं उसे तो आप सुनें, अभी तक, निगम पर बोल रहा हूं । निगम में ट्रैक्टर, टाली है नहीं । मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में मैं जब तक स्वयं आश्वस्त नहीं हो जाऊंगा तब तक वर्तमान बसों का किराया चलेगा और उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जायगी । (तालियां)... इसके अतिरिक्त मान्यवर, कुछ अन्य सुविधाएं भी इस वर्ष देने का विचार है जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता का काफी बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा । जो जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनको निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध नहीं थी ।

शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाय और दो हजार किलोमीटर प्रति वर्ष प्रत्येक मान्यता प्राप्त पत्रकार भविष्य में निःशुल्क बस सेवा का उपयोग कर सकेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में 26 जिलों के बारे में निर्णय लिया जा चुका है। शेष जिलों के सम्बन्ध में जब पत्रकार मान्यता प्राप्त समिति निर्णय ले लेगी तो उनके बारे में भी निर्णय ले लिया जायगा।

कुछ दिन पूर्व इसी माननीय सदन में माननीय हरिश्चन्द्र जी ने एक प्रश्न उठाया था कि अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में जो छोटे छोटे बच्चे हैं पांच वर्ष तक के उनको भी निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाय। रेल मंत्रालय ने भी ऐसा निर्णय लिया है। शासन ने भी यही निर्णय लिया है। मोटर वेहिकल ऐक्ट में इस बात का प्राविधान है कि तीन वर्ष के बच्चों से टिकट नहीं लिया जाता और 12 वर्ष तक के बच्चों से आधा टिकट लिया जाता है तो मान्यवर, इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी और तीन वर्ष की परिधि के स्थान पर पांच वर्ष कर दिया जायगा और जैसे ही यह प्रभावी होगा जितने पांच वर्ष तक के बच्चे हैं लाभान्वित होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय परिवहन मंत्री जी चालीस मिनट हो चुके हैं। तीन बजे समाप्त होना है। समय अधिक न लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं दस मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

टैक्टर, ट्राली के बारे में और बता दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ट्रैक्टर, ट्राली के बारे में यह कहना है कि आज प्रातः जब विधान मंडल दल की मीटिंग हुई वहां पर कई माननीय सदस्य उपस्थित थे। उनसे बात हो चुकी है और उनकी राय से मैं अवगत हो चुका हूं और वे अवगत हो चुके हैं . . . .

एक सदस्य--

ट्रैक्टर, ट्राली के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया. . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मंत्री जी ने आश्वासन सदस्यों को दिया है इसे सदन में कहने में भी कोई बात नही है. . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस संबंध में ऐसा निर्णय घोषित किया जायगा जिससे सम्पूर्ण सदन को संतोष हो जायगा और भी माननीय सदस्य हैं जो उपस्थित नहीं थे उनकी राय से भी अवगत हो जायं. . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

अभी कर दीजिए. . .

श्री राज मंगल पांडेय—

आप जैसा मजबूत आदमी क्या इसे एनाउन्स नहीं कर सकता ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

ट्रैक्टर ट्राली के बारे में गत वर्ष मोटर वेहिकल्स ऐक्ट में एक संशोधन किया गया था। माननीय सदस्य उससे चिन्तित थे और उनका यह कहना था कि इस प्रकार का भार इस अधिनियम के मातहत पहले कभी इस प्रदेश की जनता पर नहीं डाला गया था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री जी से परामर्श किया और उनको सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराया और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सदस्यों की जो इच्छा है उनका पूरा अनुपालन किया जा रहा है यानी जैसी स्थिति 31 मार्च, 1978 को थी वह पुनः प्रभावी हो जायगी। लेकिन यह सारा मामला मंत्रि-परिषद् के सामने ल जाना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में अधिनियम को संशोधित करना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढवाल)—

इसका मतलब है कि जो बड़े फार्म्स की लाबी है उसके सामने माननीय मंत्री जी आत्म-समर्पण कर रहे हैं।

श्री नेब सिंह चौहान—

यह तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह धनी किसानों का जनतन्त्र है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

विकलांगों में अभी तक जो अंधे होते थे वे बस की यात्रा जब करते थे तो उनको 50 प्रतिशत किराया देना होता था। शासन ने जब यह निर्णय लिया है कि भविष्य में जो लंगड़े हैं, दोनों पैर कटे हैं अथवा एक पैर कटा है, जिनके दोनों हाथ अथवा एक हाथ कटा है उनको भी इस सुविधा से लाभ होगा। इसके अलावा जो परिवहन विभाग है उसका यह काम है कि मोटर का अथवा गाड़ियों के अनियमित संचालन को रोके। इससे जहां राजस्व की हानि होती है वहां निगम को भी घाटा होता है। इसलिये शासन ने इस संबंध में निर्देश दिये हैं जिनका कड़ाई के साथ पालन होगा और माननीय सदस्यों का सहयोग भी इसमें मिलेगा ऐसी मुझे आशा है। दूसरे बहुत दिनों से इस बात की शिकायत आ रही है कि जो हमारा बस का परमिट सिस्टम है इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके सम्बन्ध में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है परमिटें लेने में लोगों को बहुत असुविधा भी होती है।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय मन्त्री को जो कहना है अपने उत्तर में कहेंगे।

श्री रमाशंकर कौशिक--

अब जब सभी बातें मान ली गई हैं तो अब तो केवल औपचारिकता रह गयी है इसलिए इसे पास कर दिया जाय।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मैंने नियम 56 में हड़ताल की सूचना दी थी। उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि माननीय मन्त्री जी भाषण देंगे तो हड़ताल की स्थिति की जानकारी करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता--

इसका उत्तर मन्त्री जी बाद में दे देंगे। श्री राम आसरे वर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि 15 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मन्त्री जी को 50 मिनट दिये गये और कटौती के प्रस्ताव के लिए आप केवल 15 मिनट कह रहे हैं। अगर माननीय मन्त्री जी के एक-एक पैराग्राफ का जवाब एक-एक लाइन में दिया जायेगा तब भी 35 मिनट लग जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

यही मेरा अनुरोध है और यही मैं कह सकता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--परिवहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 127--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जिन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने अपने अनुदान को पेश किया है और जिस रूप में उन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली के बारे में एक बात कह कर सदन को गुमराह किया है, उसे आप भी जानते हैं। मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि श्री आबिद अली अंसारी जब इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली विधेयक पेश किया था और उसे दूसरे सदन को क्षोभ था, उससे सहमत नहीं था। पसीना पोछते हुए वे उस लाबी में गये जहां मीटिंग की और किसी तरह से सदस्यों को आश्वस्त किया कि आज इसे पास हो जाने दीजिए, लागू नहीं रहेगा। उसी

[श्री राम आसरे वर्मा—]

तरह से हमारे माननीय मंत्री जी आज भी इसे एक नाटक की तरह से पेश कर रहे हैं । जब तक सदन के सामने एक ठोस निष्कर्ष न आ जाय, तब तक कोई विश्वास नहीं है । अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है पूरे जनता पार्टी के शासन के बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक कोई ठोस चीज सामने नहीं आ जाती तब तक कोई विश्वास नहीं रहना चाहिए ।

मान्यवर, हर विभाग में काम का एक सिलसिला चलता है लेकिन परिवहन विभाग में उल्टी गंगा बह रही है । माननीय मंत्री जी ने जो खूबसूरत बातें यहां पर बतायी हैं उनकी तस्वीर सचिवालय के बाहर उल्टी ही मिलेगी । यहां पर आपको कोई और व्यवस्था है और बाहर कोई और । इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो अनुदान यहां पेश कर रहे हैं उसके बारे में कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा कि इसे एक रुपया कर दिया जाए । लेकिन दर असल एक रुपये की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त करने का ही वे वायदा करते और एक मुहिम चलाते तो हम समझते कि इसकी जरूरत नहीं थी । लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया । विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है । भ्रष्टाचार की कहानी कहां से शुरू करूं मैं खुद नहीं समझता ।

आप देखेंगे कि हमारे माननीय बाबूलाल वर्मा भूतपूर्व उपमन्त्री ने मुख्य मन्त्री जी को इसके सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा था कि विभाग के प्रधान प्रबन्धक जो श्री सुमन कुमार माडवेल हैं वे कर्नाटक के राज्यपाल के दामाद हैं और उन्होंने संजय गांधी की मारुती कंपनी को उसकी बाडी बनाने के समझौते में साथ दिया था मान्यवर, 27 हजार की बाडी बननी थी जिसको उन्होंने 45 हजार की बनाई थी। इससे 4 करोड़ का घाटा सरकार को कराया । आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनको पदोन्नत कर दिया । विभाग को इतना बड़ा धोखा दिया गया और उन षड्यंत्रकारियों को पदोन्नति कर दी । संजय गांधी को रोज यहां गालियां दी जाती हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, माननीय परिवहन मन्त्री को संबोधित न करें, चेयर को संबोधित करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी को मुखातिब करने के लिए कह रहा हूं । लगता ऐसा है कि जब आपके विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है तो उसकी जांच पहले तो होगी ही नहीं अगर होगी भी तो उन अधिकारियों से करवाई जायेगी जो इस भ्रष्टाचार में साझीदार हैं । बनारस मंडल की पूरी सूची है उसको आपको गिनाऊं तो लाखों रुपयों की शिकायत आई लेकिन उनके बारे में कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई ।

श्री अधिष्ठाता—

बार-बार यह 'जो आप-आप' कह रहे हैं यह किस के लिए है ? आप चेयर को संबोधित करें ।

श्री रामआसरे वर्मा—

आपसे मेरा मतलब मंत्री जी से है । बनारस में 32 हजार रु० की चोरी हुई उस सिलसिले में 4 अप्रैल, 79 को एक पत्र भी लिखा गया था परिवहन मंत्री जी को, रोडवेज मजदूर सभा उत्तर प्रदेश की ओर से जिसमें जनरल मैनेजर, सर्विस मैनेजर

सभी इनवाल्व थे। शिकायत की गई, एफ० आई० आर० को तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके सामने और भी मिसाल पेश करूंगा कि किस तरह से बड़े अधिकारी कंडक्टरों को एक्सप्लोइट करते हैं। कंडक्टर जब बस लेकर आता है तो दफ्तर में पैसा जमा कराता है उसके बाद वह रसीद भी पा जाता है लेकिन रजिस्टर में कम पैसा दर्ज किया जाता है। इस तरह की एक शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक के पास 24–2–79 को की गई जिसमें रसीद नम्बर 19893 में 548 रु० दर्ज कर दिये गये और उसकी रसीद कंडक्टर को दे दी गई लेकिन रजिस्टर में केवल 148 रु० दर्ज किया गया। जिस कैशियर ने यह हरकत की उसने केवल इस कंडक्टर के साथ नहीं किया बल्कि पचासों हजार का घोटाला किया केवल कैशियर को शायद सस्पेंड किया गया लेकिन बाकी का क्या हुआ। अब कंडक्टरों को परेशान किया जा रहा है। उनको राहत देने की कोई बात नहीं है। जब चोर पकड़ा गया तो उसी से रिकवरी हो कंडक्टरों से नहीं।

कुछ अहम बातों की तरफ मैं आता हूं। माननीय मंत्री जी जब शासन में आते हैं तो उसके बाद बड़ी अच्छी घोषणायें करते हैं। उन उद्घोषणाओं में एक यह भी है कि आपातकाल में जिन कर्मचारियों को दंडित किया गया उनको बहाल किया जायेगा। जिनको बिना गुनाह के या बिना नोटिस दिये या सफाई का मौका दिये बिना निकाल दिया गया है या उनकी रोजी-रोटी ले ली गयी उनको फिर से ले लिया जायेगा लेकिन उसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो निकाले हुए कर्मचारी हैं उनके बारे में शासन व्यवस्था कर रहा है और सदन में कहा था कि उससे राम आसरे वर्मा संतुष्ट हो जायेंगे और इसी शर्त पर मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया था। लेकिन उन्होंने बाद में वायदा नहीं निभाया, माननीय मंत्री जी की आदत है वायदा खिलाफी की इलाहाबाद की एक पब्लिक मीटिंग में यह कहते हैं कि जिन कर्मचारियों को सफाई देने का अवसर नहीं दिया गया था और निकाल दिया गया था, उनको जरूर बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही सदन में भी कहते हैं कि राम आसरे वर्मा को सन्तुष्ट कर दिया जाएगा, उन कर्मचारियों के बारे में फैसला लेकर। किन्तु यह दोनों वायदे भुला दिय गये। अपने अधिकारियों, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से हजारों रुपये की घूस मांगते हैं, के कहने पर वह अपने वायदे को, अपनी बात को भूल जाते हैं और सदन में कहते हैं कि जिनको नोटिस नहीं दी गयी। प्रश्न इस बात का है किसी पर कोई इल्जाम लगाया गया तो उसे सफाई देने का अवसर दिया जाना चाहिए और मंत्री जी अगर कर्मचारियों के प्रति इंसाफ करना चाहते हैं तो सदन में उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि जिन्हे सफाई का मौका नही दिया गया था, उन्हे वह बिना शर्त काम पर वापस ले लेंगे।

मंत्री जी हमारे समाजवादी हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने आपके जनता शासन के लिए 6–6, 7–7 महीने की जेलें भोगी हैं उनको रखा जाएगा। पहले यह कहते थे कि रखा जाएगा, लेकिन ज्यों-ज्यों इन पर अफसरों का प्रभाव हुआ, यह भूल गये अपनी घोषणा और वायदों को। जब मुख्य मंत्री राम नरेश यादव थे, तो उस समय उनके हस्तक्षेप से 9 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी, जिनका काम था उनके वेतन निर्धारण व मकान भत्ता आदि के बारे में निर्णय लेना और जिस समिति को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देनी थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसमें सेवायोजकों के पाँच प्रतिनिधि अधिकारी थे और 5 प्रतिनिधि कर्मचारियों के थे।

[श्री राम आसरे वर्मा]

अब तक केवल 10 रुपये का अन्तरिम भत्ता उन्हें दिया गया है । उसके बने डेढ़ दो साल हो गये हैं सेवायोजकों के प्रतिनिधि कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि मीटिंग में आवें या मीटिंग बुलावें । उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है । अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न भी काफी हो रहा है । जरा सी बात होती है कर्मचारियों की नौकरी ले ली जाती है, जिसकी हजारों मिसाले हैं आपके विभाग में और आपके विभाग में कानून भी नहीं माना जाता है । मिसाल के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 में यह माना गया है कि यदि किसी कर्मचारी की 240 दिन की लगातार सेवाएं होंगी, तो उनको व्यवस्थाओं के विपरीत नौकरी से निकाला नहीं जाएगा । लेकिन फिर भी बहुतों की नौकरी खत्म की गई है । होना यह चाहिए कि नोटिस देने के बाद चार्ज लगाया जाए और उसका जवाब लिया जाए, तब नौकरी समाप्ति के लिए कदम उठाया जाए । आपके अधिकारी निरंकुश हो गये है, वह एक झटके में नौकरी ले लेते है ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक निर्णय दिया । उसने कहा, बिना कारण बताए हुए नोटिस के जरिए सेवा समाप्ति को अवैध माना जाता है । बिना किसी कारण बताए, सिर्फ एक कागज भेज दिया उनके पास । उससे सेवा समाप्त कर दी जाती है । न तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की शर्त मानते हैं न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को माना जाता है । कर्मचारी कहां जायं ? कानून के तहत उनको श्रेणी नहीं मिलती, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं होता । आप देखें भारत सरकार का एक मान्य सिद्धांत ह, तीन साल की जिनकी सेवा हो जाती है, उनको स्थायी किया जाना चाहिए । यद्यपि आज माननीय मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की लेकिन इस घोषणा को कब तक प्रभावी बनाया जायगा, हमें अभी संदेह है जब तक प्रभाव में न आ जाय । परिवहन विभाग में जी० ओ० डी० ओ० से शासन चलाया जाता है । कोई नियम, अधिनियम, उपनियम लागू नहीं होता । कर्मचारियों के बारे में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, उसमें खुला आरोप लगता है, नाम लेकर, जो सदस्य हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य के सात मिनट और शेष हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में अफसरशाही है, निरंकुशता है, लालफीता शाही है, कोई कानून कायदा नहीं है जिसकी शरण कोई कर्मचारी ले सके । एक भूतपर्व परिवहन मंत्री थे । टैक्स की वृद्धि की बात आती है । परिवहन मंत्री जी ने बसों की वृद्धि सेवाओं में वृद्धि की बात कही । एक चीज की पहले और वृद्धि हो चुकी है जिसकी ओर संकेत नहीं किया । जो भूतपूर्व परिवहन मंत्री थे अपने मंत्रित्व के दौरान अपनी बीबी, बच्चों, नाते रिश्तेदारों के नाम से बसों के परमिट जारी कर दिया । हर एक आदमी के नाम एक एक परमिट मिल गया । माननीय मंत्री समाजवादी हैं । उम्मीद कम है । कहीं ऐसा न हो इन चीजों में वृद्धि के साथ शायद मंत्री जी भी इस मामले भी वृद्धि करना शुरू कर दें । यह भी चिन्ता का विषय बात हुआ है । उन्होंने क्या क्या पाप किये इस विभाग में माननीय मालवीय जी के पाप ऐसे नहीं हो पाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा होगा, पाप शब्द का प्रयोग न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

भूतपूर्व परिवहन मंत्री के पाप इतने हैं । उनके पाप की बुनियाद के ऊपर मौजूदा परिवहन मंत्री भी महल खड़ा कर रहे हों, ऐसी शंका और डर पैदा हो रहा है । अफसरों की

तदाद इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, 12 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया। नये-नये पदों का सृजन कर दिया। अफसरों की एक फौज खड़ी कर दी है। उसके ऊपर अथाह पैसा खर्च किया जा रहा है। जितनी टैक्सियां थी सब स्टाफ कारें बन गयीं। आमदनी का वह भी जरिया चला गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का चार मिनट समय रह गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री ने बहुत सी बातें कही हैं। अभी कुछ ऐसी हैं जिनका हिस्सा नहीं कहा।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)--

तीन बजे डिवेट समाप्त हो जायगा। माननीय सदस्यों को कब मौका मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

साधारणतया जिन माननीय सदस्यों का कटौती का प्रस्ताव होता है उसके लिये 25 मिनट होते हैं।

श्री राज वृज राज सिंह--

यह भी आप ध्यान में रखें कि 3 बजे तक है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, 5 मिनट तो हमारे इसी में ले लिये गये है। मान्यवर, एक सिक्योरिटी सेल खोल दिया गया है। उनका काम चोरी पकड़ें और उस पर एक लाख रुपया महीन खर्च होता है। इसने कितनी चोरियां पकड़ी और कितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े, इसका लेखा जोखा नहीं है। 50 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन वह अपने पदों पर आसीन हैं।

मान्यवर, मोटर के पार्ट्स खरीदे जाते हैं। पुराने पार्ट्स को ओवर हालिंग कर दी जाती है। उन्नाव में एक आटोमोबाइल फैक्टरी है वहां पर दूसरे प्रान्तों के कर्मचारी रखे गये है, परिवहन विभाग के अधिकारी उनसे पार्ट्स नहीं खरीदते हैं। जहां पर उनका कमीशन बंधा होता है और जिनसे उनकी सांठ-गांठ होती है और पुराने पार्ट्स को ओवरहाल करके नये के दाम पर सप्लाई किया जाता है, उनसे यह पार्ट्स लेते हैं। मैन्यूफैक्चर से यह नहीं खरीदते हैं। प्रधान प्रबन्धक ने चारबाग वर्कशाप का निरीक्षण किया और उन्होंने वहां के 4 आइटम्स को सील किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, मिनी बसों के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से कि अवैध बसें न चलें उनका लाइसेन्स दे दिया गया था, लेकिन वह लोग षड़यन्त्र द्वारा अवैध मिनी बसें चला रहे हैं, उससे कितना पैसा अधिकारियों के पास जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। कानपुर वर्कशाप में बस को बस चोरी चली जाती है और मुझे भी मौका मिला था, पी0 यू0 सी0 के साथ वहां दौरे

[श्री राम आसरे वर्मा—]

पर जाने का । लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे कि बड़े-बड़े लोग आये और चले गये और अब यह विधायकों की टीम आयी है, वह भी चली जावेगी । किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि असली चीज को पकड़े । हम असली जगह को न पकड़ पावे इसीलिए अधिकारी साथ थे । बहुत सी ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियां हैं जैसे हिन्द ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी, बाबा ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी, ठाकुर ट्रान्सपोर्ट एन्जेसी आदि इनके पास 80-80 और 90-90 बसें हैं । इनका एकाधिकार है । इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्य हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं वह बहुत ही नवजवान व्यक्ति हैं और जब से वह आये हैं इस विभाग में काफी सुधार हुए हैं । मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं, जो रोडवेज की बसें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है और 50-60 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो जाती हैं ।

मान्यवर, हम मुजफ्फरनगर से दिल्ली बसों से जब यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में रोडवेज बसें सड़कों पर पड़ी रहती हैं, किसी में डीजल नहीं होता है, किसी में पंक्चर हो जाते हैं, ट्यूब टायर फट जाते हैं । अतः मेरी प्रार्थना है कि हमारी जो वर्कशाप्स हैं, उनमें सुधार किया जाय । उनमें जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं अगर उन्हें कोई नया औजार लाना होता है तो वे पुराने लाकर डाल देते हैं । माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इन वर्कशाप्स में सी0 आई0 डी0 द्वारा हर 3-3 महीने और 4-4 महीने बाद जांच कराई जाय ताकि उनमें सुधार हो सके ।

चालक और परिचालक की दशा बहुत ही खराब है । चरथावल बस स्टैन्ड पर कुल 11 बसें चलती हैं । वहां के आर0 टी0 ओ0 से प्रार्थना भी की, लोगों ने हड़ताल भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । वहां पर 11 बसेज चल रही हैं जब कि कम से कम वहां पर 30 बसें चलनी चाहिए । मेरठ में कमिश्नर ने 4 परमिट दिए, वे भी मुस्तकिल न देकर टेम्पोरेरी ही दिए और नतीजा यह हुआ कि वहां पर हालत बहुत खराब है । मेरी प्रार्थना है कि उस रूट पर कम से कम 25 परमिट मिलनी चाहिए ।

अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके विभाग में आर0 टी0 ओ0 से लेकर जो बड़े अधिकारी हैं, चालक और परिचालक हैं, हर प्रकार की केटगरी में हरिजनों, पिछड़ी जातियों, मोमिन अंसारियों का कोटा पूरा होना चाहिए । कम से कम 18 फीसदी का कोटा हर प्रकार की सर्विसेज में होना चाहिए ।

अगली बात मुझे यह कहनी है कि जिसने भी हमारे रोडवेज के अड्डे हैं उनमें हमारे टिकट बाबू को जब 1 रुपया दिया जाता है और अगर 58 पैसे का टिकट होता है तो वह रुपया लेकर 40 पैसे टिका देता है और कह देता है कि टूटे हुए पैसे नहीं हैं । तो वह भी छोटी चेन्ज न होने के कारण दिन में 10-10, 20-20 रुपया बना लेता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां हमारे आर0 टी0 ओज0 का सम्बन्ध है वे जिस दिन सड़क पर चेकिंग के लिए जाते हैं चाहे वह सड़क केवल रोडवेज गाड़ियों के लिए ही हो, उन पर 20–20 प्राइवेट बसें चलती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उस रूट पर चलने के लिए उनके पास परमिट नहीं होते हैं तो वे कैसे वहां पर चलती हैं। यही नहीं जिस दिन वे चेकिंग के लिए किसी भी रूट पर जाते हैं तो नोटों की गड्डी पर गड्दी भर लाते हैं। प्राइवेट बस वाले जिनके पास कोई परमिट नहीं होता है बराबर अपना गाड़ियों को चलाए जाते हैं।

हमारे मुजफ्फरनगर शहर से जिला सहारनपुर में शाकम्बर देवी के स्थान तक जो कि एक बड़ा ही अच्छा स्थान है। देवी का मेला भी लगता है। एक रोडवेज की गाड़ी चला करती थी लेकिन कुछ अधिकारियों ने कुछ कम आमदनी दिखाकर उस रोडवेज की गाड़ी को बन्द करा दिया। मेरा सुझाव है कि भले ही उससे कुछ आमदनी कम हो लेकिन वह रोडवेज की बस मुजफ्फरनगर से शाकम्बरी देवी तक अवश्य चलनी चाहिए।

मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ट्रैक्टर टाली पर जो टैक्स लगा है, उसे तत्काल खत्म करना चाहिए। इससे जनता और प्रदेश का हित होगा, सबका भला होगा।

अब मैं आर0 टी0 ए0 कमेटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं उसमें कमिश्नर अपने रिश्तेदारों को परमिट दे देते हैं, इसलिए आवश्यक है कि उसमें एक विधायक भी होना चाहिए ताकि किसी गरीब, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी परमिट मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो ट्रैक्टर तथा ट्राली पर टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बसों में सिगरेट–बीड़ी पीने, मूंगफली खाने तथा अन्य चीजें खाने से बड़ी गन्दगी रहती है और उनकी सफाई नहीं की जाती जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि बसों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

मैं अपने क्षेत्र की एक और समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे शहर बुलन्दशहर में प्राइवेट बसें बहुत हैं और ट्रैक्टर्स भी बहुत हैं। उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरठ जाना पड़ता है। जिस प्रकार अन्य अन्य शहरों में व्यवस्था है, बुलन्दशहर में ही अगर आप अपना एक दफ्तर खोल दें तो इससे जनता को बड़ी सुविधा हो जायेगी। पहले नारायण दत्त तिवारी जी के समय मे इसे स्वीकार भी कर लिया गया था पर पता नहीं इस निर्णय को क्यों बदल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजयराज सिंह--

एक सुझाव में यह देना चाहता हूं कि सरकारी बसों के रख-रखाव तथा उनकी मेन्टीनेन्स पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी बसों को सार्वजनिक सम्पत्ति समझ कर छोड़ दिया जाता है जब कि थोड़ी मरम्मत करने पर ही उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है ।

इन शब्दों के साथ में इन बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर-खीरी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह उनके स्वभाव, प्रकृति और समाजवादी विचारधारा का द्योतक है । जो छूट की घोषणा उन्होंने आज की है उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, 25 प्रतिशत किराए में बढ़ोत्तरी करने का जो प्रस्ताव निगम ने भेजा है उसे आपने स्थगित करने का जो निर्णय लिया उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं । मुझे आशा है कि बाद को भी यह किराया बढ़ाया नहीं जायेगा और न ही माल-भाड़े ही में किसी प्रकार की वृद्धि की जायेगी क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह बताया हैं कि पिछले वर्ष निगम को 1 करोड़ 13 लाख का लाभ हुआ है । इसलिए किराए को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

मंत्री जी ने बताया कि 1 हजार 80 नई बसें चलाई जायंगी और 800 पुरानी बसों की मरम्मत की जायेगी । वे यह बताने की भी कृपा करें कि यह नई बसे इन 800 के अलावा 1,080 चलेंगी या इसमें मरम्मत वाली बसें भी शामिल रहेंगी ।

मंत्री जी तो शायद इन बसों में सफर न करते हों पर हम लोग अक्सर इसी बस से सफर करते हैं, देखते हैं क्या उसकी हालत है । जोर्ण-शीर्ण उसकी हालत है । यहां तक जो 3 घंटे में पहुंचनी है, 5 घंटे में पहुंचती है । आपके रोडवेज अथारिटी, आर० टी० ओ० हैं जिनका काम इन बसों पर अंकुश लगाना है, इन बसों पर अंकुश नहीं लगाते हैं । इस तरह की बसों को चलाने के लिए किसी प्रकार से अनुमति नहीं देना चाहिए। आप अपने इस बजट के अन्दर स्पष्ट घोषणा करें कि विद्यार्थियों से कम से कम नामिनल किराया लिया जाय और पास पर उनको चलने की व्यवस्था कर दें ।

(श्री सत्य पाल सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

आप और लोगों को बुलाते हैं, हमको मौका नहीं देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

तीन इधर के (शासक पक्ष की तरफ संकेत करके), एक इधर के (विरोधी पक्ष की तरफ संकेत करके) बुलाते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी के विचारार्थ रखना चाहता हूं । मान्यवर, जो ट्रक्टर ट्रालियों को जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करों से बचाया गया है, इसके लिए मैं समझता हूं कि वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, आपके माध्यम से बहुत ही संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके प्रदेश के अन्दर जो प्राइवेट रूटस हैं, जहां पर आपकी प्राइवेट बसें चलती हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई आबादी के अनुसार आज भी इतनी कम हैं कि जहां हमारे जनपद शाहजहांपुर के अन्दर निगोही मार्ग है, वहां पर इनसान जानवरों से बदतर गट्ठर की तरह से बसों में भरे जाते हैं। उन बसों की संख्या समुचित मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। आपने अभी एक विज्ञप्ति जारी की है कि कुछ बसों की संख्या बढ़ाई जायगी और वह केवल दाल में नमक के बराबर हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी की भावनाएं जनता के प्रति ह, इसमें कोई शक शुभहा नहीं है। उन्होंने अपनी कलम से आदेश भी दिया है, लेकिन उनकी जो तानाशाही, नौकरशाही है, वह उनके आदेश का पालन नहीं कर रहीं हैं। हमारे जनपद के अन्दर पिछले पांच सालों से, इस समय जनता पार्टी के एम0 पी0 सुरेन्द्र विक्रम सिंह, अवैधानिक रूप से अपने गांव से बड़ेरा तक 3 बसें चला रहें हैं। मैंने माननीय मन्त्री जी से आग्रह किया कि यह बसें बन्द होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जनता पार्टी के संसद सदस्यों के ऊपर परिवहन कानून लागू नहीं हो रहा ह और उनकी बसें आज भी उन्हीं अनुपात से चल रहीं हैं? जैसे पहले चल रही थीं। शायद माननीय मन्त्री जी और उनके अधिकारीगण नोट कर रहें होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वर्तमान शासन के अन्दर जो कर की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिए यह सरकार सक्षम नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि उनकी बसें खचड़ा हालत में हैं, लेकिन उन बसों को रोकने की क्षमता वर्तमान शासन में नहीं है। अधिष्ठाता महोदय जिस प्रकार से और भी बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं, स्वास्थय विभाग की खाद्य विभाग की, उसी प्रकार से आपकी एक जन प्रतिनिधियों की कमेटी, जो परिवहन विभाग से सम्बन्धित हो, बनानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

आधा मिनट आपका और है।

श्री सत्य पाल सिंह यादव––

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर बहुत से अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जैसे ड्राइवर जो कि छोटी सी गलती करता है, तो उसे 4–4 साल तक उसका मामला तय करने में लगाया जाता है। चार–चार साल तक उनका कोई निर्णय नहीं होता है। उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए और जो ऐसी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय परिवहन मन्त्री द्वारा पेश किए हुए बजट का समर्थन करता हूं और श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम वर्मा]

विरोध करता हूं । माननीय मन्त्री जी ने घोषणायें की हैं वे अपने ढंग की अभूत-पूर्व हैं खास कर उत्तर प्रदेश के किसान काफी प्रसन्न होंगे । परिवहन के माध्यम से आज जो प्रगति होनी चाहिए वह हमारे सूबे में नहीं हुई है । बसों की जो हालत है, बड़ी दयनीय है । प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति एक बस का परमिट पा जाता है, एक-दो साल के अन्दर 2 बसें कर लेता है और उसके जीवन के स्तर काफी ऊंचा हो जाता है । इस स्थिति पर भी मन्त्री जी को विचार करना होगा। परिवहन विभाग की बसें नियमित नहीं चलती और यात्रियों को सुख-सुविधा नहीं मिल रही है । सबसे बड़ी गड़बड़ी आज अवैध बसें हर राष्ट्रीय मार्ग पर चलती हुई दिखायी देती है । रोडवेज की बसों के आगे प्राइवेट बस चलती हैं और रोड वेज की बसें एक दो घंटे लेट चलती है तथा समय को पूरा करने के लिए बीच में अगर यात्री बैठना चाहे तो बसें रुकती नहीं है । इस तरह से रोडवेज की साख बड़ी तेजी से गिर रही है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था में गति लायें कि बसें नियमित ढंग से चले और यात्रियों को सुविधापूर्वक आसानी से जगह मिल सके ।

वर्कशाप की बड़ी हालत दयनीय है, एक-एक नट के लिए बसें खराब रहती हैं । जो सामान वर्कशाप में खरीदा जाता है वह घटिया किस्म का और उसमें काफी कमीशन लिया जाता है म अनुरोध करूंगा कि जो सामान खरीदा जाय, अच्छे ढंग का और पर्याप्त मात्रा में खरीदा जाय जिससे सामानों की कमी के कारण बसों का चलना बन्द न हो सके । यह भी देखा गया है कि टायर कभी-कभी बस्ती से लखनऊ तक जाते-जाते 2-2, 3-3 बार में खराब हो जाते हैं । इसलिए जो बसें चल रहीं हैं, ठीक ढंग से चलें ।

एक और अनुरोध करना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हो रहा है, आधा मिनट है ।

श्री बाबू राम वर्मा--

बिना टिकट यात्री पर परिचालक की सेवा समाप्त कर दी जाती है जब कि पिछले साल कानून बनाया गया है कि बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर....

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त ।

श्री बाबू राम वर्मा--

अन्त में मैं इस परिवहन बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता सदन उपस्थित हैं । मैं उनकी जानकारी के लिये यह लाना चाहता हूं, जैसा मुझे मालूम है कि आज दो अनुदान हैं और वर्तमान अनुदान जिस पर विचार हो रहा है वह तीन बजे समाप्त होना चाहिये । अगर वह उचित समझें, क्योंकि बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है, तो समय बढ़ाने के लिये कार्यवाही प्रस्ताव के रूप में कर सकते हैं ।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन, एक व्यवस्था की बात है। अभी अधिष्ठाता महोदय ने माननीय यादव जी को नेता सदन कहा है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, यह खुशी की बात है कि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने उनको नेता सदन घोषित कर दिया है।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला-गोंडा)--

मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों के समर्थन में अपने कुछ सुझाव और शिकायतों के साथ बोल रहा हूं। श्रीमन, यह जो पुस्तिका छपी है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की इसमें सबसे पहले यात्रियों को सुख सुविधा देने के लिये लिखा गया है। लेकिन परिवहन निगम की बसें ऐसी हैं जिनमें सिवा हार्न के और सब कुछ बजता रहता है, यह उनकी हालत है। नैनीताल और मंसूरी में एयर कंडीशंड बसें चली हुयी हैं लेकिन वह आम आदमी के बस की बात नहीं हैं। श्रीमन, पूरे फैजाबाद रीजन में कोई वेटिंग रूम नहीं है। इससे पहले वहां महिलाओं के लिये वेटिंग रूम था लेकिन उसमें रोडवेज वालों ने अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह की बातें कह कर जनता को भरमाया जाता है। मैं आपका ध्यान फैजाबाद रीजन में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन, यहां एक आर0 एम0 महोदय हैं जो अपने आफिस में कभी उपलब्ध नहीं होते हैं। वहां पर सीमेंट परिवहन निगम के कांस्ट्रक्शन के कार्य के लिये आयी लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण माल छुड़ाया नहीं गया और 8 हजार रुपये डैमरेज के पड़ गये। श्रीमन, डुप्लीकेट पार्ट्स पर वहां 10 लाख रुपये खर्च होते हैं। लीलैंड, मर्सिडीज गाड़ियां चलती हैं, पार्ट्स पर लिखा रहता है ओरीजनल पार्ट लेकिन वह डुप्लीकेट होते हैं। मैंने वहां ऐसे बिक्रेताओं को आर0 एम0, एस0 एम0 के आफिस के चक्कर लगाते देखा है। उनसे साठगांठ किये रहते हैं। इसकी जांच करायें।

श्रीमन, बलरामपुर से बड़े लम्बे रूट पर, देवरिया, बनारस के लिये बसें चलायी जाती हैं जब कि एक भी सवारी उपलब्ध नहीं है। वह यात्रियों को परेशान करने के लिये किया जाता है। बलरामपुर से गोंडा के लिये बसें उपलब्ध नहीं हैं लेकिन देवरिया के लिये चलायी जाती हैं।

श्रीमन, पूरे फैजाबाद रीजन में 10 साल से किसी को रेगुलर किया ही नहीं गया है। उनकी प्रमोशन लिस्ट नहीं बनायी गयी है। लोग रिटायर भी हो गये लेकिन रेगुलर नहीं हुये। लोग मर गये सेवारत रहते हुये, लेकिन उनकी विधवाओं को फंड और पेंशन नहीं मिली है।

श्रीमन, अंडरटेकिंग की बहुत बसें चल रहीं हैं। उसमें अधिकारी फी बस 400 रुपये लेते हैं, फी बस 400 रुपया बंधा है। इनको हटाकर सरकारी बसें चलाकर रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है क्योंकि रोडवेज की एक बस पर 9 आदमी काम करते हैं। 9 आदमियों में प्रत्येक आदमी के 5, परिवार के सदस्य मान लिये जायं तो इस तरह से 45 आदमी एक बस पर लग जाते हैं।

[श्री अशफाक अहमद खान]

लेकिनअंडरटेकिंग की प्राइवेट बसों पर केवल 2 आदमी काम करते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर । तो इन बसों को हटाया जाय । मैं आपसे मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय और प्रमोशन लिस्ट बनायी जाय । अगर नहीं किया गया तो मजबूर होकर मुझे फैजाबाद रीजन के इन कर्मचारियों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा ।

श्रीमन्, बलरामपुर से गोंडा मार्ग के बीच में सुभागपुर पड़ता है जिस पर बस चलती हैं. लेकिन सुभागपुर में बस नहीं रुकती हैं । इस सम्बन्ध में स्थानीय विधायक ने लिखकर भी दिया तो मन्त्री जी ने स्पष्ट आदेश दे दिये कि वहां बस रुके लेकिन फिर भी वहां बस नहीं रुकती है जब कि सुभागपुर में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर और क्षेत्रीय समिति का कार्यालय है । इसलिये मन्त्री जी इस तरफ पुनः ध्यान दें ।

मान्यवर, कुछ दिन पहले से एक बस सेवा चल रही है जिसमें लिखा रहता है कि 'मुझे भी ले चलो' जिसका मतलब कि सवारी यदि हाथ दे तो बस रुक कर उसको बिठाये लेकिन यह लिखा तो जरूर है किन्तु बस रुकती नहीं है, इसलिये यह सेवा बिल्कुल बेकार है ।

मान्यवर, फैजाबाद रीजन में एक टी० एस० श्री मोबार थे जिन्होंने वहां चल रही प्राइवेट बसों में हो रही असुविधा की शिकायत किया था जैसे कि उन बसों में सीटें बड़ी कंजस्टेड लगी थीं, तो शिकायत के आधार पर उनका रीजनल मैनेजर ने ट्रान्सफर करा दिया जो कि ठीक नहीं है । इसलिये मन्त्री जी इस तरफ भी ध्यान दें ।

मान्यवर, फैजाबाद में ट्रान्सपोर्ट आफिस के सामने जो दुकानें लगीं रहती हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो लर्निंग लाइसेंस के लिये दो रुपये जमा करना पड़ता है कि अभ्यर्थी योग्य है कि नहीं, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह दूकानदार 25 रुपये लेकर उन अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेन्स घर पर पहुंचा देता है । इसके अतिरिक्त वहां कुछ व्यक्ति बैठे रहते हैं जो विधायकों के जाली हस्ताक्षर, नकली स्टैम्प लगा करके टेम्पोरेरी यात्रा परमिट देते हैं । इसलिये मन्त्री जी इस भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी अधिष्ठाता महोदय ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बजट के लिये एक घंटा का समय बढ़ा दिया जाय । तो जब प्रस्ताव हो चुका है तो उप नेता सदन बैठे हैं, उनकी राय आप ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये प्रस्ताव की जरूरत नहीं है जिस समय तक अनुदान चलाना चाहते हैं उस समय तक चलेगा । 3 बजे इसको समाप्त करना चाहिये था लेकिन साढ़े तीन बजे तक शायद चलेगा । आप लोग 5-5 मिनट बोलें तो हर एक को मौका मिल सकता है ।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वतः बजट प्रस्तुत करते समय सदन ले समक्ष इस बात को माना कि इनके विभाग में बहुत सी जगहों पर भ्रष्टाचार है। मान्यवर, जून 1972 में जब परिवहन निगम बना था तो उस समय जो खर्चे थे उसके दस गुने आज निगम के खर्चे में बढ़ोत्तरी हो गयी है। पिछले सत्र में मैंने जो परिस्थिति इस परिवहन निगम की है यदि यह निगम अपने क्षेत्रों को बढ़ाने का काम करेगा, नये नये रूट खोलेंगे तो परिस्थिति यह होगी कि रीजन और अधिकारी तो बढ़ जायेंगे लेकिन निगम को घाटा होगा। मन्त्री जी ने यहां मुनाफे की बात कहा है, तो पता नहीं इनके अधिकारी कागज में कैसे इनको मुनाफा दिखा देते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि निगम जितने रीजन बढ़ा रहा है उसके हिसाब से कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है।

इसी तरह इस विभाग में कोई सेवा नियमावली नहीं है उदाहरण के लिये 1978 जुलाई में जब विभाग का पुनर्गठन हुआ। तो बिना काम किए 3,43,834 रुपये वेतन दिया गया उन लोगों को। ऐसा कोई विभाग नहीं मिलेगा जिस विभाग में बिना काम किए लोगों को वेतन दिया गया हो। मैं चाहूंगा कि कम से कम इसे देखें।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पचास प्रतिशत जो इस रोडवेज विभाग में अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं कहीं न कहीं उन के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच जारी है लेकिन वह कहीं न कहीं अच्छे पदों पर आसीन हैं। हमें इस बात की जरूर खुशी है कि इधर मंत्री जी ने कुछ तब्दीली की है लेकिन लाखों रुपयों की चोरी करने वाले अच्छे पदों पर बने हैं और बीस आने की, ढाई रुपये की, 22 रुपये की चोरी करने वाला कन्डक्टर सजा भुगत रहा है, सड़कों पर घूम रहा है जिसकी सेवा की अवधि 18 वर्ष, 20 वर्ष है। हमारे अधिकारियों को उसके बारे में सुनने को फुरसत नहीं है। अधिकारी करते क्या हैं। कोई बंधी रकम नहीं देता है तो उसके ऊपर फर्जी चार्ज लगा देते हैं। उच्च अधिकारियों के पास उसकी फाइल नहीं भेजते हैं। यह एक घोटाला है। यह छोटे लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने का एक तरीका है।

श्रीमन्, प्राइवेट बसों के बारे में....

(श्री सुरेन्द्र पाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरि केवल प्रसाद--

दो मिनट और दे दें। 920 बसों को इस समय प्राइवेट चलाया जा रहा है और इनकी 1300 बसें वर्क शाप में विभिन्न प्रदेश के कोनों में खड़ी हैं। अगर थोड़ी सी मरम्मत कर दिये होते....

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मैं चाहता हूं कि इस निगम में गैर सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिये । कर्मचारियों की जो मान्यता प्राप्त....

श्री उपाध्यक्ष --

आप समाप्त करें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

आपातकाल में निकाले गए लोगों को काम पर लगायें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज प्रदेश में बसों की बहुत कमी है । अक्सर देहात या शहर के हर स्टेशन पर देखा जाता है कि 40-40, 30-30 आदमियों की भीड़ बनी रहती है । देहात में तो भीड़ सुबह से लेकर शाम तक बनी रहती है । कई यात्रियों को तो निराश होकर घर लौटना पड़ता है ।

रोडवेज में सबसे ज्यादा इस बात का विश्वास नहीं है कि बस यात्रियों को अपने मंजिल पर पहुंचा ही देगी । इसके साथ ही इस में कन्डक्टर और ड्राइवर का भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता । मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी देने हैं ।

सबसे ज्यादा बात तो यह है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका है जिसके कारण कन्डक्टर और ड्राइवर को बड़े अधिकारियों से द्वारा चोरी करने के लिए विवश किया जाता है चूंकि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ जगहों पर कन्डक्टर को रोडवेज बस चलाने के लिए रोड ठेके पर दे दी जाती है । इसके अतिरिक्त रोडवेज वर्कशाप की बात है । अपने बांदा जनपद की बात बताता हूं । कुछ साल पहले वहां ऐसा सुना गया कि एक बस का इंजन नाली में बह गया । मान्यवर, जिस वर्कशाप के बस का इंजन नाली में बह जायगा उस विभाग का तो भगवान ही मालिक है । इस सम्बन्ध में और भी बात है । बस के टायर और ट्यूब अक्सर फोरमैन से मिल कर कर्मचारी और अधिकारी दूकानों पर बेच देते हैं । मान्यवर, इसके लिए यह व्यवस्था करें कि टायर और ट्यूब तथा स्पेयर पार्ट में राज्य सरकार का कोई चिन्ह अंकित हो ताकि अगर वह बेचा जाय तो बेचने वाला पकड़ा जा सके । तो यह साफ जाहिर हो जाय कि यह सरकारी सामान है । अक्सर यह देखा जाता है कि बसों में राहजनी और लूटपाट ज्यादा हो रही है । बांदा से कुछ यात्री कानपुर आ रहे थे । दिसम्बर, 1978 की बात है। एक यात्री को गोली मार कर 1 लाख रु० लूट लिया गया । हर बस में स्थायी रूप से पुलिस चला करें ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो सके। दूसरे प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में यह कहना है कि उनके मालिक अपने कन्डक्टर, ड्राइवर तथा क्लीनर को मनमाने तौर पर निकाल दिया करते हैं । ये बड़े ही निरीह कर्मचारी हैं और निकाले जाने पर किसी काम के नहीं रह जाते । इसलिए इनकी सर्विस सम्बन्धी कुछ नियम बनाए जायं ताकि बस मालिक इनको न निकाल सकें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांदा जनपद में बसों की भी बड़ी कमी है । हर बस स्टाप पर 50, 60 आदमी खड़े मिलेंगे । हालत इतनी खराब है कि यात्रा करना उनके लिए असम्भव सा हो जाता है । इसलिए बांदा म बसों की संख्या बढ़ाई जाय । बांदा कर्वी मार्ग है । करवी सेन्टर पर है । करवी से बांदा, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, मानिकपुर आदि स्थानों पर बसें जाती हैं लेकिन वहां कोई डिपो नहीं है । डिपो की व्यवस्था वहां की जाय ताकि रात्रि को जो बसें आयें उनकी देखरेख तथा सफाई हो सके । टिकट घर की इमारत नहीं है । टिकट घर बनाया जाय और वेटिंग रूम भी हो । गर्मियों के दिनों में बस अड्डों पर पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाय । बांदा कालिंजर सड़क है जिस पर प्राइवेट बसें चलती हैं । इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय । बांदा से एक बस सतना जाती है, इसको रीवां तक बढ़ाया जाय । इसी तरह चित्रकूट छतरपुर मार्ग है । इस पर प्राइवेट बसें चलती हैं । इसी पर भी रोडवेज की बसों की व्यवस्था की जाय । चित्रकूट बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, लाखों यात्री आते हैं इसलिए यहां पर प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था करें । अमावस्या का मेला लगता है उसके लिए भी बसों की व्यवस्था की जाय ।

* श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं । यातायात की बराबर सुविधायें दी जा रही हैं, सरकार इस ओर बराबर जागरुक है और नई-नई सुविधाओं की व्यवस्था होती जा रही है लेकिन इस सुविधाओं के उपलक्ष्य में सरकार को लाभ होना चाहिए लेकिन जो भी खर्चा सरकार का होता है उसका भी वापस आना दुर्लभ हो रहा है । सरकार को अपनी लागत भी नहीं मिल रही है । इसका पहला कारण यह है कि पुलिस विभाग इसमें गड़बड़ी करता है और दूसरे जो विभागीय छोटे कर्मचारी हैं जैसे कन्डक्टर तथा ड्राइवर आदि भी लापरवाही बरतते हैं ।

इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख भी किया है कि समय से बसें नहीं छूटती है । साथ ही जो प्राइवेट बसें हैं वे अपनी गाड़ी आगे लेकर चलते हैं और आपकी बसें पीछे रहती हैं इसीलिए वे लाभ पर रहते हैं और आप नुकसान पर रहते हैं । साथ ही हमारे जो कर्मचारी इन बसों में होते हैं वे समझते हैं कि हमारा तो महीने में लाभ हो ही रहा है, जनता को सुविधा हो या न हो, सरकार को लाभ हो या न हो । इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है । मान्यवर, मैं याद दिलाऊं हमारे फैजाबाद जिले में एक अकबरपुर रेलवे स्टेशन है वह एक जंकशन है । वहां पर 4 गाड़ियां बराबर लगी रहती हैं जिसके पास न लाइसेन्स है और न जिनको सरकार द्वारा कोई सुविधा दी गई है । बराबर जिलाधिकारी को इसके बारे में लिखा गया किंतु कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि यह परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है ।

मान्यवर, हमारी जो गाड़ियां हैं वे खाली जाती हैं और उनकी गाड़ियों में यात्रियों के लिए जगह नहीं रहती है । यात्री तो जहां सुविधा पायेगा वहीं जायेगा । हमारे उप मुख्य मंत्री मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती रामरति देवी]

के पुलिस से सम्बन्ध में भी वहां पर ध्यान दें । हमारे वहां पर जो थाने के इन्चार्ज हैं, वे लापरवाही करते रहे हैं । उनको लाभ हो रहा है तो फिर क्यों वे प्रशासनिक मामलो में हस्तक्षेप करेंगे ।

मान्यवर, मेरे जहांगीर विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है जो टाउन एरिया के रूप में है । कहने के लिए तो वह गांव है लेकिन उसकी आबादी टाउन एरिया के बराबर है । दो गांव हैं भूलेपुर और हसवर । ये दोनों बसकारी ब्लौक में आते हैं । इन गावों की संख्या टाउन एरिया से भी ज्यादा है वहां पर अधिकांश मुसलिम भाई रहते हैं जो बुनाई का कार्य करते हैं और उनका कपड़ा बस्ती, खलीलाबाद और गोरखपुर आदि बाजारों में जाता है । उनको बराबर मांग रहती है कि हसवर जो कस्बा है और एक टाउन एरिया के रूप में वहां से एक बस सीधे फैजाबाद को चलाई जाय । उन्होंने यह मांग अपने हर स्तर से कर ली है । मान्यवर, पहले एक बस सीधे फैजाबाद वहां से जाती थी किन्तु पता नही क्यों इसे बन्द कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । (लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमती राम रति देवी--

एक मिनट और लूंगी, एक और सुझाव...

श्री उपाध्यक्ष--

लाल बत्ती जलने पर इस तरह से जिद करेंगी तो आगे ऐसे किसी को बोलने ही नहीं दिया जायेगा ।

श्रीमती रामरति देवी--

मान्यवर, अकबरपुर बस स्टेशन जो है उसमें महिलाओं के बैठने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । इसलिए मैं चाहती हूं कि महिलाओं के बैठने के लिए वहां पर उचित व्यवस्था की जाय । इस स्टेशन से कई जिलों को बसें जाती हैं इसलिए यह अत्वश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं ।

*श्री सुमेर चन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस चर्चा में भाग लेने से पहले मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को 2/3 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । जब से परिवहन मंत्री महोदय ने यह पद ग्रहण किया है तो आपने एक सूचना जारी की कि विधायकों के साथ जो सहवर्ती सफर करते हैं उनके लिए अलग से लिखकर देने की जरूरत नहीं है, यह कहना कि ये उनके साथ हैं, काफी है । मैंने यह भी महसूस किया है कि अब रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर विधायकों का कुछ सम्मान करते हैं उनको वह सीट जो सरकार की मंशा थी आरक्षित सीट दिला देते हैं । मैं यह चाहूंगा कि अगर उस सीट पर कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पैसेन्जर बैठता है तो उससे ड्राइवर और कंडक्टर कह देते कि यह अपनी रिस्क पर बैठे अगर कोई विधायक आयेगा तो उसे उठना पड़ेगा ।

एक बात यह भी पाई गई है कि माननीय परिवहन मंत्री विधायकों के पत्रों का जवाब जल्दी दे देते हैं लेकिन कुछ मंत्रियों के बारे में मैंने महसूस किया, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह सभी मंत्रियों से कहें कि विधायकों के पत्रों का जवाब जल्दी दे दिया करें, क्योंकि वह विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं । जब विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं दिया जायेगा तो आम जनता के लोगों के पत्रों का क्या जवाब देंगे । माननीय परिवहन मंत्री इस मामले में चुस्त है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

दूसरी बात यह है कि जो प्राईवेट रूट है जहाँ पर रोडवेज की बस नहीं चलती है वहाँ पर पैसेन्जर्स को बड़ी परेशानी होती है । बसों की छतों पर लोग बैठकर जाते हैं । हमारी समझ में यह बात नहीं आती है जिस बात के लिए हम कांग्रेस सरकार की आलोचना करते थे कि परमिट सिस्टम गलत है । तो अब जनता पार्टी की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है । परमिट ज्यादा से ज्यादा ऐसे रूट्स पर किए जाँय कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनकम 1,500 से ज्यादा बस वालों को न हो । ऐसे रूटों पर अगर बसों की कमी है तो आमदनी को 15 सौ रु0 से ज्यादा न होने दी जाय और उसके लिए परमिट दिये जायं ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जनता सरकार ने शासन संभालते ही यह घोषणा की थी कि जो मीसा और डी0 आई0 आर0 में बंद रहे, या जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सबको परमिट की सुविधा मिलेगी लेकिन एसा नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी इस परमिट सिस्टम को ठीक करें । हमारे यहां सहारनपुर में समझ में नहीं आता है कि किस तरह से परमिट दिए जाते हैं । पहले कहा गया कि एक तरफ परमिट नहीं मिलेगा और लाटरी खुलेगी । लेकिन गंगो रोड पर 8/10 बसें जैसा चाहा वैसे मंत्री जी ने कर दिया ।

एक बात और है कि डिपार्टमेन्ट भी बदनाम है जैसे कि पुलिस डिपार्टमेन्ट है बदनाम हैं । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि चेकिंग नहीं होती है उसमें भ्रष्टाचार हैं । इसलिए जरूरी हूं कि मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को रोकें । मैं अपने जिले सहारनपुर की बात बताता हूं और मंत्री जी की नोटिस में यह बात लाता हूं कि एक कर्मचारी जिसका नाम दिलीप चन्द है जो फिटर ग्रेड 2 है सहारनपुर रोडवेज में उसको इमरजेंसी में सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उसके पिता विरोधी दल के म्युनिसिपैलिटी में कमिश्नर थे और उनके विरोधी लोग चाहते थे कि इनके लड़कों को हटाया जाय । मैंने मंत्री जी को दरखास्त भी दी थी, नये-नये मंत्री थे और मैं भी नया विधायक था तो उन्होंने कहा आल राईट इसे रि-इंस्टेट कर दिया जाय । तो उस आर्डर का पालन 6 महीने तक नही हुआ मैंने पूछा कि अब क्या करना है, टेठी कोठी भी गया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ । वह आदमी लेबर कोर्ट से जीत गया और 22 हजार रुपया की कुर्की सरकार से खिलाफ हो गई । मगर देहरादून के कोई भटनागर साहब है उससे कहा कि 22 हजार रु0 सरकार से मिल जायेंगे लेकिन 5 हजार रूपया पहले दो वर्ना उसके खिलाफ रिट दाखिल होगी । तो यह एक भ्रष्टाचार का नमूना मैंने पेश किया है । इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया ।

*श्री गुरू प्रसाद शास्त्री (जिला इलाहाबाद)--

माान्यवर, परिवहन मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मै उसका समर्थन करता हूं और वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह एक मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा पहुंचाने वाला विभाग है। यह सुविधा तभी प्राप्त हो सकती है, जब सभी बसें व्यवस्थित रूप से चलें। कहां कहां, किस प्रकार इस व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, मैं उसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विभाग में जो टेकनिकल इंस्पेक्टर होता है जो सरकारी और प्राइवेट सभी बसों और ट्रकों को फिटनेस देना है। यह इंस्पेक्टर अपने इस कार्य में बड़ी गड़बड़ियां करता है। जब इसकी इच्छा होती है करते हैं नहीं तो दो-दो, तीन-तीन दिन तक फेल करते रहते हैं। उनका हर बस से कई-कई हजार रुपया घूस का तय रहता है, जो उन्हें घरों पर मिल जाता है। जो यह रुपया दे देते हैं, तब ही उनकी गाड़ियां पास होती है, वरना नहीं।

मंत्री जी ने ट्राली और ट्रेक्टर्स पर से कर समाप्त किया है, उसके लिये मैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी दे रहे हैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रेक्टर पर से जो फिटनेस लिया जाता है, उसको भी समाप्त किया जाए। अब मैं अपने जिला इलाहाबाद की ओर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वहां काफी बसें चलती हैं। उस जनपद में हमारा क्षेत्र करछना है, जो मध्य प्रदेश और बुन्देलखन्ड की सीमा पर है। उसमें शिवराजघाट एक ऐसा स्थान है, जहां पर आपने चेक पोस्ट कायम किया है, इसलिए कि वहां पर बाहर से जो ट्रक या बस आवें और गुजरे, उनसे 40 रुपया लेकर रसीद दे दें। किन्तु वहां पर जो एक-दो स्थान और हैं, वहा पर आपके जो कर्मचारी नियुक्त हैं, वह वैध लोगों को परेशान करते हैं और अवैध रूप से लोगों से पैसा लेते हैं और पैसा लेकर उन्हें पास कर देते हैं और उसका कोई रिकार्ड या हिसाब नहीं रखते हैं। इन बातों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

माान्यवर, आज समय इसमें एक घंटा और बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

समय तो वैसे ही बढ़ा दिया गया है। अब श्री देवबहादुर।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अरुण कुमार--

माान्यवर, इधर से कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक हैं अब मैं श्री अरुण कुमार को समय देता हूं और श्री देव बहादुर सिंह जी में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय, परिवहन मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें सरकार की क्या मंशा है देखने के बाद स्पष्ट लगता है यह अपने बुद्धि और विवेक से कोई काम करना नहीं चाहती हैं और न वे हम लोगों को समय देकर हमारी बात सुनना चाहती हैं। आप जिस प्रकार से हमें समय दे रहे हैं, उससे ही श्रीमन्, आप समझ सकते हैं कि सरकार हमारा और विभाग को कितनी उपेक्षा कर रही है। इसका संबंध प्रदेश की करोड़ों जनता से जुड़ा हुआ है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए सूक्ष्म में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मजबूरी आपके सामने है। आप ज्यादा समय नहीं देंगे। क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन माननीय मंत्री से निवेदन कर दूं। आपका पुराना जिला है इलाहाबाद, वहां की वर्कशाप को सुनियोजित कर दे तो तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा निवेदन यह है कि जौनपुर का इलाहाबाद से बराबर सम्बन्ध रहता है, आना जाना भी रहता है, बसें पूरे दिन दिन भर नहीं रहती हैं, बादशाहपुर, जौनपुर जाने के लिए, पूरे-पूरे दिन बसें नहीं रहतीं, ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। शादी-ब्याह के मौके पर बहुत ही गड़बड़ी इस साल देखने में आयी एक और निवेदन है कि पिछले शासन ने मुंगरा बादशाह-पुर, जौनपुर, में बस डिपो बनाने के लिए। जमीन भी एकवायर कर ली गयी थी और पैसा भी सरकार की तरफ से सैंक्शन कर दिया था। लेकिन जनता शासन के आने के बाद, जौनपुर जिले ने, चूंकि जनतन्त्र की परिभाषा को कायम रखने के लिए और जनता सरकार को बुद्धि और विवेक देने के लिए, प्रतिनिधि कांग्रेस(आई) के चुने हैं, इसी नाराजगी से शायद काम नहीं हो रहा है। पिछले शासन ने तय किया था, बहुत ही जरूरी है, मुंगरा बादशाहदुर में डिपो बनाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाय क्योंकि जमीन ली जा चकी है, उसको एक्वायर कराने में जन प्रतिनिधियों ने बहुत सहयोग दिया है, अविलम्ब उसको देख लिया जाय।

जो हमारे यहां के ए0 जी0 एम0 साहब हैं, जाफरी साहब, उनकी निगरानी रखी जाय। बराबर शिकायत मिलती है कि बसों को स्टेशन पर अव्यवस्था है। थोड़ी सी सख्ती बरतें। ज्यादा समय न लेकर केवल इतना कहूंगा कि परिवहन जगत में जो भी भ्रष्टाचार है, जिसका प्रारूप आपके विभाग में होगा, उसको खत्म करने में हम लोगों से जो भी सहयोग चाहेंगे देंगे। और जो डिपो खोलने की बात है, उसका तत्काल इन्तजाम करें। बड़ी कृपा होगी।

(बाबा राम आधार यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई गरम चीज अभी कहेंगे।

बाबा राम आधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

माननीय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी निगम बने हैं, जो भी भ्रष्टाचार है, वह इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसके सम्बन्ध में अधिक कहना बेकार है। अन्य माननीय सदस्यो ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा है उसकी ओर ज्यादा नहीं जाना चाहता

[बाबा राम आधार यादव]—

माननीय परिवहन मंत्री जी सौभाग्य से नौजवान भी हैं और बहुत पुराने समाजवादी डाक्टर लोहिया के अनुयायी हैं। डाक्टर लोहिया कभी अपनी जिन्दगी में रिक्शे पर नहीं चढ़े और चाहते थे कि हमारे देश के अन्दर जो रिक्शा चलता है वह जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाय। कांग्रेस सरकार तीस साल तक रही। दो साल से जनता सरकार भी आयी है। लेकिन हमारी सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि रिक्शे का उन्मूलन कर दिया जाय। मान्यवर, इतनी भंयकर गर्मी के अन्दर आज भी रिक्शा चालक की कितनी दुर्दशा हो रही है। अकेली सवारी खींच नहीं सकता, मगर उस पर तीन-तीन सवारियां चलती हैं। उसके ऊपर पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है।

मैं चाहूंगा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में है उसमें कटौती करें और निगम के नाम की चीज को खत्म करके, एक चीज ऐसी करनी चाहिये आजकल जो मोटर वाले रिक्शा चलते हैं, परिवहन विभाग वाले वही चलाये जायें जिससे सवारियों को भी सुविधा हो और रिक्शा चालक को घोड़े के कार्य से मुक्ति मिले और डाक्टर लोहिया का स्वप्न साकार हो सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि बहुत से परिवहन मंत्री आये और चले गये, लेकिन अगर आप कोई क्रान्तिकारी कार्य नहीं कर सके तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। परिवहन निगम नगर के अन्दर बस सेवा अच्छी नहीं दे सकता है तो निगम को तत्काल समाप्त करके नगर बस सेवा का कार्य सहकारिता के आधार पर चलाया जाये। माननीय परिवहन मंत्री इलाहाबाद जनपद के हैं और वह वहां की समस्याओं को भली प्रकार से जानते हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट ही नहीं और विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि वह एक ऐसी नगरी है जहां पर गंगा और जमुना का संगम है और वहां पर देश विदेश के तमाम यात्री आते हैं। इलाहाबाद और प्रयाग स्टेशनों से कोई बस नहीं चलती है जाने के लिए कोई भी बस सेवा नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप वहां पर बस का प्रबन्ध करें जिससे तीर्थ यात्रियों को संगम स्नान की सुविधा हो इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमान सिंह आजाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी आप मेरे ऊपर भी दया करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह से समय मांगतें हैं और समय खराब करते हैं।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं तो निवेदन कर रहा था।

श्री कबूल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज परिवहन बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। ट्रैक्टर ट्राली पर से टैक्स हटाने की तो माननीय मंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ घोषणा की कि ट्रैक्टर ट्राली से टैक्स हटा लेंगे, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। अभी-अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय वर्मा जी ने उनकी इस घोषणा पर सन्देह व्यक्त किया था कि पिछली बार भी ऐसी ही बात हुई थी। मैं इस पर कोई सन्देह नहीं करता। पहले ऐसा आश्वासन नहीं हुआ था हमारे मंत्री जी जो भी आश्वासन देंगे वह पूरा होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपकी ही बात पर लोग सन्देह कर रहे हैं।

श्री कबूल सिंह--

एक आध कर रहे होंगे । अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने यह लांछन लागया कि कन्डक्टर डब्लू0 टी0 में पकड़े जाते हैं और उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम आप जनता को भी जिम्मेदार बनाइये जिस तरह से दिल्ली में परिवहन निगम ने किया है. दिल्ली परिवहन निगम के कन्डक्टर पर तो जिम्मेदारी है ही, अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर भी जुर्माना होता है । तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारी बसों में यात्रा करने वाली जनता पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद करें ताकि कोई भी बिना टिकट यात्रा न करें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसके लिए हमारे प्रदेश में भी एक ऐक्ट लागू है ।

श्री कबूल सिंह--

मैं यह भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पिछली तरफ कन्डक्टर्स के लिए बैठने की एक सीट होती है उसी प्रकार से हमारी बसों में भी होनी चाहिए ताकि जो सवारी बिना टिकट लिए आगे बस में चढ़ जाते हैं, उन पर ही जुर्माना हो ।

आज भी परिवहन निगम में जो आपके बस स्टेशनों पर झाड़ू लगाते हैं, उनको केवल 10 रुपया माहवार दिया जाता है । मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि उनका वेतन बढ़ाया जाय क्योंकि 10 रुपये में आज के जमाने में कुछ नहीं होता है ।

जहां हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा बसों के जरिए से यातायात की सुविधायें दी जा रही हैं वहीं एक बात मुझे और कहनी है कि परिवहन विभाग ने सामान ढोने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए भी कोई न कोई हिसाब-किताब बना लें या तो विभाग में ट्रक्स वगैरह का प्रबन्ध हो अथवा कोई दूसरा जिससे भार का भी संचालन किया जा सके और यात्रियों की लुटाई न हो सके ।

इसके साथ-साथ मुझे एक बात और कहनी हैं । मेरठ मंडल में पिछले दिनों लगभग 200 रूट बसों के चलाने के लिए, निकली थी लेकिन आज तक वे पूरी नहीं हो सकी । तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनको पूरा करायें ताकि वहां की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके । वे स्थान भरे नहीं गये शायद वहां के कमिश्नर का कोई स्वार्थ हो, इस प्रकार की शिकायतें भी वहां से मिली हैं ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि आपके यहां पर स्टेशनों पर जो चाय वगैरह की दुकानें होती हैं, उनका ठीक तरह से नीलाम नहीं किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें ताकि और पैसा इकट्ठा हो सके और तेजी से वसूल किया जा सके ।

[श्री कबूल सिंह]

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुजफ्फरनगर में एक नगर बस सेवा भी चलायी जाय जिससे वहां के यात्रियों को सुविधा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो ट्रैक्टर ट्राली से टैक्स माफ करने की घोषणा की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जितनी परेशानी इस ट्राली के टैक्स से नहीं होती थी उतनी ट्रैक्टर और ट्राली को एक साथ ऐक्ट के अन्तर्गत फिटनेस के अन्दर ला देने से होती है। उस फिटनेस के कारण विभाग में बड़ा ही भ्रष्टाचार है और उससे किसान बहुत ही परेशान होता है। जैसे आपने ट्राली के टक्स को समाप्त किया है, वैसे ही फिटनेस की दिक्कत का भी समाधान कर दें।

माननीय मंत्री जी ने बसों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही है लेकिन कब तक बढ़ पायेंगी यह तो आप ही जानते हैं लेकिन उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। करोड़ों रुपयोंका घाटा होता रहा है। आपने धीरे-धीरे उसे कम किया है। यह निगम अभी तक अपने विभाग में दुरुपयोग को नहीं रोक पा रहा है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपके निगम के 200 बसों के रूट्स ऐसे हैं जहां निगम को घाटा हो रहा है। लखनऊ से उरई और महोबा तक चलने वाले रूट पर भी आपको घाटा हो रहा है। मेरा आपसे सुझाव यह है कि जिन रूट्स पर आपको घाटा हो रहा है और जनता को भी परेशानी हो रही है, उन पर आप प्राइवेट बसें चलने दीजिए। इससे आपको घाटा भी नहीं होगा और जनता को भी परेशानी नहीं होगी।

मैं अगर यह कहूं कि आप भ्रष्टाचार को अपने यहां लीगालाइज कर दीजिए, तो शायद आप यह नहीं कर सकते, लेकिन यह सही है कि अगर आप इन आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० के पदो को नीलाम करने लग जायें तो आसानी से 10-20 हजार रुपये महीने में नीलाम हो जायेंगे। उरई का ए० आर० टी० ओ० खुलेआम चौराहे पर खड़े होकर विधायकों को चुनौती देता हुआ रिश्वत लेता है, कलेक्टर और एस० पी० को चुनौती देता है और हर ट्रक को रोक कर उससे 50 रुपये वसूल किए जाते हैं। अगर ट्रक वाला न दे तो उसे परेशान किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। अगर आप इन पदों को नीलाम करने लग जायें तो ज्यादा अच्छा है।

आपके भट्टाचार्य साहब पहले परिवहन निगम के चेयरमैन थे, उनके समय में 4 हजार बसों की बाडी बनने के आर्डर मारुति फर्म को दिए गये और उसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ। 45 हजार रुपये में बाडी तैयार हुई जबकि निम्नतम टेन्डर 27 हजार का था। शाह कमीशन ने कहा कि इसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ। उन्हीं भट्टाचार्य साहब को आपने यहां का मुख्य सचिव बना दिया। इसी प्रकार जो उपायुक्त थे उनकी भी तरक्की हो गयी, वे भी सचिवालय प्रशासन में सचिव के पद पर नियुक्त हो गये।

इस तरह से उस स्कैन्डल को छिपा दिया गया । जब आप भ्रष्ट अधिकारियों को तरक्की देंगे तो कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा । बड़े–बड़े स्कैन्डल पकड़े जाते हैं पर जिम्मेदार अधिकारियों को सजा नहीं मिलती । सजा मिलने के वजाये उनको इनाम मिलता है । इससे जन भावना का आदर नहीं होगा ।

अब मैं अपने जिले के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । झांसी से कानपुर रुट पर 225 किलोमीटर लम्बा रूट पर एक भी वर्कशाप नहीं है । कानपुर और झांसी में तो है, बीच में नहीं है । आप उरई में एक वर्कशाप खोल दें ।

उरई कानपुर और झांसी के बीच में है––फिर भी उरई में बस स्टेशन नहीं है । वहां बस स्टेशन बनाया जाये । वहां पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है । इस ओर भी ध्यान दिया जाये ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

अभी न्याय विभाग का भी बजट पेश होना है, 3–3 वक्तव्य हैं एक विधेयक भी पास होना है, इस तरह से क्या 9 बजे तक आप सदन चलाना चाहते हैं ?

(व्यवधान––शोर)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी की तरफ इस बात का मैं इशारा कर रहा हूं कि पूरे शासन में माननीय मंत्री जी इतने नेक व्यक्ति होने के बावजूद भी इन्हें ऐसा विभाग दिया गया है जो करप्शन का समुद्र है । मैं भर्त्सना करता हूं, खेद प्रकट करता हूं कि जो ट्रैक्टर ट्राली पर आपने टैक्स हटाया है और आपने किसान की संज्ञा इसे दिया है, मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं । मैं परिवहन विभाग के उस प्वाइंट पर जाना चाहता हूं, जिस पर परिवहन विभाग नियुक्त हुआ है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में अधिकारियों को मिला कर जितने गाड़ी ओनर हैं, जितने प्राइवेट गाड़ियों के मालिक हैं, ये लोग पैसे देकर जो अच्छी रूट हैं, उनको ले लेते हैं । प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक अच्छी रूट्स पर पैसे देकर ये गाड़ियां चला रहे हैं ।

इस किताब के सफा 8 में लिखा है कि एक्सीडेंट होगा, चाहे वह चालक परिचालक का हो, या गैर आवश्यक आदमी का हो, तो मैं अपने क्षेत्र के एक गांव निमटिनी की बात बताता हूं । वहां पर एक लड़का जो कि अपने बाप का अकेला लड़का था, 1976–77 में माननीय उप मुख्य मंत्री के क्षेत्र के बगल में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और काफी गम्भीर अवस्था में आजमगढ़ अस्पताल में वहां पहुंचाया गया । 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है । मृत्यु के बाद जब उसके माता–पिता को खबर चलती है, तो वहां जाने के बाद लाश तक पुलिस ने उसको नहीं दिया और पुलिस ने ही शायद उसको दफनाया । इस सम्बन्ध में आज तक दसों दरख्वास्तें देने के बावजूद भी उसे कोई सहायता नहीं दी गयी । अपनी बात बताऊं कल साढ़े 6 बजे अतरौलिया, उप मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में साढ़े 6 बजे के पहले बस स्टेशन पहुंचा, सवा 8 बजे के करीब बहराइच जाने वाली

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

बाद 12 बजे उस गाड़ी ने पहुंचाया और फिर 200 किलो मीटर से कम दूरी है, मगर मैं 5 बजने में 2-4 मिनट बाकी था, तब मैं विधान सभा में आया। 13 घंटे में पौने दो सौ किलो मीटर माननीय मंत्री जी की गाड़ी से यहां आया। विभाग की बात बताऊं। अभी एक गाड़ी मांगा। आपने आदेश दे दिया कि अंडर टोंकिंग की गाड़ी, जहां पर एक भी गाड़ी नहीं चलती है, हमारे लिए गाड़ी उपलब्ध है। अहरौला जो उप मुख्य मंत्री का क्षेत्र है माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिया वहां पर गाड़ी चलने के लिए। वहां पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी चला दिया। वह कंकड़ रोड है, 12-14 दिन तक चलने के बाद वह गाड़ी बन्द कर दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम आसरे जी आप कितना समय लेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

15 मिनट।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, 1 मिनट लूंगा। मान्यवर, 1 मिनट दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोल तो रहे हैं, इतनी देर में कह जाते आप अपनी बात।

श्रीभगवती प्रसाद सिंह--

उप प्रबन्धक के पास मैं गया, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं दो लाख की गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं हूं और बुरी तरह मुझे अपने कमरे से उन्होंने निकाला। यह विभाग मंत्री जी के आदेश का पालन नहीं करता है। अजीब व्यक्ति को उप प्रबन्धक के पद पर बैठाया गया है।

ऐसी घटना पर परिवहन विभाग के मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

(शोर)

(श्री भगवती प्रसाद सिंह बोलते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष--

बाकी आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

अभी आपके पास न्याय विभाग की मांगे हैं उसके बाद 2 नियम 51 के हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम है और जिसके ऊपर काफी चर्चा होगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस परिवहन निगम की मांगों को कब तक समाप्त करेंगे ताकि न्याय विभाग की मांगों पर भी कुछ चर्चा हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष––

इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं . . . ।

श्री मान सिंह आजाद––

[×––×––×]

श्री उपाध्यक्ष––

यह लिखा नहीं जायेगा । आपको यह देखना चाहिए कि क्या सदन 9 या 10 बजे तक चलेगा ?

श्री मान सिंह आजाद––

[× × ×]

(शोर)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष––

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री मान सिंह आजाद––

आप ठीक कहते हैं । न लिखिये । मैं तो अपनी बात कहूंगा जरूर। जैसा मैंने निवेदन किया आप मुझे निवेदन नहीं करने दे रहे हैं, और आप यह समझ रहे! राम आसरे जी. . .

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठिये ।

श्री मान सिंह आजाद––

मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय परिवहन मन्त्री जी का जो बिल आया, मैं उसका स्वागत करता और यही नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से·····

नोट :––(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप ऐसा करें, हमारा.....

श्री मान सिंह आजाद--

राम आसरे जी सुनलें जरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से फिर हमें आप को मजबूर होकर चेतावनी देनी पड़ेगी । सदन में मैं आपको सदस्य समझता हूं और आग कुछ नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे समय से 2 मिनट कम कर दीजिये और मानसिंह आजाद को समय दे दीजिए ।

श्री बाबू बदरे--

बड़ा कमजोर हरिजन है। इसको समय दे दीजिए ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

यह सक्सेना, प्रदेश को खा रहा है और यही नहीं जो हड़ताल हुई है, मैं मन्त्री जी को लिखित देना चाहता हूं, हमारी यूनियन के लोग चलाना चाहते हैं। उन्होंने डी० एम० को भी.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए। अब बहुत हो चुका ।

श्री मान सिंह आजाद--

ऐसे उपाध्यक्ष को निकालिये.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप को चेतावनी देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

लिखा न जाए, आप के पास उपाय है लेकिन यह सुना न जाए, इसके लिए आप के पास कोई उपाय है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह उपाय है। वह जरा कड़ुआ है । मैं उसको पसन्द नहीं करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और जिन लोगों ने धैर्यपूर्वक इस चर्चा को सुना, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं । जो चर्चा हुई उससे हमारी उन बातों की पुष्टि हो जाती है जो हमने प्रारम्भ में उठायीं थीं ।

परिवहन विभाग के संबंध में, जनता को कितनी सुविधायें मिलती हैं, माननीय सदस्यों ने स्वयं यह बात साफ कर दी है। जैसा कि मंत्री जी ने कुबूल किया है आम धारणा बनी हुयी है कि अगर कुछ सुविधायें मिलती भी हैं तो वह प्राइवेट बसों से मिलती हैं, आपके बसों के मुकाबले। यह बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिये और ज्यादा है कि माननीय मंत्री जी अगर समाजवादी दृष्टिकोण के न होते तो शायद यह बात तकलीफ देह न होती लेकिन एक समाजवादी दृष्टिकोण के मंत्री के रहते हुये अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बसों के बारे में जनता की धारणा खराब बनती है तो अत्यंत दुख की बात है। एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि बसें तो ऐसी चलती हैं कि हार्न को छोड़कर बाकी सब कुछ बजता है। तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही जा सकती। माननीय भगवती सिंह जी बोल रहे थे उन्होंने एक बात कही कि 13 घंटे में पौने दो सौ कि0मी0 यात्रा वह कर सके। बड़ी अच्छी बात है कि वह पहुंच तो आये। मेरा कहना है, कि अगर कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचना चाहता है तो वह रोडवेज की बस पर सवारी कर ले। तो रास्ते में बस खड़ी मिलेगी। रास्ते में कई कई जगह बसें खराब होकर खड़ी हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं दो मिनट और लूगा। जनता को सुविधायें देने की बात जहां आती है तो कहीं पर प्रतीक्षालय नहीं हैं और कहीं बसों में पैसेंजर्स के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता। महिलाओं के बैठने की व्यवस्था नहीं होती। अगर इन चीजों में सुधार किया जाय तो युक्तिसंगत होगा। मैं दूसरी बात की ओर आऊंगा। प्राइवेट बसों और सरकारी बसों के बारे में राम नरायन वर्मा जी ने एक सवाल किया था। मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी बसों पर 2 रुपये कि0मी0 का खर्च आता है और जो अनुबंधित बसें हैं उनमें 1.75 रुपये का खर्च पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि आखिर सरकारी बसों पर खर्च क्यों ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हम फायदे में चल रहे हैं। हो सकता है कि अनुबंधित बसों से होने वाले फायदे में आप सरकारी बसों से होने वाले नुकसान को एडजस्ट करते हो। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मालवीय जी के रहते हुये अगर सार्वजनिक क्षेत्र न पनपा और बदनामी हुई तो इतिहास, आपके समाजवादी दृष्टिकोण होने के नाते माफ नहीं करेगा। आपने ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स समाप्त करने की घोषणा की यद्यपि औपचारिकतायें बाकी हैं। किराया कम करने की बात नहीं है बल्कि न बढ़ाने की बात है। विश्वास किया जा सकता है कि शायद न बढ़ाया जाय। तो इन चीजों के लिये धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप के आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर हैं। वहां पर काम राजस्व विभाग के काम की तरह का होता है। राजस्व विभाग का लगभग 15 परसेन्ट स्टैंडर्ड खर्च होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

लेकिन आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर का स्टैंडर्ड खर्च डेढ़ प्रतिशत है। न वहां भवन हैं, न ठीक से आफिस है, जो लोग वहां पहुंचते हैं उनके रुकने की व्यवस्था

[श्री राम आसरे वर्मा---]

नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों की प्रोन्नति का भी कोई सिलसिला नहीं है। उसका नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों की भावनायें कुंठित हो जाती हैं और नौकरशाही की भावना आ जाती है जिसकी हम यहां आलोचना करते हैं।

मान्यवर, बसों का कोई निश्चित टाइम नहीं है। छोटे छोटे रूटों पर ड्राइवर और कंडक्टर जहाँ चाहते है वहाँ बस रोक देते है। हरदोई में बसों पर लोकल ड्राइवर और कंडक्टर चलते है जो अपने घरों के सामने बसों को जितनी देर चाहते है रोक देते हैं। जिससे पैसेन्जर्स 5 मिनट की जगह 15 मिनट में पहुंचते हैं। इस संबंध में श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने मंत्री जी से शिकायत भी किया तो मंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दिया और कुछ का ट्रान्सफर भी कर दिया गया लेकिन फिर एक एक हजार रुपयों की थैली आ जाती है जिससे ट्रान्सफर रोक दिये जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन की भावना को देखते हुये कहना चाहूंगा कि जो बातें हमने भ्रष्टाचार, सुख-सुविधाओं तथा अन्य बातों के बारे में कही है तथा सदन की जो भावना है उसका समाधान करते हुये जो विचार यहाँ व्यक्त किये गये हैं उनके प्रति आप सकारात्मक रुख अपनायें।

*परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

मान्यवर, सत्ता और विपक्ष के 18 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं, इन सुझावों को मैंने अंकित भी कर लिया है। माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा और श्री श्याम सुन्दर गुप्त ने कहा कि वर्तमान मुख्य सचिव, श्री भट्टाचार्य जब निगम के अध्यक्ष थे तो उसकी चर्चा किया। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आपातकाल के समय में श्री भट्टाचार्य इलाहाबाद में कमिश्नर थे, आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार हुई तो उस समय यह निगम के अध्यक्ष बने थे। इसलिए लगता है कि इन दोनों माननीय सदस्यों को किसी ने गलत सूचना दे दिया है। तो मेरे कहने का मतलब चूंकि वर्तमान मुख्य सचिव के बारे में यहां सूचना दी गयी थी इसलिए उसको बताना आवश्यक था।

मान्यवर, श्री वर्मा ने एक घोषणा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि जो विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित है। उसमें लिखा है कि मै आश्वासन देना चाहता हूं कि इस घोषणा का न केवल कार्यान्वयन होगा बल्कि उसमें कार्यवाही शुरू की गयी है। लेकिन मान्यवर, प्रत्येक वस्तु के गुण और अवगुण देखना पडेगा। जिन कर्मचारियों की सेवायें एक वर्ष से अधिक हो चुकी हैं उनको बिना नोटिस दिये यदि निकाला गया है तो ऐसे कर्मचारियों को पुनः सेवा में वापस ले लिया जायेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में यदि उनके पास कोई केस है तो वह हमको दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मन्त्री जी ने इलाहाबाद में घोषणा किया था कि जिन कर्मचारियों की सेवायें एक वर्ष से अधिक रही हैं और उनको आपातकाल में बिना सफाई का अवसर दिये निकाला गया है तो उनको पुनः सेवा में ले लिया जायेगा। नोटिस की बात नही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, समाचार पत्र में क्या छपा था मैं उसमें नहीं कह रहा हूं बल्कि मैंने जो आश्वासन दिया था, सदन के अन्दर और बाहर, वह यह था कि आपातकाल में जिनकी एक वर्ष से अधिक सेवा हो गयी थी और बिना नोटिस निकाला गया था उनको पुनः ले लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त जो केसेज हैं उनको आप जानकारी में लायें तो उनके गुण अवगुणों को देखकर कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, वर्मा जी ने बनारस के भ्रष्टाचार के सिलसिले में कहा तो उसमें कुछ दिन पूर्व जांच कराने के आदेश दे दिये गये थे । पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई गयी थी तो दो व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है । विभाग के अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आने पर पुनः इस पर कार्यवाही की जायेगी और जो दोषी होगा वह बच नहीं सकता है ।

यहां पर भ्रष्टाचार की चर्चा काफी की गई। मैं मानता हूं कि गुलजारी लाल नन्दा जी से लेकर जितने बड़े-बड़े नेता थे कोई भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाये । लेकिन यहां जो बातें कही गई हैं वे जनरल किस्म की हैं, यदि माननीय सदस्यगण कोई स्पेसिफिक केसेज देंगे तो उनके बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। अवैध संचालन के बारे में भी यहां चर्चा की गई । अवैध संचालन को रोकने के लिए काफी कड़ाई से कार्यवाही की जाती है । वेग समिति की चर्चा की गई, इसमें 9 सदस्यों की जो कमेटी है, जिसमें 5 कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, इस समिति की ओर से कोई ढिलाई नहीं है बल्कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बात की आपत्ति की है कि चूंकि समिति के अध्यक्ष प्रधान प्रबंधक हैं, इसलिए उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। समिति अपना काम कर रही थी लेकिन कर्मचारियों की आपत्ति के कारण ही समिति का काम रुक गया है । श्री विजयराज सिंह जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि बुलन्दशहर में आर0 टी0 ओ0 आफिस खोला जाना चाहिए। चार नये संभागीय कार्यालय खोले जायेंगे और उसमें बुलन्दशहर को भी शामिल किया जा रहा है । श्री अरुण कुमार सिंह जी ने बादशाहपुर से जौनपुर के लिए बस चलाने को कहा है, इस मार्ग पर बहुत शीघ्र बस चला दी जाएगी ।

श्री अरुण कुमार--

मैंने डिपो खोलने के लिए कहा था, बसें तो चल रही हैं ।

एक सदस्य--

पिछली पंचवर्षीय योजना में मथुरा में आर0 टी0 ओ0 आफिस खोलने की बात कही गई थी लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी, आपका भाषण समाप्त हो गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय सदस्यों के सुझावों को मैंने नोट कर लिया है और हमारा यह प्रयास होग कि जितने भी सुझाव हैं उनको कार्यान्वित किया जाए। कभी-कभी सुझावों को कार्यान्वित

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

करने में कठिनाई भी होती है यदि कठिनाई होगी तो मैं स्वयं माननीय सदस्यों से मिलकर सुझावों को कार्यान्वित कराने का प्रयास करूंगा। श्री राम आसरे वर्मा जी ने अपने भाषण में कुछ बातें कही है, उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह एक अभूतपूर्व कदम उठायें और जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उनको वे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)

मैंने नियम 56 में हड़ताल के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया था ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, हड़ताल के बारे में आपको जो जानकारी हो वह आप दे दें।

एक सदस्य—

इस विभाग के उच्च अधिकारियों ने डीजल गाड़ियों में मीटर लगाने की योजना बनाकर मीटर बनाने वाली कम्पनी से काफी रुपया ऐंठने की योजना बनाई हैं। यह स्पष्ट कर दें कि यह योजना खत्म कर देंगे या मीटर हर गाड़ी में लगेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नियम 56 के अन्तर्गत देव कुमार जी ने एक नोटिस दी थी। 5 जून को लखनऊ परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक ने जब किसी बिना टिकट यात्री से, जो नवयुवक थे, टिकट माँगा उसमें बातचीत हुई और कहा यह जाता है कि चालक, परिचालक को मारा पीटा गया। आज तक उनकी हड़ताल चल रही है और प्रयास यह है कि हड़ताल आज शाम तक समाप्त हो जायगी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो गई। फिर जैसा मैंने कहा कुछ कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ शिकायत थी उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जाय। मुझे यह जानकारी दी गयी है कि 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी काम पर वापस आना चाहते हैं लेकिन कुछ कर्मचारी जिन्होंने गुट बनाया है बस डिपोज में लेट जाते हैं। मान्यवर, कर्मचारी नेताओं से बातचीत करके यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो मजबूर हो कर के जो कर्मचारी रुकावट डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायगी। मुझे माननीय सदस्यों की सहयोग की भी आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—परिवहन . .

श्री देव कुमार—

मान्यवर एक स्पष्टीकरण . .

श्री उपाध्यक्ष—

प्रोसेस चल रही है . .

श्री देव कुमार--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने कन्डक्टर और ड्राइवर को मारा और बिना टिकट चल रहे थे उनके खिलाफ शासन ने कोई कार्यवाही की है ..

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है। यह कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--परिवहन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,78,84,000 रुपए अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108 परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 108--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,00,01.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 127--परिवहन विभाग ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,82,10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 4-न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 85-क न्याय विभाग पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय न्याय मंत्री जी, आपका अनुदान पांच बजे तक समाप्त होना चाहिए। इसलिए कम समय लें। माननीय सदस्यों को ज्यादा मौका इस के लिए दें। न्याय विभाग अक्सर बिना वाद-विवाद के रहता है। थोड़ी चर्चा होती है।

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,88,3?,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85-क-न्याय विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,79,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, न्याय विभाग द्वारा बजट की पुस्तिका वितरित कर दी गयी है और लगभग सभी सदस्यों को इस विभाग के सम्बन्ध में स्थिति अच्छी तरह से अवगत हो चुकी होगी। मैं कुछ विशेष बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् 78-79 के बजट में मैदानी इलाकों के लिये 8,98,88,700 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये 32,36,300 रुपये का प्राविधान किया गया था। उसकी तुलना में इस वर्ष मैदानी इलाके के लिये 10,54,11,000 रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये 44,61,0?0 रु0 का प्राविधान किया गया है। इसी बजट में 72,56,000 रुपया कुछ नई मदों के लिये और शामिल किया गया है जैसे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नये चेम्बर तथा न्यायाधीशों के लिये विधि पुस्तकों का क्रय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के लिये पी0 बी0 एक्स0 टेलीफोन की व्यवस्था, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में फायर एलार्म की व्यवस्था, पिथौरागढ़ में जिला जजी की स्थापना, सप्तम विधि आयोग की संस्तुति पर नये न्यायालयों का सृजन। बड़े शहरों में दीवानी न्यायालयों के प्रयोगार्थ दस फोटो कापियर मशीनों का क्रय, विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन के अनुदान में वृद्धि।

मान्यवर, न्याय प्रशासन में लोगों की आम चर्चा यह है कि न्याय विभाग में जो प्रोसीजर हैं उससे वादियों की कठिनाइयां होती हैं और ठीक समय पर वादों का निस्तारण नहीं हो पाता है। इसके लिये एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए एक समिति गठित की गयी हैं और समिति की संस्तुतियों के आधार पर कानून में बहुत से व्यापक संशोधन सरलता लाने के लिये किये जा रहे हैं न्यायालयों की संख्या बढ़ा कर सुधार लाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जो छोटे अपराध हैं जिनमें सजा कम है या जुर्माना है उनको कम्पाउन्ड करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड में भी एक समिति का गठन किया गया है और एडवोकेट जनरल उसके अध्यक्ष हैं। जब इस समिति की संस्तुतियां आ जायेंगी तब सिविल प्रोसीजर कोड के केसेज शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया की जायेगी।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 48 से बढ़ाकर 56 कर दी गयी है । 51 न्यायाधीश कार्यरत हैं । न्यायाधीशों की संख्या इस वक्त 56 है । 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । इन न्यायाधीशों की संख्या इसलिये बढ़ाई गई थी कि हमारे उच्च न्यायालय में बहुत से केसेज पेंडिग थे । उनकी स्थिति इस प्रकार है कि जहां 31 दिसम्बर 1976 में 1,20,022 केसेज पेंडिग थे, 30 दिसम्बर 1977 में 1,32,749 केसेज हो गये और जब से जजों की संख्या में वृद्धि की गई है और स्पेशल बेंचेज मुख्य न्यायाधीश ने स्थापित किये है तब से मुकदमों को ग्रुप में सुनने की वजह से इस संख्या में कमी आयी है । जून 1978 में 1,39,353 केसेज पेंडिग थे और दिसम्बर 1978 में 1,36,978 केसेज पेंडिग रह गये । इन केसेज में जो बहुत दिनों से पेंडिग थे जिन मुकदमों में एक ही ला प्वाइंट इन्वाल्व था उनको एक साथ लेने की वजह से कमी आयी ।

मान्यवर, इस प्रदेश में 53 जिला जज हैं । पिथौरागढ़ में जिला जज नहीं था, वहां पर जिला जज की स्थापना व जिला जज की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है चमोली में जिला जजी स्थापना का विचार किया जा रहा है । जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें 1 दिसम्बर, 1978 तक 9,11,109 केसेज पेंडिग हैं । इन केसेज को निपटाने के लिये मुंसिफ मजिस्ट्रेटों, जिला जजों चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स और स्पेशल मजिस्ट्रेटों, की नियुक्ति की गई है । कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को स्पेशल मजिस्ट्रेटों के समान प्रथम श्रणी के अधिकार देने और रिमान्ड की सुविधा होने के साथ-साथ स्पेशल ऐक्ट के मुकदमें उनको दिये गये जिससे शीघ्र मुकदमों का निस्तारण हो सके । 150 मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है और इस वर्ष इस वित्तीय वर्ष में 100 मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स नियुक्त किये जायेंगे । इसके अतिक्ति मुकदमों में जो रुकावट सरकार के सामने आ रही है उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है ।

साथ ही साथ जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण करने की नीति जनता सरकार की है । उसमें जिला टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, ललितपुर और गाजियाबाद में जिला जज के न्यायालय और हापुड़, फिरोजाबाद, बलरामपुर, राबर्ट्सगंज, कर्वी, दूधी, नौगढ़, बागपत, हरिद्वार, चकिया, सैदपुर, महोबा, कर्णप्रयाग तथा पुरौला में कुल मिलाकर 14 स्थानों में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हो चुके हैं ।

अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित दीवानी व फौजदारी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु 430 नये न्यायालय के सृजन के लिए वित्त आयोग से धन मांगा गया था, उसमें सिर्फ 48 अपीलेट न्यायालय तथा 84 मैजिस्ट्रीयिल न्यायालय, कुल 132 न्यायालयों के सृजन की स्वीकृत मिल चुकी है ।

जनता सरकार द्वारा शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जो केसेज पेंडिग में है उनकी संख्या कम करने की दिशा में यथाशीघ्र प्रयास किया जा रहा है । भवनों के निर्माण में भी काफी वृद्धि हो रही है । विगत तीन वर्षों में लगभग 382 नये न्यायालय कक्ष बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है । अधिकारियों के आवास के लिए 236 मकानों की स्वीकृति मिल चुकी है । चतुर्थ श्रेणी के लिए उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के अहाते में 30 आवासीय भवन बन रहे हैं । 1979-80 में 3 करोड़ 33 लाख 60 हजार रु० न्याय विभाग के भवन के निर्माण कार्य पर खर्च किया जायेगा ।

न्यायालयों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए मुन्सिफों तथा मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में समस्त दीवानी और फौजदारी के मामलों में हिन्दी में निर्णय देना अनिवार्य कर दिया गया है । हिन्दी के 600 टाइपराइटर दिये गये हैं । यह इस उद्देश्य से दिये गये

[श्री श्रीचन्द्र---]

हैं कि नकलें आदि आसानी से लोगों को मिल सकें। न्यायालयों में फर्नीचर की जो कमी थी उसके लिए भी 11 लाख रु0 खर्च किये जा रहे हैं। दीवानी न्यायालयों के अहातों की दशा सुधारने और लोगों के बैठने की सुविधा का कार्य किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय विधायक जो सुझाव देंगे और जो हमारे अधिकार में होंगे उनको मानने की कोशिश करूंगा।

श्री अरुण कुमार (जिला-जौनपुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4 के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85-क-के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी न्याय मंत्री जी ने अपने विभाग के बारे में एक सूक्ष्म झलक दी जो कि उनके ही विभाग द्वारा दी गई प्रशासनिक पुस्तिका से परिलक्षित होता है।

मान्यवर, लोकतंत्र की रीढ़ न्यायपालिका हुआ करती है। न्यायपालिका ही सच्चे लोकतंत्र का साकार स्वरूप है। मान्यवर, आज अगर न्यायालयों के प्रति देश की जनता मे क्षोभ और अविश्वास हो और निराशा हो तो जनतंत्र कमजोर होता है। मान्यवर, नगरपालिका के बारे में जनता की शिकायत रही है और जनमानस में उसके प्रति सन्तोष में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि निराशा ज्यादा व्याप्त हुई है। इस तथ्य से न केवल मैं, बल्कि मंत्री जी भी सहमत होंगे। देश में जो न्याय की व्यवस्था है, उसको देखने से लम्बित मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है कि यह बात चरितार्थ होती है कि---जस्टिस डिलैड इज जस्टिस डिनाइड। यदि समय पर न्याय न उपलब्ध कराया जाए, तो ऐसे न्याय से न्याय का बोध समाप्त हो जाता है। अभी माननीय मंत्री जी ने जनता शासन के पहले के लम्बित वादों की संख्या बताई और उसके बाद उत्तरोत्तर होती गई वृद्धियां भी आपने अपने ही भाषण में व्यक्त की, जिससे ऐसा लगता है कि मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है। जितनी सतर्कता और सक्रियता के साथ आप बजट ला रहे हैं, उतनी ही गम्भीरता से इस ओर ध्यान देते तो बढ़ा अच्छा होता। यह शासन की अकर्मण्यता जाहिर करता है और यह जाहिर करता है कि शासन में उच्छृंलता और अराजकता व्याप्त है।

मान्यवर, केवल न्यायालयों की बढ़ोत्तरी से या अधिकारियों की नियुक्ति से इसका समाधान नहीं हो सकता, जिसकी इच्छा और आकांक्षावादी और प्रतिवादी रखता है। मुकदमों में कानून का जो स्वरूप है, वह आज का नहीं है। इसमें एक दो दिन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन शासन में बैठे लोग चाहें तो इसमें बदलाव ला सकते हैं, इसके लिये शुरुआत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जब तक देश का कानून जनता से नहीं जुड़ जायगा, तब तक न्यायालय से सही न्याय की इच्छा और आकांक्षा नहीं हो सकती है। आज मुकदमों में स्टे-पोस्टपोन मेंट एडामोनिशमेंट बहुत होते हैं और वह एक आल बुराई न्याय व्यवस्था में व्याप्त हो गई है। साथ ही पुलिस के प्रोसीजर में जो विलम्ब होता है, उसका कोई पुर्साहाल ही

नहीं है । यह कोई आलोचना की बात नहीं हीं है बल्कि वास्तविकता हैं कि जब से जनता पार्टी शासन में आई है, तब से पुलिस प्रोसीजर में और अधिक विलम्ब होने लगा है । शासन की दृष्टि में क्या यही सस्ता और सही न्याय है । सस्तः न्याय वह हैं जो समय पर प्राप्त हो जाए। सस्ता न्याय यदि वह चाहते हैं, तो पुलिस-प्रोजीजर के बारे में शासन को सतर्क और जागरुक होना चाहिए । यदि वह सच्ची मनःस्थति से इस ओर कदम उठाने के लिये तैयार हैं तो निश्चय ही इसमें परिवर्तन आ सकता है । इसमें न्यायपालिका के विकेन्द्रीकरण की भी बात कही गई है, लेकिन इसका कोई सफलीभूत रूप नहीं दिखाई देता है। सरकार खुद इस मामले में सच्चे दिल से तैयार नहीं है क्योंकि इन सरकार का विकेन्द्रीकरण पर विश्वास नहीं हैं।

सबसे बड़ी चीज जिला सरकारी वकीलों और अतिरिक्त जिला सरकारी वकीलों के बारे में है। उनका चयन हुआ था और उनके चयन के बारे में जनता पार्टी के महामंत्री तक ने भी अपने उद्गार प्रकट किये थे। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि चयन सही नहीं है । दूसरे सदन के अन्दर उसकी जांच के लिये एक समिति का गठन किया गया हैं । जब समिति वहां बन सकती थी तो यहां भी बन सकती है । जो भी माननीय सदस्यों ने या अन्य जिन्होंने आरोप लगाया है कि जिला सरकारी अधिवक्ता एवं अतिरिक्त जिला सरकारी वकीलों का जो चयन किया गया ठीक नहीं किया गया, आप समिति से जांच करवा कर क्या गुट का श्री गणेश करेगे ? अगर अधिवक्ताओं का चयन या नियुक्ति बुद्धि, विवेक या कार्यक्षमता या विद्वता के आधार पर की गई होती तो इतना कभी क्षोभ न होता । क्या यही आप भी करेगे उसमें घटक और जातिवात ही दिखायी पड़ा है अब आप की भी देखा जाय कि आप क्या करते है जैसा आप ने कहा आवासों की व्यवस्था के बारे में कहा है निश्चित ही अगर आवास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती है तो जो भी आपके मुसिफ मैजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जज कहीं भी रहते हैं, किसी मालिक के मकान में किसी वकील के द्वारा दिये गये मकान में तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, कहीं न कहीं फैसले में उसकी गुंजाइश हो जाती है । इसलिये न्याय में अवरोध उत्पन्न होता है । इसलिये उसके ऊपर जागरुक रहने की जरूरत है भवनों को बनाया जाय न्यायालयों को बढ़ाने की जरूरत है । कानून की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जैसा पिछली मर्तबा शासन ने किया था रोकेश रेब्यू कमेटी बनायी थी कई रिपोर्ट दी, जैसा कि आपने बताया, सी० आर० पी० सी० की । सी० पी० सी० के सम्बन्ध में शायद आप फिर से समिति का चयन कर रहे हैं । उसको नाबाकर कानून की व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते है लम्बित मुकदमों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उसमें बार ऐसोसियेशन को भी कानफीडेंस में रखना चाहिए जिनके बारे में आपने इच्छा व्यक्त नहीं की उनका भी सहयोग रिब्यू कमेटी होना चाहिये ।

पिछले शासन ने एक फी लीगल एड की व्यवस्था की थी, गरीब आदमियों को हरिजनों को, सहायता देने के लिये । वैसे यह बजट हरिजन समाज कल्याण के तहत जुड़ा हुआ है । लेकिन इसका सम्बन्ध आप के विभाग से भी जुड़ा हुआ है । इसका उद्देश्य है कि कहीं धनी व्यक्ति किसी असहाय, गरीब के साथ अपने धन का दुरुपयोग करके, या धन के प्रभाव में उनको न्याय से वंचित न कर पाये । इसलिए उसकी व्यवस्था की गयी थी । उसके बारे में पिछले कांग्रेस शासन ने उसमें उस व्यवस्था पर काफी कुछ आगे काम किया था यह सरकार कहती जरूर है कि हर दरवाजे पर न्याय पहुंचा देंगे, गरीब को न्याय देगे, लेकिन या तो आप भाषण करके चुप हो जाते हैं, इसका कोई

[श्री अरुण कुमार---]

प्रारूप इस बजट के अन्दर दिखता नही है। सस्ते न्याय के लिए व्यवस्था या कमजोर वर्ग के लिए न्याय दिलाने की व्यवस्था, जिसके बारे में पिछले शासन ने बड़ी ईमानदारी और तत्परत के साथ कार्य किया था उसको आगे बढ़ाना चाहिये था कि उसे समाप्त करना गरीबो को सही तरीके से सस्ता न्याय दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

आपने जिला स्तर पर जो मानिटिंग समिति की व्यवस्था की है उसमें बार ऐसोसिएशन के लोगों को कांफीडेंस में लेना चाहिए । सम्मानित अधिवक्ताओं की प्रतिभा एवं विद्वता का उपयोग करना चाहिए । सबसे बड़ी चीज यह है कि न्यायालयों में जबरजस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । अभी भ्रष्टाचार के बारे में एक चीज कही गयी कि और उसमें सतर्कता विभाग को शामिल किया गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी रिपोर्ट सतर्कता विभाग की शासन के पास पड़ी हुई हैं जिन पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है । इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सी० आई० डी० से इन्क्वायरी करवाते हैं तो उनको दन्ड देने का भी अधिकार दें। अभी तक न्यायालयों में तारीख बढ़बाने में ही घूस चलती थीं लेकिन अब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अन्य जज भी जजमेंट करने में घूस लेने लगे हैं । अगर आप सतर्कता विभाग द्वारा नियत्रंण करना चाहते हैं तो आप उनको अधिकार दें जिससे भ्रष्टाचार के भागी लोग जो हैं उनको दन्ड दिया जा सके ।

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की चर्चा की । मैं कहना चाहता हूं कि कानून के संशोधनों में हिन्दी का बहुतायत के साथ प्रयोग और प्रचार होना चाहिए । जो कानून की किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन हिन्दी में किया जावे और कानून की हिन्दी की किताबें लोगों को उपलब्ध करायी जाये । आप हिन्दी के प्रयोग के लिए कोई निश्चित सीमा बांध दें कि कितन दिनों के अन्दर न्यायालयों में पूर्ण रूप में हिन्दी में काम होने लगेगा । मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, मेरा निवेदन है कि जो न्यायालय हैं उनके अन्दर आज बहुत गड़बड़ी व्याप्त है। बहुत दिनों से लम्बित वादों को तय करने के लिए मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ायी गयी है । बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अपराध बहुत हैं और मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की संख्या कम है कुछ जिले ऐसे हैं जो अपराधी जिले घोषित कर दिए गये । जनता शासन में तो सभी जगह पर अराजकता भष्टाचार व्याप्त है और अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । मान्यवर एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि पी० पी० एवं ए० पी० पी० (पब्लिक प्रासीक्यूटर) को सिविल पुलिस से अलग करने की व्यवस्था की जाये एन्टीसिपेटरी बेल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इसका सहारा अपराधी लोग लेते हैं इसलिए उस बारे में न कहकर मौजूदा शासन को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे जोरजबरदस्ती के आधार पर कोई आदमी दन्डित किया जाये । इसके बारे में आप कोई व्यवस्था करें ।

मान्यवर, एक बात मैं डी० आई० आर० के बारे में कहना चाहता हूं । यह सरकार डी० आई० आर० और मीसा की बात कहकर आज यहां पर बैठी हुई है । इसके विरोध में ही आपका जन्म हुआ है । तो आप डी० आई० आर० की व्यवस्था के बारे में सोचें और उसको कब समाप्त कर रहे हैं । जहां पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय हों वहां पर लोकअप की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इसी प्रकार से जहां पर एस० डी० एम्स की अदालतें हों, वहां पर भी लोकअप होने चाहिए एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतें होनी चाहिए ।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि मुख्यालयों पर जितनी भी कचहरियां हैं, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। न वहां पर वकीलों के बैठने की जगहें हैं, जो वहां पर वादी आते हैं न उनके शौचालयों की दुर्यव्यवस्था है, कैन्टीन की भी बड़ी दुर्व्यवस्था है। आपने जो आज बजट प्रस्तुत किया है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सारे विषयों पर अच्छी तरह से दृष्टि डालते हुए इस बात का प्रयास कर कि न्यायालयों की व्यवस्था ठीक से हो।

आपने जो विशेष अदालत के नाम पर जो न्यायालयों का गठन किया है उसमें आप गलत सही आदमियों को प्रताड़ित करने की कोशिश करने जा रहे हैं आपकी मंशा साफ नहीं है। इससे न्याय कमजोर होगा। (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो विशेष अदालत के गठन की बात की उससे देश और प्रदेश की जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह यहां का विषय नहीं है। आपका समय समाप्त।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो न्याय प्रशासन का बजट माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ-साथ न्याय प्रशासन के विषय में मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि अपना उत्तर देते समय वे इन विषयों पर भी प्रकाश डालें।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आज के न्यायालयों की स्थिति की ओर आकर्षित करूंगा। आज हमारे न्यायाधीशों की स्थिति यह है कि उनके प्रति जो आदर और सम्मान की भावना सामान्य जनता में थी, वह स्थिति समाप्त होती जा रही है। प्रायः देखने में ऐसा आता है कि बहुत से लोग न्यायालय में जाते हैं और नारे लगाते हैं और पीठासीन अधिकारी के प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं कि न्याय अधिकारी के मन में भी कुन्ठा व्याप्त होती है और वे संरक्षण चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के असमाजिक तत्वों के आचरण को गम्भीरता से लिया जाय और न्यायालयों में न्यायाधीशों के प्रति जो अभद्र व्यवहार होता है, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायं।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आज न्यायालयों में काम करने वाले जो न्यायाधीश हैं उनकी स्थिति सबसे दयनीय है। आज एक मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह बैंक के कर्मचारी से भी कम है। इसी विषय को लेकर दिल्ली में पिछली 16 मार्च को न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट वगैरह सड़कों पर निकल आये और उन्होंने अपना जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि न्याय करने वाले लोगों की सुख सुविधा की उचित व्यवस्था करें और कम से कम उन्हें उतना वेतन तो दें जिससे वे सुचारू रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

साथ ही साथ मैं उनके आवास के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जब कोई भी न्याय का अधिकारी स्थानान्तरित होकर दूसरे जिलों में पहुंचता है तो उसको आवास के लिए बड़ी कठिनाई होती है और बजाय इसके कि वे न्यायालय में बैठकर ठीक से

[श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—]

अपना काम करें, उनको गली गली मकान के लिये भटकना पड़ता है। उनके लिये इतना तो निश्चित ही होना चाहिये कि जब वे जिलों में जायें तो उन्हें मकान मिल जायें। अगर इतने पर्याप्त भवन नहीं हैं तो इतना ही कर दीजिये कि रेन्ट कन्ट्रोल द्वारा जो आवंटन किया जायेगा उनमें कुछ प्रतिशत इन अधिकारियों के लिये भी मका सुरक्षित रहेंगे।

सन् 1977 में जब भूतपूर्व न्याय मन्त्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक वर्ष के अन्दर छोटे-छोटे अपराध संबंधी मुकदमों का निस्तारण 3 माह में होने लगेगा और बड़े बड़े मुकदमों का निस्तारण जो 5 वर्ष में होता है वह 6 माह से लेकर 12 माह के अन्दर कर दिया जायेगा। ऐसी व्यवस्था शासन इसी वर्ष के अन्दर लागू कर देगा। यह कहा था। मैं चाहूंगा कि माननीय न्याय मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें।

सन् 1978 में भी भूतपूर्व न्याय मंत्री जी ने कहा था कि शीघ्र न्याय दिलाने से लिये और सस्ता न्याय दिलाने के लिये लघु न्यायालयों की स्थापना की जायेगी और उसके लिये केन्द्र को लिखा गया है और आवश्यक विधेयक भी उसके लिये लाया जायेगा। इस विषय में भी क्या प्रगति है इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें।

भूतपूर्व न्याय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात यह भी कही थी अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने हेतु सभी कानूनों का रिव्यू किया जा रहा है। इसके लिये एक सेल भी खोला गया है और उसने सर्व प्रथम सी0आर0 पी0 सी0 में संशोधन करने का काम लिया है। म चाहूंगा मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें कि इसमें क्या प्रगति हुई है।

अंत में मैं अपने गोरखपुर जिले के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक प्रमुख जिला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को तथा सुप्रीम कोर्ट को हमारे इस जिले ने बड़े बड़े अच्छे जज और वकील दिये हैं। हमारे यहां से इलाहाबाद की दूरी 300 किलोमीटर से अधिक है। इसलिये गोरखपुर में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की जाये। गोरखपुर में वकीलों के बैठने के लिये स्थान की भी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी भी व्यवस्था की जाये। इन शब्दों के साथ में बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री हरिचरन यादव (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, न्याय मंत्री जी ने जो बजट अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन करने के लिये एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आप जो संशोधन करना चाहते हैं उसकी एक प्रति हर जिले में बार एसोसिएशन को भी भेज दें ताकि जिलों के वरिष्ठ वकीलों की राय भी प्राप्त हो सके। यह अधिक व्यवहारिक होगा।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं, जैसाकि अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा, इन लोगों के लिये आवास की बड़ी दिक्कत होती है। कार्य पालिका का सहयोग इस माने में न्यायपालिका को नहीं मिल रहा है। कार्यपालिका के अधिकारियों को तो मकान मिल जाता हैं, न्यायपालिका वालों को नहीं मिल पाता। जो रेन्ट कन्ट्रोल के मकान होते हैं वे भी इनको नहीं मिल पाते, उसमें भी असहयोग की भावना से और द्वेष की भावना से आदेश किये जाते हैं।

[श्री हरिचरन यादव--]

तो आवश्यकता इस बात की है कि अवश्य ही आवास की समुचित व्यवस्था की जाय। इसी सम्बन्ध में मान्यवर, मैं सुलतानपुर जनपद की तरफ माननीय न्याय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जितने भवन सिविल कोर्ट में बने हैं, वे ब्रिटिश शासन के हैं। आज एक भी कमरा नहीं बढ़ाया गया है। आज पेड़ के नीचे टैंट बना हुआ है, जिसमें बैठ कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मुकदमा कर रहे हैं। सुलतानपुर जनपद में सिविल कोर्ट में भवनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाय जिससे कि वहां पर आसानी से न्याय हो सके।

इसी सम्बन्ध में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि न्याय मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के रहे या भारत सरकार के रहे, जजों की नियुक्तियों में बहुत बड़ा भेदभाव बरता गया। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति हुई उसमें एक भी बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट का जज नहीं नियुक्त किया गया। बड़े दुख की बात बात है कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में आज तक बैंकवर्ड या शैंड्यूल्ड कास्ट जज की नियुक्ति नहीं हुई। मैं अनुरोध करूंगा कि इन हाईकोर्टों में बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग के लोगों की नियुक्ति करने की कृपा की जाय अन्यथा न्याय पालिका से भी लोगों की आस्था हट जायगी। आजकल देखा यह जा रहा है कि जातिवाद, भाई-भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि जनता में यह विश्वास हो सके कि सही फैसला हो पायेगा। एक बात यह कही गयी, भाई अरुण कुमार जी ने यह कहा था कि जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप याद करें, हाईकोर्ट के जज श्री जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले के बाद किस प्रकार से न्यायपालिका का गला घोंटा गया, क्या उसी प्रकार का आज भी न्याय चाहते हैं, जो 25 जून सन् 1975 के बाद तथा मार्च सन् 1977 के पूर्व था उसी प्रकार की कल्पना अगर आप कर रहे हैं, तो जनता पार्टी के शासन में नहीं होने पायेगा। उनका शासन जब आयेगा तब भले ऐसा हो जाय। मान्यवर, मेरे जिले में एक जज साहब थे, जिन्होंने इमरजेंसी के समय में कुछ लोगों का बेल ग्रान्ट कर दिया था और इस कारण से उन्हें सिविल जज बनाया गया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय न्याय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)

विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थ में खड़ा हूं। मान्यवर,, आपको याद होगा कि जस्टिस धवन ने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ से फैसला दिया था, उस फैसले में लिखा था, इक्वेलिटी बिफोर ला, यानि न्याय के सामने समानता अशोका होटल की तरह से है, कि जो अशोका होटल का किराया दे सकता हो, उसको तो न्याय मिल सकता है और जो किराया नहीं दे सकता है, उसको न्याय नहीं मिल सकता है। आज कल इस प्रदेश की यही हालत न्यायालय में है। अब एक साधारण आदमी, एक गांव का, देहात का आदमी, गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, लिहाजा यह कहना कि चाहे जनता पार्टी का राज्य है या जनता पार्टी का शासन है, न्याय के सामने समानता है, यह कहना बिलकुल धोखा है। दूसरी चीज क्या है मान्यवर, लगातार कोर्ट फीसों की, स्टैम्प ड्यूटी की बढ़ोत्तरी की जा रही है। कोई बजट ऐसा नहीं है, कोई सरकार हो, जिसमें कोर्ट फीस के अन्दर बढ़ो-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिचरन यादव---]

तरी न हुई हो। मेरे दोस्त ने कहा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एक लाख 36 हजार केस हाईकोर्ट में पेंडिग हैं, लगभग 10 लाख जिलों में पेंडिग हैं, जो नये आये हैं उनकी गिनती नहीं हैं। 9-10 लाख जिलों मे पेंडिग हैं, यह रहेंगे क्योंकि नये रहेगें। हाई-कोर्ट की तरफ से सरकुलर चला गया, एक डिस्ट्रिक्ट जज की इतने, मुसिफ मजिस्ट्रेट को इतने फैसले देने हैं। घासलेट जो होते हैं, तो कोई सुनवाई का अवसर नहीं। अच्छी तरीके से निर्णय है नहीं, धड़ाधड फैसले होते चले, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। फैसले के नाम पर बिल्कुल घास काटी जा रही है, न्यायालयों की संख्या बढ़ाते नहीं।

तीसरी चीज आजकल हम देखते है, बेंचों में लिखा है 'वादकारी का हित सर्वो-परि है' और उसकी हालत देखिये कहीं बैठने की जगह नहीं इनके लिए जो शेड हैं उन पर वकीलों ने कब्जा कर लिया, वकील भी क्या करे, ऐसा बदकिस्मत पेशा है कि जून के महीने में पेड़ के नीचे कैसे काम करता होगा, आप ही समझिये। कोई व्यवस्था जब नहीं तो वकील क्या करेगा, जो वादकारियों के लिए शेड है उन पर कब्जा कर लिया। शौचालय, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नही। न्यायपालिका, जुडिशियरी की तरफ क्यों लोग एट्रैक्ट होगे, आम तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाना चाहता हैं। एक कलेक्टर के ठाठ और एक डिस्ट्रिक्ट जज के ठाठ देखिये। एक कमिश्नर और एक सेक्रेट्री के देख लीजिये।

अभी तक विद्यार्थी जुलूस निकालते थे, मजदूर निकालते थे फिर होते-होते डाक्टरों ने, फिर पुलिस वालों ने निकालना शुरू कर दिया और अब जनता पार्टी के राज्य में, जिनके पास जनता न्याय मागने जाती है, वे लोग दिल्ली की सड़कों पर निकल रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। आरगन आफ जस्टिस, स्वयं जस्टिस लेने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

अवधेश जी, गोरखपुर की एक न्याय समिति के सामने एक मामला आया गोरखपुर का। दो बेचारे मुंसिफ मजिस्ट्रेट, उनके जो पहले रहते थे वहा अधिकारी, वे चले गये ट्रांसफर हो करके। उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया, पुलिस वाले आते हैं क्योंकि किसी इंजीनियर को एलाट कर दिया, मुंसिफ जजों का सामान गली पर फेंक दिया जाता है। और इतना ही नहीं किया जाता है 395 का मुकदमा, डकैती का मुकदमा मुंसिफ मैजिस्ट्रेट जज के ऊपर थाने पर कायम कर दिया जाता है। यह आपकी जुडीशियरी की हालत है। आप उम्मीद करते हैं कि वह निष्पक्ष रहे। आप उम्मीद करते हैं कि करप्शन हटे। आप उम्मीद करते हैं कि वह ईमानदारी के साथ इंसाफ करेगे जबकि उनको रहने के लिये मकान नहीं मिलता। आपने अवश्य पढ़ा होगा 5-6 साल पहले जस्टिस धवन, इलाहाबाद ने एक फैसला दिया था। एक मुंसिफ मैजिस्ट्रेट को मकान नहीं मिल रहा था। उसकी अदालत में एक मकान की बेदखली का मुकदमा था। उसने उसमें बेदखली का आर्डर कर दिया और उसका इक्जीक्यूशन भी हो गया। दूसरे दिन मजबूर होकर रेंट अफसर से मुंसिफ ने मकान अपने नाम एलाट करा लिया और कब्जा ले लिया यह मामला हाई कोर्ट तक गया। इस पर धवन साहब ने जुडीशियरी की दयनीय दशा के ऊपर ध्यान खींचा।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि ला कमीशन की सिफारिशों के अनुसार लोक अभियोजकों को इंडिपेंडेंट किया था पुलिस से। यह कुछ दिन तक चला भी लेकिन इस बीच में इसको खत्म कर दिया गया। मान्यवर, चाहे डी0जी0सी0 हों और

चाहे लोक अभियोजक हों उनकी मांग है कि उनका अलग से डाइरेक्ट्रेट बने। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। इसके बाद मैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे कहना चाहता हूं शायद मंत्री जी को मालूम हो, पहले उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन था। लेकिन जब डी0 आई0आर0 आया और जब जनता पार्टी के लोगों की जमानत शुरू हुयी तो कांग्रेस की हुकूमत में, इमरजेंसी में एंटीसिपेटरी बेल की खत्म करने का संशोधन लाया गया था। मैंने इसी जगह खड़े होकर उसका विरोध किया था। अब जनता पार्टी की हुकूमत है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब एंटीसिपेटरी बेल का इस ढंग से मिसयूज हो रहा है तो क्यों नही आप इस प्रोवीजन को खत्म करते। यह तो आपको कुचलने के लिये और बन्द करने के लिये किया गया था। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में आपने बता दिया। मान्यवर, जब तक अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट को कायम रखेंगे हाईकोर्ट के एरियर खत्म नहीं होगें। हाई कोर्ट के बारे में एक बिल्कुल अलग माइंड बनायें। मेरठ, गोरखपुर, आगरा के अन्दर बेंच खोलें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज इलाहाबाद में वेस्टेड, इन्टरेस्ट वकीलों, उनके दबाव में वहां जुडीशियरी इस प्रस्ताव के ऊपर बैठी हुयी है। आप केन्द्र से मिलकर इस बारे में कोई निर्णय कराइये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह—(जिला मेरठ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और एक दो सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने सुझाव देने के पूर्व मंत्री जी को दो बातों के लिये धन्यवाद दूंगा। मंत्री जी और इस सरकार ने मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना का जो निर्णय लिया उसके लिय वह बधाई के पात्र हैं। वैसे श्रीमन् अभी लक्ष्य दूर है। यहां से निर्णय हो चुका है आसमान से गिरकर खजूर में टिका हुआ है। पता नहीं केन्द्रीय सरकार के न्याय मंत्री महोदय की कृपा दृष्टि कब होगी, इसमें समय लग सकता है।

दूसरी बात जो है उसको भी पढ़कर मुझे खुशी हुयी। मंत्री महोदय ने स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स को खत्म करने का निर्णय लिया है। जबसे इनकी स्थापना हुयी। एक प्रकार का न्याय विभाग पर यह अदालतें कलंक थी तो इनको खत्म करने का जो निर्णय लिया गया वह बहुत अच्छा निर्णय है।

लेकिन साथ ही साथ उसी पैराग्राफ में जहां मंत्री जी ने इस निर्णय की घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट है उनको स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की पावर दे दी गयी हैं। मंत्री जी से कहूंगा कि लम्बे समय के पश्चात् जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया गया था। लेकिन अब मंत्री जी इस बहाने से कि अदालतों की संख्या कम है, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को फिर जुडिशियरी पावर दे रहे हैं और जुडिशियरी की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट तो पहले से ही काम से लोडेड हैं। इसलिये आप जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करें और कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों को जुडीशियल पावर देने की बात को समाप्त करें।

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने न्याय विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही। श्रीमन, भ्रष्टाचार तो सामान्यतः हमारे जन जीवन में गहरा चला गया है लेकिन न्याय विभाग में भ्रष्टाचार हो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, 20-30 साल पहले

[श्री नरेन्द्र सिंह---]

एडीशनल जजेज, मुंसिफ या मजिस्ट्रेट कोई एक रिश्वत लेते होंगे लेकिन आज ऐसे लोग काफी हैं, इस सत्य को हमको छिपाना नहीं चाहिये । लेकिन इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मंत्री जी के पास कोई उपाय नहीं हैं । पिछले दिनों एक वकील ने स्पेशल मजिस्ट्रेट को पकड़वाने के लिये मेरठ में जज साहब से निवेदन किया कि रेड डालें किंतु उन्होंने रेड डालने से मना कर दिया । क्योंकि जुडीशियल आफिसर पर आप रेड नहीं डाल सकते हैं, उसके लिये परमीशन लेना पड़ेगा जिसकी आड़ में यह भ्रष्टाचार पनप रहा है । मान्यवर, पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि कानपुर में एडिशनल सेशन जज पकड़ गये थे जिसका सारे जुडिशियल आफिसरों में रेसेन्टमेन्ट हुआ । इसलिये मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिये एक कम्प्लेन्ट सेल बनायें जिसमें हाई कोर्ट का एक एक्टिव जज उस सेल का चेयरमैन हो । यह सेल रेड करे और न्यायालय के भ्रष्टाचार को देखे । मंत्री जी इस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ता जायेगा ।

मान्यवर, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये तो वैसे अपनी एसेट बताने का कानून बना हुआ है लेकिन जुडिशियल आफिसर्स में इसको बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिये कि वे प्रति वर्ष अपनी एसेट का ब्यौरा दें । मान्यवर, मैंने मेरठ में देखा है कि कई एडीशनल सेसन जजेज 2–3 वर्षों में वहां से कई लाख रुपये लेकर चले गये । वह दो ढाई वर्ष तो अच्छा काम करके अपनी रिपुटेशन बनाते हैं लेकिन ट्रान्सफर की जब बात आने वाली होती है तो ट्रान्सफर के 6 महीने पहले वह लाखों रुपये भ्रष्टाचार द्वारा पैदा करके चले जाते हैं । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । इसलिये मंत्री जी इस बात की ओर विशेष ध्यान दें ।

मान्यवर, एक सुझाव और है कि 1973 में सी० आर० पी० सी० का संशोधन हुआ था उसमें कई बातें तो अच्छी आयीं लेकिन उसमें 2–3 धारायें जैसे 235, 248 और 255 जिनके तहत होता यह है कि जज साहब अपना जजमेन्ट दे देते हैं लेकिन सेन्टेन्स बाद में देते हैं और यदि दो दिन बाद सेन्टेन्स हो रही है तो फिर वह डेथ सेन्टेन्स लाइफ इम्प्रीजनमेंट में बदल देते हैं । जैसे 307 का केस है वह 324 में मालूम होता है बदल जाते हैं । यह मेन्डेटरी होना चाहिए । इन सारे प्रोवीजन का संशोधन के बाद जब जज साहब जजमेन्ट घोषित करतें हैं, उसी समय वे सेन्टेन्स पर बहस सुन लें और तुरन्त ही घोषित कर दें । इसकी आड़ में काफी भ्रष्टाचार पनप रहा है । एक बात और कहना चाहूंगा । हमारे जो डी० जी० सी० एप्वाइंट होते हैं, एक मंत्री आते हैं और वे एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं दूसरे मंत्री आ जाते हैं, वे दूसरे आदमी को नियुक्त कर देतें हैं । अच्छे वकील कोई आने को तैयार नहीं हैं । आपने तनख्वाह इसमें 700–1400 कर दी, सारा सड़ा गला एलीमेन्ट इसमें आता है । इसके लिए एक परमानेंट कैडर बनाया जाए और पालिटिकल एप्वाइंटमेंट्स को खत्म कर दिया जाए तो बहुत अंशों में इस विभाग का लाभ होगा ।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । 30 वर्षों की पिछली कांग्रेस सरकार में जिस तरह का चयन हुआ है न्याय करने वाले लोगों का, चाहे वे हाईकोर्ट के जज हों, जिला जज हों, मुंसिफ हों, वह किसी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छिपा हुआ नहीं है । एक हमारे माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया वह बहुत सही है। सही बात कहने में किसी को हिचकना नहीं चाहिए । पिछले 30 वर्षों में जिन गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, उनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था । अंग्रेजों के जमाने में जो न्यायधीश रहते थे, लोग यह समझते थे कि मुकदमे में किसी तरह की तरफदारी नहीं होगी लेकिन 30 साल के कांग्रेस सरकार में न्याय करने के लिए जो न्यायधीश पैदा हुआ है, उसके कैसे–कैसे सम्पर्क हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है । मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे ऐसे व्यक्ति कांग्रेसी सरकार की सत्ता की वजह से मुझको आज तक न्याय नहीं मिल पाया । मैं न्याय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि पिछले 30 साल का जो कोढ़ लगा है न्यायधीशों के चयन में, वकीलों के चयन में, आपको निर्भय होकर इसको ठीक करने में हिचकना नहीं चाहिए । आज गरीब आदमी अपना मुकदमा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकता है और सरकारी मुकदमे में देखता हूं कि 90 फीसदी हारते हैं, क्या कारण है ? न्याय मंत्री जी को इस पर विचार करना होगा । 30 साल की कांग्रेस सरकार ने जो गंदगी फैलाई है उसको साफ करना होगा । डा0 लोहिया कहा करते थे कि इस तरह का राज्य ही जहाँ न्याय सस्ता हो और न्याय में समय कम लगे लेकिन हमारे प्रदेश में न्याय बहुत मंहगा होता जा रहा है और इतना विलम्ब होता है कि 16–16 साल के मुकदमें पड़े हैं । कितने मुकदमों की फाइलें गायब कर दी गई हैं । न्याय मंत्री जी ने बहुत सराहनीय बातें कही हैं लेकिन यह देख–कर तकलीफ होती है कि और बजट प्रस्तुत होता है तो यह लांबी अधिकारियों से खचाखच भरी रहती है लेकिन आज देखें कितने आदमी यहां बैठे हैं न्याय के बारे में समझने वाले आज 95 फीसदी जनता को न्याय नहीं बल्कि अन्याय मिल रहा है । यह आज की बात नहीं है, पिछले कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये कामों के कारण आज न्याय पाना मुश्किल है । जनता पार्टी की सरकार इसे जल्दी से साफ कर दे, यह नामुमकिन बात है लेकिन इमानदारी की बुनियाद डाल देनी चाहिए । न्यायधीशों के चयन और सरकारी वकीलों के चयन में पिछले 30 सालों में जिन हरिजनों और पिछड़े लोगों का हक मारा गया है, उनको अपना हक मिलना चाहिए । समुन्दर में पानी बरसता, रहा रेता बेचारा तरसता रहा । ऐसे काम नहीं चलेगा । इसके साथ–साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)––

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान कुछ दोष पूर्ण आदेशों और कानूनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । पहला, जिले के स्तर पर सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होती हैं, एक साधारण प्रेक्टिस यह है कि कैन्डिडेट्स से प्रार्थना–पत्र मांगे जाते हैं । यह गलत है और बाम्बे हाइकोर्ट ने इसको गैरकानूनी और प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट करार दिया है । कोई भी वकील अपने को आफर नहीं कर सकता बल्कि जो मुवक्किल होता है, वह वकील के पास जाता है । यह केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दर्खास्त देना मिसकन्डक्ट है । हाइकोर्ट में नियुक्तियों के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल का राय मांग ली जाती है और वह सिफारिशें यहां दी जाती है । जिला सम्बन्धी प्रेक्टिस गलत है। आपके पास जो सेशंस जज हैं, बार रिप्रेजेन्टिव्ज हैं, उनकी आप राय लें और उसके अनुसार नियुक्तियां करें । मैं आपका ध्यान 197 सी0 पी0 सी0 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें यह प्राविधान है कि जब कभी किसी गजटेड आफिसर के खिलाफ जो अपने सरकारी कार्य पर हैं, कोई अपराध पाया जाता है तो तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक शासन द्वारा स्वीकृति न प्रदान कर दी गई हो । अपनी जगह यह

[श्री वीरेन्द्र पति यादव--]

ठीक है लेकिन 1975-76 में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अनुसार किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कोई मुकदमा हम फौजदारी का नहीं चला सकते हैं जब तक उसकी स्वीकृति न हो। मैं समझता हूं कि इसको लागू करना किसान और जनता का शोषण करना है।

438 सी० पी० सी० की व्यवस्था इसलिये की गई थी कि कभी-कभी अच्छे खासे सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ भी विशिष्ट कारणों से मुकदम चला दिये जाते हैं। हमारे मंत्रियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, चार्जशीट हो जाती है। क्या होता है। कभी-कभी अध्यक्ष जी देखा गया है कि आप के कार्यालय में मंत्रियों के खिलाफ वारन्ट आता है उस हालत में यह होता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी अथवा शासन हमारे मंत्री का मुकदमा वापस लें या अदालत में हाजिर हों तब जो मंत्री की और हाउस की जो गरिमा होती है उसको ठेस लगती है। अतः दफा 438 जिसमें एन्टीसिपेटरी बेल का उल्लेख है भारत वर्ष के सभी प्रदेश में है हमारे यहां नहीं है इसको जारी रखना उचित है।

चौथी बात यह है अभी हाई कोर्ट की एक फुल बैन्च ने यह निर्णय दिया है कि बीस हजार के रिविजन केसेज हाईकोर्ट में नहीं आने चाहिए और उसी रूलिंग के तहत ये मुकदमे खारिज किये जा रहे हैं। हम देखते हैं कि रिविजन केसेज में कानून का प्वाइन्ट होता है। इसके बारे में संशोधन किया जा सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल ने हमारे मंत्री जी को इस संबन्ध में लिखा है।

एक बात मैं और कह देना चहता हूं। जैसा हमारे सुल्तानपुर के मित्र ने कहा है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट का रिप्रिजेन्टेशन हाईकोर्ट में, वहां के सरकारी वकीलों में होना चाहिए। लेकिन यह कैसे होगा। हमारे एडवोकेट जनरल के विचार क्या है। आप सभी जानते हैं। हाल ही में राकेश भाई ने एक रिप्रिजेन्टेशन किया। उन्होंने उन शब्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जो हमारे एडवोकेट जनरल ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास का स्थान हाईकोर्ट में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग स्पर्शता निवारण ऐक्ट के विरुद्ध हैं। इसके अन्तर्गत उनका चालान करना चाहिए।

दूसरी बात हमारे एडवोकेट जनरल का एपाइन्टमेंट 165 अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार को विशेष मामलों में राय देने और विशेष मामलों में पैरवी करने के लिये होता है। चार-पांच केसेज हुये। नशाबन्दी का केस हुआ, हिन्डालको का केस हुआ, डाक्टर्स का केस हुआ, एडवोकेट जनरल ने किसी भी केस में बहस नहीं की। सोलीसिटर जनरल को बुलाया गया। सोलीसिटर जनरल को फीस सरकार को देनी पड़ती है, एडवोकेट जनरल को फीस देनी पड़ती है, स्टेन्डिग काउन्सल को फीस देनी होती है, इस प्रकार तीन-चार लाख रुपये सरकार को अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा, खर्च होते है, हमारे तत्कालीन न्याय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की थी और यह ठीक पाया गया कि उन्होंने बिक्री कर के कुछ रीविजन्स में फीस प्राप्त की जब वह उनमें उपस्थित भी नहीं हुए।

यही दो चार बातें मैं मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। यदि मेरी बातें सत्य पायी गई तो उनमें ऐक्शन होना चाहिए, उचित कार्यवाही होनी चाहिए। यदि उचित मामलों में कार्यवाही नहीं होती है तो इस प्रकार की बातें करने की जरूरत नहीं है।

*श्री प्रभू दयाल यादव (जिला-कानपुर)---

मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मन्त्री जी ने न्यायालयों के विकेन्द्रीयकरण, न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग, नये न्यायालय भवन, आदि का जो प्रोविजन अपने बजट में रखा है इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी अपने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, फ्री लीगल ऐड की बात बहुत दिनों से चल रही है। यह बहुत आवश्यक है। यह आज तक लागू नहीं हो सका है। मुकदमों में खर्च बहुत लगता है, कोर्ट फीस लगती है, वकीलों को तो बहुत पैसा देना पड़ता है। ऐसी दशा में यह देखा गया है कि गरीब आदमी किसी भी शक्ल में मालदार आदमी के सामने मुकदमा नही लड़ पाता है बड़ी सम्पत्ति न होने के कारण, वकील रखने में बहुत खर्च होने के कारण, गरीब की जो कुछ भी सम्पत्ति होती है वह चली जाती है और उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। लिहाजा मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं की इस विषय पर ध्यान दिया जाय और गरीब आदमी की सहायता के लिये लीगल ऐड का प्रबन्ध करायें।

एंटीसिपेटरी बेल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अक्सर भले आदमी जो निर्दोष हैं वे भी मुकदमों में फंस जाते हैं और नान बेलएबिल वारंट जारी हो जाते हैं जिससे बेल न होने पर उनको जेल भेज दिया जाता है, इससे उनकी छवि धूमिल होती है हालां कि बाद में वह निर्दोष सावित होते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन जेल जाने से उनकी इज्जत पर दाग लग जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्राविजन अवश्य रखा जाय। इसमें यह प्राविजन रखा जा सकता है कि जिनको पहले कभी सजा हो चुकी हो अथवा जिन पर कई केसेज चल रहे हों उनकी बेल न ली जाय लेकिन जिन पर पहले कभी कोई मुकदमा नहीं चला उनके लिये एंटीसिपेटरी बेल का प्राविजन अवश्य हो जाना चाहिये।

मैंने यह देखा है कि कलेक्टरी और दीवानी अदालत की छुटिटयों में भिन्नता है जिससे वकीलों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिये इन दोनों छुट्टियों में एक रूपता होनी जाहिये। लेबर कोर्ट स में मजदूर वकील नहीं कर सकता। उनकी तरफ से यूनियन के लीडर ही केस लड़ते हैं जब कि मिल मालिक अपना वकील कर सकता है। इससे मजदूरों को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता है। मजदूरों को वकील करने की छूट होनी चाहिये।

इसी तरह से कोआपरेटिव के केसेज में वकील नहीं रखा जा सकता। एक पार्टी शिक्षित है और दूसरी अशिक्षित। शिक्षित न होनें के कारण उसका बड़ा नुकसान होता है। इसके लिये आवश्यकता है कि अशिक्षित आदमी को वकील रखने का अधिकार हो। अधिवक्ता कल्याण निधि के बारे में नियम यह है कि ६० वर्ष तक किसी की मृत्यु हो जाय तो उसे सामुहिक बीमा निगम से १० हजार रुपया मिलेगा लेकिन उसकी उम्र बढ़ जाती है तो यह रुपया नहीं मिलेगा। यह स्वाभाविक है कि ६० वर्ष के बाद वकालत अच्छी नहीं चलेगी और न आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होगी। इसलिये एक रूपता लाने के लिये यह प्राविधान होना चाहिये कि चाहे जो भी उम्र हो हर वकील को यह सहूलियत मिलना चाहिये। हमारे प्रदेश में हर सरकारी मुकदमे में डी० जी० बी० चाहे क्रिमिनल हो अथवा सिविल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभू दयाल यादव---]

रिप्रेजेन्ट करता है और उनमें उसी से ही सलाह ली जाती है जब कि भारत सरकार में एल० आई० सी० तथा बैंक्स में उनके अलग वकील होते हैं। यहां भी यह प्राविजन होना चाहिये कि हर तरह के मुकदमे के लिये अलग-अलग वकील होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला-नैनीताल)---

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जब से यह प्रयास शुरु हुआ कि मानव समाज की मुक्ति जंगल के कानून से कैसे हो और उसके लिये नई-नई व्यवस्थायें बनाई गयी ताकि मानव के अधिकारों का अपहरण न हो सके यानी विधि का राज्य स्थापित हो सके तब से हमें यह देखना होगा कि हमारे न्यायालय उसमें कितने सफल हुए हैं। आज का दिन इसी की विवेचना करने के लिये है कि न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा कहां तक कर पाते हैं। हम देखते है कि हमारे देश में तथा प्रदेश में इसके लिये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग किया गया ताकि सबको न्याय मिल सके। लेकिन स्थिति क्या देखने में आ रही है। कोई भी मुअक्किल न्यायालय में चला जाय तो उसको लूटने की कोशिश की जाती है।

यह हालत आज न्यायालय की है। पेशकार के यहां चले जाइये, 5 रुपये दिये बगैर काम नहीं हो सकता। मान्यवर, इसी तरह से अपील करने के लिए किसी केस में नकल की आवश्यकता होती है तो उसकी निर्धारित फीस है 5 रुपये उसके अतिरिक्त जब तक 10, 15 रुपये न दिये जांय तब तक काम नहीं बनेगा और तभी नकल मिल पायेगी। आज हमारे प्रदेश की यह स्थिति है और यह सरकार कहती है कि हमने न्यायपालिका को अलग करके जो नागरिक हैं उनको न्याय उपलब्ध करने के लिये समुचित व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, न्याय किसको मिलता है? उसको मिलता है जिसकी जेब में पैसा है जो समर्थ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने के लिये मुद्दा हो। जनता पार्टी कहती है कि हम जहां आम जनता है वहां विधि का राज स्थापित करेंगे। विधि का राज हम तब मानेंगे जब समाज का जो सबसे दलित वर्ग है, उसको न्याय सुलभ हो।

दूसरी बात यह है कि आज अदालतों की हालत वही पुरानी और जर्जर अवस्था में है। इन भवनों में कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है जब कोई मुवक्किल वहां जाता है तो पीने के पानी तक की व्यवस्था न होने पर वह दर-दर भटकता है।

कोर्ट फीस आपने बढा दी है, न्याय मंहगा कर दिया है। हम पूछते हैं कि आज किसने न्यायालयों की आवश्यकता है यह माननीय मंत्री जी को बताना चाहिये था इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। आज हर सब-डिवीजन में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि रुद्रपुर में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो, इसकी मांग बहुत दिनों से वहां थी। इसलिये माननीय मन्त्री जी जब जवाब दें तो इसके बारे में भी बताये कि रुद्रपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई अथवा नहीं। आपने कहा था कि कोई भवन वहां पर मिलेगा तो न्यायालय अवश्य ही खुल जायेगा। मैंने भवन के बारे में लिखकर भिजवा दिया है कि भवन उपलब्ध है किन्तु अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, उसकी नियुक्ति की जाय। जो संख्या दी गई है, आज लाखों में केसेज लम्बित है जो हाई कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट या जजों के यहां है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के आगमन के बाद इन केसेज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जहां अपराधों में वृद्धि हुई है वहाँ अदालतें भी बढ़ी हैं और उसी के अनुसार केसेज भी लम्बित हुये हैं। जनता पार्टी के राज में, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा है और अपराध भी बढ़े हैं। आज की स्थिति यह है कि जब

से आप गद्दीनशीन हुये हैं दुकानदार मनमाने पैसे बढ़ा रहे हैं और कंसेज की संख्या कतल करना, छूरा मारने, बहू बेटियों के साथ बलात्कार करने में बढ़ी है। जब इनसे कहा जाय तो कहते हैं आम जनता की सरकार है। इस पर जब तक सचेष्ट आप नहीं होंगे अराजकता की स्थिति खत्म नहीं होगी तब तक कितने ही न्यायालय आप बढ़ा लें, लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। ये अराजकता, अपराधों की वृद्धि, चोरी डकैती बलात्कार ऐसी बातें हैं जब तक आप इन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इनकी संख्या कम नहीं होगी। मैं सुझाव दूंगा कि स्पेशल कोर्ट की बात आप करते हैं, ठीक है लेकिन हरिजनों के लिये जब तक आप विशेष अदालत गठित नहीं करेंगे तब तक हरिजनों का अत्याचार हमारे प्रदेश में कम नहीं हो सकता इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में न्याय और न्यायाधीशों के प्रति सम्मान और आदर और उनकी निष्पक्षता की धाक थी। इसमें भी दो मत नहीं है कि उनकी निष्पक्षता या उनके सम्मान में कुछ ठेस लग रही है। यह भी कुछ हद तक सही है कि आज उनकी इमानदारी पर भी शंकायें की जाने लगी हैं। मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा जैसा कि जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में कहा गया है हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि न्यायाधीशों के प्रति इस प्रदेश की जनता में आदर और सम्मान तथा निष्पक्षता का भाव जागे। न्याय सस्ता, सरल और सुगम हो यह प्रयास न्याय विभाग करे। न्याय सस्ता, सरल और सुगम हो इसके लिए आवश्यक है कि लिटिगेंट पब्लिक को बार बार न्यायालय न जाना पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि जिलों में अतिरिक्त न्यायालय खोल कर इस बात का प्रयास किया जाय कि जो पुराने केसेज हैं उनको निपटाया जाय। जैसा कि भूतपूर्व न्याय मंत्री ने घोषणा की थी कि छोटे अपराधों के मुकदमे तीन महीने के अंदर निर्णित हो जाय और गंभीर किस्म के आरोप के मुकदमे हैं उन पर निर्णय छः महीने और साल भर के अंदर हो जाय। यह तभी संभव हो सकता है जब न्यायालय बढ़ाये जायं, अदालतें बढ़ाई जायं।

स्टैम्प ड्यूटी की दरों को बढ़ा दिया गया है उनको घटाया जाय जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। न्याय हिन्दी में मिले, सरल भाषा में मिले इस बात का भी प्रयास किया जाय। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मेजिस्ट्रेट को पिछली बार अलग अलग किया गया। यह ठीक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग–अलग हो। आप स्पेशल मेजिस्ट्रेट को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन उनके अधिकार कार्यकारी मेजिस्ट्रेट को दिया जाना अनुचित होगा। जब तक इतने न्यायालयों और न्यायाधिकारियों की नियुक्ति न कर दें तब तक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालतें समाप्त न की जायं। उनके मुकदमों का अधिकार एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देने का मतलब होगा और देर लगेगी और उनमें निष्पक्षता और न्याय की संभावना कम होगी। आज एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जो एक्जीक्यूटिव पावर हैं उसमें जो छोटे–मोटे अपराध के मुकदमे के होते हैं उनको दो तीन साल लग जाते हैं।

एक और निवेदन करना चहता हूं कि जहां हम यह चाहते हैं कि न्यायाधीशों में न्यायप्रियता, सम्मान और निष्पक्षता बढ़े उसके लिए हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि उनको सुख सुविधायें भी पर्याप्त मात्रा में मिले। ऐसा न हो कि दिल्ली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप---]

की तरह न्यायाधीशों को सड़कों पर न निकलना पड़े। यह नौबत न आये इसके लिए जरूरी है कि उनके वेतनमानों में पुनरीक्षण करें। आज जो अधिकार पी० सी० एस० और आई० ए० एस० को प्राप्त हैं वह न्यायाधीशों को नहीं प्राप्त हैं। हमें उनको समाज में आदर और सम्मान का स्थान देना चाहिये। उसके लिए आवश्यक है कि उनके वेतनमान और उनकी सुविधायें बढ़ायें। आज बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और तहसीलदार को सरकारी वाहन मिले हैं। वह जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको सरकारी वाहन की सुविधा है। लेकिन जब हमारे मैजिस्ट्रेट और मुंसिफ को जाना होता है तो वह पैदल या साईकिलों पर जातें हैं। आज उनमें एक हेय भावना इससे पैदा होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके वेतनमान बढ़े। कलेक्टर और कमिश्नर का वेतन 25 सौ और 27 सौ तक जाता है लेकिन जुडिशियरी मे कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें वेतन 25 सौ या 27 सौ तक हो। आज भी जिला जजों के पास गाड़ी नहीं हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक जजशिप में एक या दो गाड़ियां रहें जिससे न्यायाधीश उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकें।

इसके साथ ही उनके रहने के मकानों की आवश्यक व्यवस्था की जाय। आज होता यह है कि जिलाधिकारियों को मकान आवंटित होते जाते हैं लेकिन न्यायाधीशों को मकान नहीं दिये जातें हैं।

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो असिस्टेंट डी० जी० सी० हैं उनके बारे में इनको आपने 28 रुपया रोज के डेली वेजेज पर रखा है। यह बहुत कम है। यदि डेली वेजेज पर आपने इनको रखा है तो इनका वेतन भी कम से कम 15 सौ रुपया होना चाहिये या इन्हें वकालत करने की छूट होनी चाहिये। मेरे जिले बदायूं में 5 तहसीलें हैं और 16 लाख की आबादी है। वहां सहसाराम में पहले मुन्सिफ अदालत थी.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठें।

श्री कृष्ण स्वरूप---

इतना मैं और कहना चाहता हूं, गुजारे की बात मैं नहीं कहता, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि सहसाराम में अदालत खोली जाये।

*श्री मोहीराम (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए, आपका आभार प्रकट करता हूं, जो आपने मुझे मौका दिया। समय बहुत कम है, 2-3 समस्यायें जो ला-कोर्ट्स में बहुत विकराल हैं उनकी ओर मन्त्री जी का केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं। एरियर्स का बड़ा जिक्र हुआ। आज जिस रेट से फाइलिंग है---यानी केसेज की आमदरफ्त है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है और उसको देखतें हुए डिस्पोजल की वही पुरानी रफ्तार है। इसके कारण कोर्ट्स में केसेज की तादात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इसके लिये बिना सी० आर० पी० सी० और सी० पी० सी० में आवश्यक संशोधन किये एरियर्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। आप ऐसा करें कि क्रिमिनल साईड में जो केसेज पेंडिंग हैं और जिनमें अभियुक्त को अधिक से अधिक एक साल की सजा हो सकती है और जो केसेज एक साल से अधिक समय से पेंडिंग हैं और उनमें अभी और समय लगने की सम्भावना है, तो ऐसे केस में दो-तीन महीने की उसे सजा होगी, उन केसेज को आप डिस्पोजड-आफ मानकर खत्म कर दें।

इसी तरह से सिविल साईड में दिक्कत यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सिविल ऐक्ट्स बनाते जा रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि सिविल ऐक्ट्स की वजह से जो सिविल कोर्ट में केसेज बढ़ते जा रहे हैं, उसके रास्ते में आप कोई रोक लगायें। जैसे यहां रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट है, जो आधा एक्जीक्यूटिव और आधा जूडिशियल है, तो ऐसे केस को आप वहीं एक्जीक्यूटिव के पास रोक दें। तो इससे काफी एरियर्स कम हो जाएंगे।

अब मैं इनके वर्किंग कंडीशन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कानपुर में वकीलों, मुन्सिफों और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बैठने के लिये जगह नहीं है। ला कोर्ट्स में जहां न्यायमूर्ति बैठते हैं, वहां बैठने आदि स्थान की अत्यधिक दिक्कत है, मुन्सिफ साहब टीन के नीचे बैठते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति वहां न्याय प्राप्त करने जाता है, न्यायमूर्ति की यह दुर्दशा देखकर, उसकी न्याय पाने की आधी आशा समाप्त हो जाती है। न्यायालयों का स्टेटस इस प्रकार का हो कि उसे लगे कि वह किसी न्याय मन्दिर में आया है। सरकार मुन्सिफ बढ़ाने की बात सोच रही है, लेकिन उनमें जो वर्किंग स्टाफ है, अहलमद, बाबू और चपरासी आदि, वह 30 साल पुराना है, उसमें वृद्धि के लिए सोचा नहीं जा रहा है। तो केवल मुन्सिफ बढ़ाने से आपको अपने अभीष्ट में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री मोतीराम के बोलते रहने पर) अब आप बैठ।

श्री मोतीराम---

तो आप सम्बन्धित स्टाफ में भी उसी प्रकार से वृद्धि करें जो उनके हाथ पैर हैं और मुन्सिफ तथा जूडिशियल मजिस्ट्रेट को आप एक-एक स्टेनोग्राफर दें, ताकि वह अपना काम शीघ्र डिस्पोज आफ कर सकें।

श्री मोतीराम---

एक बात, करप्शन के बारे में कहा गया। और मामले में तो राहत मिल जाती है, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट, जुडीशयल मैजिस्ट्रेट फैसला करता है, यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है, अगर अक्विटल होता है, अगर वह पुलिस चालानी है, या कम्प्लेंट केस है, इतना काम्प्लीकेटेड प्रोसीजर है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। अगर पुलिस चालनी केस है तो सरकारी वकील पर डिपेन्ड करता है और कम्प्लेंट केस में रिवीजन में जायगा। उसमें ला प्वाइंट इनवाल्व हो जायगा और समरिली रिजेक्ट हो जायगा। इसलिए अक्वीटल के खिलाफ रिवीजन और अपील के कानून में परिवर्तन करके सरलीकरण करें। जिसका मुकदमा छूट जाता है, वह बेसहारा हो जाता है, अक्वीटल अपीलेबिल और रिवीजन हो। 438 लागू होना चाहिए। वह केसेज जिनमें मृत्यु की सजा हो, आजीवन कारावास हो, या दस वर्ष की सजा हो, उनको निकाल कर..

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री मोती राम--

एक मिनट प्रापर सूट्स या सक्सेशन के मैटर्स में उनका इतना लम्बा प्रोसीजर है कि वर्षों चलते रहते हैं। प्रापर सूट्स और सक्सेशन केसेज में कोई कमीशन अप्वाइंट करके, उसकी जांच जल्द करवा लें ताकि केस जल्दी डिस्पोज आफ हो जाय। क्रिमिनल कोर्ट्स में ए० पी० पी० होता है। सरकारी वकीलों को इनके चुगुंल से निकालें। इनका डाइरेक्टरेट बना दें ताकि सही तरीके से अदालत में मुकदमा आ सके। क्रिमिनल ला में डिले का यह एक सबसे बड़ा साधन है, जो दरोगा, जो कप्तान साहब कहेंगे वही होगा। सरकारी वकीलों का अलग डाइरेक्टरेट बनाएं डिस्ट्रिक्ट जज के सुपरविजन में।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि न्याय की परिभाषा में, एक बहुत पुरानी कहावत है, न्याय मंत्री जी बताएंगे कि आपका न्याय क्या है, आप का न्याय है जाकी लठ वाकी भैंस, माइट इज राइट आप न्याय मंत्री हैं, इस परिभाषा को बदलें। लोगों के दिमाग में आये कि आपका न्याय है। यह नहीं कि जिसके पास ताकत और पैसा है उसी को न्याय मिल सकता है। इस परिभाषा को बदलने की कोशिश करें। दूसरी चीज मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपके कानून बहुत पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इनका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है और यह देखना है कि आपका कानून, हरिजनों के लिए, देश के पिछड़े लोगों के लिए, जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, उनके लिए कहां तक सक्षम है। आपकी कानून व्यवस्था जातिपाति को बढ़ाती है। गरीबों को न्याय नहीं दिला पाती।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपने उत्तराधिकार के कानून को बदलें। अब तक यह परम्परा रही है कि अब तक यह कानून है कि जो एक ही जाति से बच्चा पैदा होगा उसको बाप की जायदाद में अधिकार मिलेगा। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर छुआछूत को हटाना चाहते हैं, जो देश की मांग है, सौ वर्ष पुराने कानून आउट आफ डेट हो गये। आज देश की मांग है कि अगर छुआछूत हटाना है तो आप उत्तराधिकार के कानून को बदलें। जो अन्य जातीय विवाह से बच्चा पैदा हो उसको बाप की जायदाद में अधिकार हो।

अगर इस कानून को बदलें तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और आज जो हरिजन और सवर्ण का झगड़ा होता है वह नहीं होगा। आज का समाज बदल जायेगा अगर हम अन्तर्जातीय विवाह करें।

श्री देव बहादुर सिंह (नैनीताल)--

तो फिर आपका क्या होगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

जो लड़का अन्तर्जातीय विवाह से पैदा हो उसी को उत्तराधिकार में जायदाद में हक मिले, तभी हमारा समाज बदलेगा मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराधिकार का यह कानून कि जायदाद उसी बच्चे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को मिलेगी जो एक ही जाति के विवाह से होगा, यह इसलिए बनाया गया था कि उनकी जायदाद दूसरे के पास न जाये। आप इस कानून को उलट दें। अगर आप इसको उलट दें तो जो आने वाला समाज है उसमें जो अन्तर्जातीय विवाह से बच्चा पैदा होगा उसको जायदाद में हिस्सा मिले तो यह एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा और छुआछूत मिटाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, वह कोशिश आपको करनी नहीं पड़ेगी और छुआछूत अपने आप मिट जायेगा। अगर मन्त्री जी में दम है तो इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करें और समाज को बदलें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय न्याय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अरूणकुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मैं तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपने सुझाव दिए। कई माननीय सदस्य जैसे अवधेश कुमार, महेन्द्र सिंह जी, देव बहादुर सिंह, नेगी जी और चौधरी गनेशी लाल आदि ने मेरे कटौती के प्रस्ताव की जो मन्शा थी उसको स्वीकार किया। मान्यवर, न्यायपालिका की व्यवस्था को देखकर जो क्षोभ था वह शासन के सामने सारे लोगों ने अपने-अपने सुझावों के रूप में परिलक्षित किया और अपने सुझाव के रूप में रखा। मान्यवर, मैं उन सभी बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रहने की बात को दुहराया है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के बारे में कहा गया, आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां दुर्व्यवस्था फैली हुई है वह दूर हो सके। एक बात यह कही गयी कि जो पब्लिक प्रासीक्यूटर्स हैं उनको पुलिस से अलग किया जाय इससे भी न्याय में स्वच्छता आवेगी। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों एवं जजों, अतिरिक्त जजों का जो स्केल है, वह बहुत ही कम है। उसको बढ़ाया जाये एवं उनकी सुख सुविधा का ध्यान दिया जाये। नहीं तो निश्चय ही इससे उनके मन में पीड़ा है और आज बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए उनकी तनख्वाह पर्याप्त नहीं है। ये इतनी व्यवस्थायें पर्याप्त नहीं हैं जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके और वे अपने परिवार का सुचारू रूप से पालन पोषण कर सकें।

जहां तक इस देश में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, वह इस देश के जन जीवन में या खून में असर कर गया है। वह भी आज के इस प्रभावपूर्ण वातावरण में उसका सहयोगी बन गया है जैसा की हमारे माननीय सदस्य श्री देव बहादुर सिंह जी ने कहा कि विशेष अदालतों से मुझे परेशानी नहीं है लेकिन उसकी मंशा साफ होनी चाहिए। जिस सदस्य ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया वह यह महसूस करते हैं कि इस समय हाई कोर्ट से न्याय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है इसलिए वहां भी एप्लीकेशन लगा कर न्याय की मांग की जा सकती है। जिस प्रक्रिया में हम और आप बैठे हुए हैं उसमें भारत सरकार के मंत्री होते हुए भी उनकी न्यायालय में इतनी आस्था नहीं थी उसके केस को न्यायालय से हटा लिया गया। अगर ऐसे लोग तुलना करें तो स्थिति स्पष्ट होगी। अगर शासन किसी न्यायालय को ही मान्यता न दे तो इस देश का जन जीवन कैसे दे सकता है। इसका मतलब यह है कि उनका विश्वास इस देश के न्यायालय में नहीं था। अगर आज एक न्यायालय से एक फैसले के तहत उसे न्याय नहीं मिला तो जो दूसरा न्याय उसे मिलने जा रहा है, उससे उसे बंचित कर दिया जाये। यह भावना अविश्वास को जन्म देती है। अगर शासन में बैठने वालों के लिए अलग से न्यायालय एंव न्याय हो और सामान्य जन जीवन के लिए अलग से न्यायालय तथा न्याय हो तो निश्चित ही उनके मन में कुन्ठा होगी और उनके मन में न्यायालय के प्रति अविश्वास पैदा होगा।

[श्री अरुण कुमार--]

आज की इस स्थिति में जहां पर अराजकता इस ढंग से व्याप्त है, मैं चाहूंगा कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था हो, उनकी बढ़ोत्तरी हो, न्याय अदालतों के भवन बनाये जायं। न्यायालयों की व्यवस्था ही इसका एक मात्र निराकरण होगा। मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा जजों की नियुक्तियां हो और मुंसिफों और मैजिस्ट्रेट्स को रखा जाय, उनके लिए आवासीय सुविधा हो।

मान्यवर, जिला जौनपुर में एक मछली शहर तहसील है। वहां पर एस० डी० एम० की अदालत है। वहां पर एक मुंसिफ कोर्ट की अदालत का भी प्राविधान किया गया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर वह वहां पर हो सके तो स्पष्ट रूप से शासन के एंव जनता के हित में होगा। आज इतना मैं जरूर कहूंगा कि न्यायालयों के प्रति अविश्वास करवाना जनता सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय का निष्पक्ष और स्वतन्त्र रहना शासन में बैठे हुए व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। अगर न्यायालयों की व्यवस्था में गड़बड़ी होगी तो आप किसी व्यक्ति विशेष को दंडित तो कर सकते हैं लेकिन इस देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था जिसका आधारभुत तत्व न्यायपालिका है अगर उसको कलंकित कर देंगे, उसके पक्षधर बनेंगें किसी व्यक्ति के लिये किसी भी अदालत का गठन करेंगें तो लोकतन्त्र जनतन्त्र और प्रजातन्त्र को कमजोर करेंगे।

विशेष अदालतों के बारे में भी मेरा विचार है कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो लम्बित केस (वाद) है उनका समाधान करने के लिए करें न कि व्यक्तिगत हितों के लिए बदले की भावना से प्रेरित होकर करें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री अरुण कुमार--

जिला जज 60 हैं इनमें हरिजन एक भी नहीं है। एडीशनल जिला जज 172 हैं इनमें हरिजन 20 हैं। ये लोग 72 आन डेपुटेशन हैं, जिनमें हरिजन 2 हैं। एडीशनल सेशन जज 27 हैं इनमें हरिजन एक भी नहीं। सिविल जज 100 हैं, हरिजन 14 हैं। मुंसिफ 645 हैं हरिजन 72 हैं। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट (1) और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट (द्वितीय) यह 104 हैं इनमें हरिजन दोनों दो और 8 कुल 10 हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह घोषणा की थी कि सरकारी वकीलों का जो चयन हुआ है उसको मैं फिर से रिव्यू करूंगा और जहां त्रुटि होगी वहां नियुक्ति को रद्द कर उसे कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। दोबारा फिर पेनल मांगा जायेगा जिससे सही तरीके से सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जायेगी। (व्यवधान)

माननीय सदस्यों ने सस्ते न्याय की बात कही और कहा कि तहसील हेड-क्वार्टर पर अदालतें जायें। इस समय 38 मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं और जहां जहां पर काफी ज्यादा काम होगा और वे स्थान मुख्यालय से काफी दूर होंगे तो वहां इस बात का भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि मैं इसका विश्वास दिलाता हूं।

करप्शन की भी बात माननीय सदस्यों ने कही। जुडिशियरी पर कुछ लोग शंका करने लगे हैं यह बात सही है लेकिन जहाँ करप्शन की लोग बात करते हैं, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है उसमें राजनैतिक लोग भी हैं। उसके बारे

में आपने कुछ नहीं कहा । जहां तक करप्शन की बात है हाई कोर्ट का विजिलेन्स सेल है जो बाकयदा जांच करता है ··(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा(जिला हरदोई)––

यह राजनैतिक लोगों की जो बात आपने कही उसमें कौन लोग हैं ? जनता पार्टी के हैं ।

श्री श्रीचन्द––

हम आप सभी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

सभी को न कहें, कुछ को कहें ।

श्री श्रीचन्द––

न्यायाधीशों के आवास के संबंध में कहा गया । और उन्हें जो मकान तथा एवजीव्यूटिव आफिसर्स नहीं एलाट करते हैं, उसके सम्बन्ध में कहा गया, इस सुझाव का तथा सभी सम्मानित सदस्यों का आदर करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी । नेगी जी ने गोरखपुर के केस के सम्बन्ध में मुझसे कहा था और मुझे भी मालूम है और एक हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने मुझको लिख कर भी दिया था, मैंने उसी को जांच के लिये हाईकोर्ट में सचिव के माध्यम से भेज दिया था । अब और भी मेरे सम्मानित सदस्य भाभी यादव जी ने कहा कि इस उच्च-न्यायालय में अभी तक कोई हरिजन और बैकवर्ड क्लास के जज को नहीं रखा गया है । बैकवर्ड क्लास के माननीय रामसूरत सिंह, जज हैं और अभी तक कोई उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति का जज नहीं है । इस 30 साल के अन्दर यह विडम्बना है इस देश की कि बैकवर्ड क्लास के व अनुसूचित जाति के जजेज नहीं हो पाये ।

श्री राम आसरे वर्मा––

दो सालों में तो आप बना सकते थे, इन दो सालों में क्यों नही बनाया ?

श्री श्रीचन्द––

जहां तक वादकारी सुविधा के सम्बन्ध में कहा है, करीब 6–7 लाख रुपय सालाना इस पर खर्च किया जा रहा है उनकी सुविधा के लिये । जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट का सवाल है, उसमें छोटे–छोटे मुकदमों को कम्पाउण्ड करने के लिये और कुछ मुकदमें जो छोटे मामलों के हैं, कुछ निर्धारित तिथि के पूर्व के उनको अबेट करने की व्यवस्था की जायगी और उस सम्बन्ध में विधेयक भी लाया जायगा । जहां तक असिस्टेन्ट डी0 जी0 सी0 के 38 रुपये देने के सम्बन्ध में बात कही गयी है, उन्हें दीवानी और माल पक्ष में प्राइवेट प्रैक्टिस करने

[श्री श्रीचन्द—]

की छूट दे दी गयी है। कोर्टफीस के सम्बन्ध में कहा गया है, तो उसमें अभी दो-तीन साल से कोर्टफीस नहीं बढ़ाई गयी और माननीय हमारे वीरेन्द्र पति यादव जी ने ऐडवोकेट जनरल के सम्बन्ध में जो बात कही है, अगर वह उस सम्बन्ध में हमें लिख कर देंगे, तो उचित जांच कर दी जायगी। माननीय नेगी जी ने ए0 पी0 पीज0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा है, उसमें गृह विभाग से विचार-विमर्श चल रहा है। मान्यवर, श्री गनेशी लाल जी के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब सी0 पी0 सी0 में संशोधन होगा, तभी यह कहा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी से अनुरोध करूंग कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं कि क्या हाईकोर्ट जजेज और डिस्ट्रिक्ट जजेज और सबार्डिनेट जजेज की और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने और सुविधायें बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री श्रीचन्द—

सुनने में नहीं आया।

श्री देव कुमार—

हाईकोर्ट के जजेज और डिस्ट्रिक्ट जजेज, सबार्डिनेट जजेज को तनखाह और सुविधाओं को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री श्रीचन्द—

अभी तक इस संबंध में कोई विचार नहीं था। जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये है उन पर विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,88,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85-क सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85-क न्याय विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की 5 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्रीनारायण की सूचना जो दिनांक 5 तथा 6 जून, 1979 के बीच की रात्रि में लखनऊ नगर स्थित थाना हुसनगंज क्षेत्र में पुलिस के सिपाहियों तथा होमगार्ड के जवानों द्वारा एक हरिजन परिवार को लूट लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को मैंने स्वीकार किया है और इसके बारे में वक्तव्य 13 जून को शासन की तरफ से आ जाना चाहिए।

श्री देव कुमार, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री विद्या शंकर, श्री देव बहादुर सिंह और श्री श्रीराम द्विवेदी की सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

गेहूं खरीद के बारे में, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, वक्तव्य जुड़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके बारे में सूचना आपको मिल जायेगी।

श्री देव कुमार (जिला-बांदा)---

जाजमऊ थाने में जो पुलिस चौकी के....

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में 8 मई को वक्तव्य है।

श्री देव कुमार---

नियम 51 में जो दिया था?

श्री उपाध्यक्ष---

वह अस्वीकृत हो गयी।

प्रवेश में नहरों वाले क्षेत्र में चकबन्दी होने और यदि हो गई हो तो पुनः चकबन्दी कराये जाने के विषय में राजस्व मन्त्री के आवासन के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर वक्तव्य

उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

मान्यवर, चकबन्दी किये हुये क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं जैसे नहरों तथा सड़कों के निर्माण के लिए सामूहिक कटौती द्वारा भूमि अध्याप्त के लिए जिस विधेयक की चर्चा मैंने अपने दिनांक 23 मई, 1979 को दिए गए वक्तव्य में की थी उसका आलेख्य विधीक्षण के बाद विधायिका विभाग से प्राप्त हो गया है और अब उसे अधिनियमित कराने के लिये मंत्रि-परिषद् के आदेश इस मास में प्राप्त कर लिये जावेंगे। तत्पश्चात् विधेयक का आलेख्य भारत सरकार के अनुमोदन के लिये भेजा जावेगा और भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर उसे विधान सभा के आगामी सत्र में पुरः स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके नीचे लिखा है उप मुख्य मंत्री (राजस्व) तो यह कब से हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

राजस्व विभाग उनके पास है इसलिये लिखा है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जिस तरह से लिखा है उससे लगता है कि राजस्व विभाग में मंत्री, उप मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री (राजस्व) होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसलिये कि पूरा मुहकमा उनके पास है। उप मुख्य मंत्री होने के नाते दूसरे विभाग का काम भी उनको सुपुर्द किया जा सकता है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)।

एक सदस्य--

क्या किसी मंत्री के यहां भूतपूर्व मुख्य मंत्री की तख्ती लगी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, आपको मैंने नहीं बुलाया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

उद्योग के संबंध में जो वक्तव्य है वह 6 पेज का है और यह अभी बंटा है। इसको पढ़ने में समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो आइटम 14 ही चल रहा है। अभी मैंने उद्योग मंत्री को नहीं बुलाया है।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग पर भारी संकट तथा बुनकर परिवारों में बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

यह जो वक्तव्य आ रहा है वह 6 पृष्ठ का है । अगर वह पढ़ने लगेंगे तो कम से कम एक घंटा लग जाएगा। उद्योग मंत्री भी सदन में नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि आप इसको स्थगित कर दें, कल ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है हमने स्थगित किया । लेकिन यह बंट चुका है तो यह प्रेस वाले छापेंगे नहीं ! स्टेटमेंट बंट चुका है। दुबारा नहीं बंटेगा ।

लखनऊ नगर में बिजली की खराबी के कारण उत्पन्न जल संकट के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

मान्यवर, ऐशबाग स्थित जल संस्थान में नगरपालिका ने जल संभरण के लिए 6 पम्प लगा रखे हैं और इनको बिजली देने के लिए 11/3.3 के0 वी0, 750 के0 वी0 ए0 के तीन ट्रान्सफार्मर लगा रखे हैं। ये ट्रान्सफार्मर महापालिका/जल संस्थान के हैं और इनके रख-रखाव का सारा कार्य महापालिका/जल संस्थान करती है ।

2--उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उपरोक्त तीनों ट्रान्सफार्मरों को टिकैत राय के तालाब सब-स्टेशन में 11 के0 वी0 का फीडर बना कर बिजली की सप्लाई दे रखी है। जल संस्थान के 750 अश्व शक्ति के एक पम्प को चलाने के लिए सीधे ऐशबाग पावर हाउस से केबिल डालकर भी कनेक्शन कर रखा है।

3--दिनांक 28-5-79 को सायं सवा 5 बजे लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम को सूचना मिली थी कि ऐशबाग वाटर वर्क्स में महापालिका/जल संस्थान द्वारा लगाये गये उपरोक्त तीनों ट्रान्सफार्मर जल गये जिसके कारण इन ट्रान्सफार्मरों से बिजली पाने वाले सभी पम्प बन्द हो गये थे और केवल 750 अश्व शक्ति का एक पम्प जिसको पावर हाउस से 3.3 के0 वी0 पर सीधे बिजली दी गई है चल रहा था और उसी से नगर में पानी दिया जा रहा था। लखनऊ के नागरिकों पर आय जल संकट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने संसाधनों से 29/30 मई, 1979 की रात्रि में एक अतिरिक्त 3·3 के0 वी0 का केबिल सीधे पावर हाउस से डालकर 1,000 अश्व शक्ति विद्युत् की व्यवस्था 30-5-79 को प्रातः 5 बजे तक कर दी थी। जल संस्थान के पम्प अतिरिक्त व्यवस्था पर चल रहे हैं। उपरोक्त अस्थाई व्यवस्था जल संस्थान के जले हुए तीनों ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत होने तक के लिये की गई है । जले हुए तीनों ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत की जा रही है। प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ ने बतलाया है कि दो ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत इस माह में हो जायेगी किन्तु तीसरे ट्रान्सफार्मर की मरम्मत में कुछ और समय लगेगा, कारण इसमें कुछ उपकरण और व्यालर्स नये बनवाकर लगवाने पड़ेंगे।

4--नगर में इस समय जल की आपूर्ति सदैव की भांति सामान्य रूप से की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, कुछ दिन पहले विद्युत् का संकट आया था और इसी तरीके से प्रदेश में लगभग 12–14 घंटे तक बिजली गायब हुई, उसके बाद पानी गायब हुआ, गर्मी पड़ रही है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा संकट पैदा न हो उसके लिये कोई मंत्री जी ने व्यवस्था कर ली है ? यदि हां, तो वह क्या है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, नेगी जी को मालूम ही है कि उत्तर में मैंने कहा है कि विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये 29–30 मई, को विशेष व्यवस्था कर दी गयी है जिससे कि वह पम्प चल रहे हैं। लेकिन कोई ट्रान्सफार्मर खराब हो जाय तो मान्यवर, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो खराब न होती हो। इसलिये यदि कोई मेकेनिज्म खराबी हो जाती है तो उसमें हम मजबूर हैं और कुछ नहीं कर सकते।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, तीनों ट्रान्सफार्मर एक साथ खराब हुये। तो इसकी क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि तीनों एक साथ कैसे खराब हुये ? मरम्मत के बावजूद जन–जीवन के संकट को देखते हुये नये ट्रान्सफार्मर द्वारा क्या व्यवस्था नहीं करा सकते थे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इस समय व्यवस्था ठीक से चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइंडिंग होने के बाद वह नये हो जाते हैं। इसके अलावा नये ट्रान्सफार्मर खरीदने में धन काफी लगेगा, इसलिये खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तीनों पम्पों के एक साथ खराब होने में बात क्या है। एक साथ खराब होने का औचित्य क्या है, क्या मंत्री जी इस गहराई में जायेंगे ? यदि औचित्य नहीं था तो इसके लिये कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी अवश्य दोषी होगा, इसलिये क्या इसकी जांच मंत्री जी करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि तीन ट्रान्सफारमर खराब हो गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनहालातों को देखते हुए कि तीन ट्रान्सफारमर खराब गये और स्थिति बइन्तहा खराब हो गई क्या स्पयेर कोई आपके पास नया ट्रान्सफारमर था या नहीं ? यदि था तो फौरन उसको क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कह दिया गया कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

माननीय विधायक जो हमारे मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं उनकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं–"मत छेड़िये खतरनाक हैं ये जो छू गये बिजली के तार से"

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 के उद्देश्य और कारणों में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव का नाम छपे होने पर आपत्ति

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है इसे देखा जाय। इस पर उद्देश्य और कारणों पर जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे और अब उप मुख्य मंत्री हैं श्री राम नरेश यादव, उनके सिगनेचर हैं। या तो इसे संशोधित करा लिया जाय अथवा और तब तक इसे रोक दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जिस समय विधान परिषद् में पेश हुआ उस समय के दस्तखत होंगे ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर ठीक उठाया गया है। मुख्य मंत्री जी बदल गये हैं इसलिए हस्ताक्षर भी दूसरे होने चाहिए। या तो उच्च शिक्षा मंत्री, श्री नौटियाल के नाम से होता। राम नरेश यादव जी का नाम है। मुख्य मंत्री आज बदल गये हैं। जो मुख्य मंत्री आज हैं ही नहीं उनके उद्देश्य और कारण पर कैसे विचार कर सकते हैं। यह कोई नियम में नहीं है। यह जो आप को राय दे रहे हैं, गलत राय दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

काउन्सिल में पेश हुआ जब मुख्य मंत्री राम नरेश यादव रहे और उसी समय के उद्देश्य और कारण हैं । उद्देश्य और कारण नही बदलेगें। यह तो परिषद् से आया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उद्देश्य और कारण भी है इसके बाद वित्तीय ज्ञापन भी देखिये। मुख्य मंत्री राम नरेश यादव के वित्तीय ज्ञापन में दस्तखत कैसे हैं । पैसों के मामले में उनके दस्तखत हों, हम चाहे कि फिर मुख्य मंत्री हो जायं, लेकिन आज उन का यह अधिकार नही है । इस समय वह मुख्य मन्त्री नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 है । 1978 में माननीय राम नरेश यादव मुखय मन्त्री थे । इस में कोई आपात्ति नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)

मान्यवर, यहां पर विधेयक पेश हो रहा है मुख्य मंत्री के नाम से। मुख्य मंत्री का नाम लिख दिये हैं राम नरेश यादव। वह मुख्य मंत्री नहीं हैं। आज इस सदन के अन्दर जो विधेयक पेश कर रहे हैं क्या उसे मुख्य मंत्री बनारसी दास पेश कर रहे हैं या भूतपूर्व मुख्य मंत्री कर रहे हैं? भूतपूर्व मुख्य मंत्री होता तब भी कुछ सोचा जाता, उप मुख्य मंत्री होता तब भी समझ में आता। यह स्थिति यहां पर पेश हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह नया विधेयक नहीं है। परिषद् से आया है। भार साधक मंत्री इसे पेश कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उनका नाम नहीं है. . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

परिषद् से आया है. . . ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विधान सभा में पहली बार आया है।

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, ऐसा है तिवारी जी बहुत जानकार हैं इसलिए वह उलझाना चाहते हैं। यह विधेयक विधान परिषद् में पारित हो चुका है और यहां पर विचार के लिए पेश हुआ है। नये सिरे से बनाने का प्रश्न नहीं है। वह प्रश्न नहीं होता अगर नया विषय आता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह पहली दफा आया है। उच्च शिक्षा मन्त्री का नाम नहीं है, राम नरेश यादव को आज मुख्य मन्त्री कैसे मान लिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

नया विधेयक होता तब यह बात लागू हो सकती थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारे लिये नया है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

इसमें 1978 है और ब्रेकेट में लिखा हुआ है, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तिवारी के कार्यकाल में भी अगर पारित हुआ होता तो उनका नाम होता निश्चित रूप से। फिर मुख्य मन्त्री जी की तरफ से उच्च शिक्षा मन्त्री जी इसे पेश कर रहे हैं। 1978 का यह है। जैसा पारित हुआ था उस समय वैसा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिये किसी तरह के संशोधन की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी नियम की आपत्ति नहीं होना चाहिये।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इस समय मुख्य मन्त्री जो बदल गये जब यह आज यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिये उनका ही नाम होना चाहिये। फिर जितने सेक्शन संशोधित किये गये हैं तो उनके साथ संगत धारायें जो मूल अधिनियम में हैं, उनका भी उल्लेख होना चाहिये था जो कि नहीं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो खामियां हैं उनको दूर करके बनारसी दास जी के दस्तखत करा कर संगत धाराओं के साथ इसे यहां पेश करना चाहिये।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है वह बिल्कुल गलत है। उद्देश्य और कारण में नम्बर चार पर जो लिखा है उसे देखने का कष्ट करें "चूंकि विषय अत्यावश्यक समझा गया था, इसलिये 7 जुलाई, 1978 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 प्राख्यापित किया गया।" 5 में है "तदनुसार उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये छोटे मोटे परिष्कार सहित यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।" उस समय चूंकि अध्यादेश पास हो गया था, उसकी मियाद पूरी हो गयी थी इसलिये यह विधेयक लाया गया। उस समय के मुख्य मन्त्री राम नरेश यादव थे, इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उद्देश्य और कारण विधेयक के भाग नहीं होते। वे तो केवल समझाने के लिये होते हैं। विधेयक में प्रिएम्बिल तो छपता है लेकिन उद्देश्य और कारण नहीं छपते। लिहाजा आज यह कैसे मान लिया जाय कि राम नरेश यादव आज मुख्य मन्त्री हैं। उच्च शिक्षा मन्त्री के नाम भी होता तो इसे स्वीकार कर लिया जाता। फिर वित्तीय ज्ञापन में भी राम नरेश यादव का नाम है। मुख्य मन्त्री की ओर से कोई दूसरा हस्ताक्षर नहीं कर सकता। आज बनारसी दास जी मुख्य मन्त्री हैं। उद्देश्य और कारण वहां से पास होकर जो आया तो ऐसा नहीं है उनको बदला नहीं जा सकता। विधान परिषद् ने उद्देश्य और कारण पास नहीं किये क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं होती। इसलिये जैसा कि उद्देश्य और कारण विधान परिषद, में दिये गये हैं वैसे ही यहां पर भी हों, यह कोई जरूरी नहीं है। आप के तर्क से वह परिचायक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा देव बहादुर जी ने कहा मूल अधिनियम की कौन सी धाराओं को बदला जा रहा है, यह इससे स्पष्ट नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया यह बताये कि विधान परिषद् से पास होकर जो विधेयक यहां आते हैं उनके उद्देश्य और कारणों को कैसे बदला जा सकता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी —

हस्ताक्षर बदल कर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

हस्ताक्षर कैसे बदलें ? अगर वह बिधेयक का भाग नहीं होता । आपकी आपत्ति में बल नहीं है केस आपका बनता नहीं है । यह परिषद् से आया है और 1978 का विधेयक है । श्री रामनरेश यादव के हस्ताक्षर हैं । अगर श्री बनारसी दास के हस्ताक्षर होते तो गलत होता ।

एक सदस्य

मुख्य बात यह है की . . . ।

श्री उपाध्यक्ष

आप बैठें । (श्री गोविन्द सिह नेगी के खड़े होने पर) नेगी जी इसमें कोई बल नहीं है । मैं निर्णय दे चुका हूं । इस आपत्ति में कोई बल नहीं है ।

उत्तर प्रदेश बिश्वविद्यालय (संशोधन) बिधेयक, 1978 (क्रमागत)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

मान्यवर, इस बिधेयक के बिषय में जैसा कि कहा गया है किसी भी सदन में जब कोई बिधेयक पुरः स्थापित किया जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है और जब वह एक सदन से दूसरे सदन को भेजा जाता है तो वह उसके बीच की चीज हो जाती है । मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष चीज की जानकारी की आवश्यकता है । इतना अवश्य करूंगा कि पिछले वर्ष जब पन्त नगर विश्वविद्यालय में वहां के कुलपति के माध्यम से अनेक प्रकार की ऐसी कार्यवाही की गई जिससे वहां की व्यवस्था पूर्णतः गड़बड़ हो गयी तब विधान परिषद में इस तरह का एक संकल्प आया ताकि हम ऐक्ट में संशोधन करके वहां जो अव्यवस्था है उसको ठीक कर सकें और जिससे हम वहां के कुलपति को जिनके विषय में शिकायतें आयी थीं, हटा सकें । तो विश्वविद्यालय ऐक्ट में आवश्यक संशोधन करने के विषय में यह चर्चा वहां आयी और उसके आधार पर एक प्रवर समिति का गठन किया गया । प्रवर समिति ने यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जहां-जहां भी आवश्यक समझा कि कुलपति के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया जाय । मान्यवर, आज भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां के कुलपति आज भी विश्वविद्यालय में नहीं जाते । पुलिस के संरक्षण में हैं ।

मान्यवर, पुलिस का संरक्षण मकान के चारों तरफ तो होता ही है लेकिन उनके मकान के ऊपर भी पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ रही है । ऐसी अवस्था में यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब हो गयी है और छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है । विश्वविद्यालय पूर्णतः ठप हो चुका है । इसलिये इस विधेयक में कहा गया है कि अमुक-अमुक धाराओं में परिवर्तन किया गया है । इसमें मान्यवर, आपने देखा होगा कि कई प्रकार के संशोधन किये गये हैं उनके ऊपर मैं समझता हूं कि विचार होना चाहिए ताकि हम प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुन्दर और सुव्यवस्थित कर सकें और उसको एक नया रूप दे सकें । इसके जरिये हम शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं । सरकार के ऊपर सब बातों की जिम्मेदारी आती तो है लेकिन कर कुछ नहीं सकती है । इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है और इसीलिये यह संशोधन विधान परिषद् से पास होकर इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

मैं इतना कह कर यह चाहूंगा कि इस माननीय सदन के सदस्य इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें । हमें इस दिशा में विचार करना है कि आज की परिस्थितियों में जो वातावरण आज चल रहा है उसमें विश्वविद्यालय को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता हैं, उसके संबंध में जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उनको मैं मानने के लिए तैयार हूं और इतनी अपेक्षा है कि इस प्रकार के सुधार करने अत्यंत आवश्यक हैं जिससे हम विश्वविद्यालयों पर पूर्णरूप से प्रभावी कदम उठा सकें। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वह अपने विचार इस पर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आप इसको प्रस्तुत कर चुके हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां । विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 7 जुलाई, 1978 को अध्यादेश हुआ । संविधान और नियमावली भी यह प्रतिबंध लगाती है कि 6 महीने के अन्दर अध्यादेश को विनियमित किया जाय । इसमें साल भर होने वाला है तो यह अध्यादेश वैसे ही लैप्स हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था क्या चाहते हैं। व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है यह लैप्स हो गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने सही बात कही कि आज विश्वविद्यालयों में नई-नई समस्यायें आ रही हैं । खुद उन्होंने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों की रक्षा करने के लिए मकान के बाहर पहरा तो लगाना ही पड़ता है लेकिन उसके साथ ही उनके मकानों की छतों पर भी पहरा लगाने की नौबत आ गई है । (इस समय 6 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बीरेन्द्रपति यादव पुनः पीठासीन हुए ।)

दूसरा प्रश्न इसी बजट सत्र में आपके सामने आया कि मेरठ के विद्यालयों में किस प्रकार 23 सेंटर्स में मास कोपीइंग हुई, किस ढंग का आज वहां बातावरण हो रहा है यह बात भी आ चुकी है । प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में साल भर तक पढ़ाई नहीं हुई और अब यह प्रश्न आ गया हैं कि जीरो सेशन हो जाय । यह प्रश्न भी इस माननीय सदन में आ चुका है । विद्यार्थियों का क्या हो, और किस ढंग से विश्वविद्यालयों में भष्टाचार चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, किस प्रकार नम्बर बढ़ाये आते हैं, यह तमाम चीजें आज हमारे सामने हैं । मैं माननीय नौटियाल जी से पूंछना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप समझते हैं कि इस संशोधन से यह सारी समस्यायें हल हो जायेगी ? इससे यह हल नहीं होने वाली है, इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा

[श्री गोविन्द सिंह नेगी–]

और जो शिक्षाविद हैं उनको भी कानफिडेंस में लेना पड़ेगा, जो वाईस चांसलर हैं उनको भी कानफिडेंस में लेना पड़ेगा और विद्यार्थियों की मनः स्थिति भी देखनी पड़ेगी और तब एक कानसोलिडटेड तरीका निकालना पड़ेगा तब मैं समझता हूं कि उसमें हम सहयोग करेंगे। आज हो यह रहा है कि कोई भी शिक्षाविद् किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने को तयार नहीं है। वहां जाकर कोई अपनी इज्जत खराब करने को तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी में अब तक हमने आई0ए0एस0 वाइस चांसलर रखे, जमाने की यही हालत रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट वाइस चांसलर बनाने पड़ेंगे। आज हालत वह है और इन हालत का हमें मुकाबला और समाधान करना पड़ेगा। पन्तनगर वाली घटना मंत्री जी ने बताई। अब सवाल यह है कि कुलाधिपति को अधिकार देने जा रहे हैं कि वह इनको हटा दें। अब बुनियादी प्रश्न यह आ जाता है कि वह कैसे करेंगे क्या वह मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे या या सलाह पर नहीं करेंगे।

अभी मुझे बताया गया है कि युनिवर्सिटी की जो कार्य परिषदें हैं, उनमें सरकार की ओर से कुछ नामिनेशन की सिफारिशें की गईं। उसमें एक संवैधानिक बिवाद खड़ा हो गया। कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल हैं, उनका कहना है कि यह कार्य हम अपने बिवेक से करेंगे, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं। तो अब यह संवैधानिक संकट पैदा हो गया। मंत्रिपरिषद' राज्यपाल के सहयोग के लिये है, तो इसमें क्या होगा? प्रश्न यह है कि बाई वरच्यु आफ हिज आफिस–एक्स आफिसो कुलाधिपति होते हैं और यदि वह सिर्फ कांस्टीटयूशनल हेड होते हैं तो मंत्रिमंडल का इसमें दखल हो सकता है या नहीं, यदि दखल होना है तो इस बात पर भी बिचार करना है कि यूनीवर्सिटी की आटोनामी रहेगी या नहीं, रहनी चाहिए या नहीं। यह तमाम बुनियादी और सैद्धान्तिक प्रश्न हैं, जो इसमें निहित हैं। मान्धवर, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह पर है और अन्य विद्वानों की रिपोर्ट अपनी जगह है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई हमारे सामने है–किस प्रकार वहां भ्रष्टाचार है और उसको कैसे खत्म किया जाए। हमें दोनों के बीच मे सामंजस्य करना है और इसमें बहुत बड़े विचार मंथन की जरूरत है। इस समय पौने सात बज रहे हैं। हम कितने बजे तक बैठेंगे। यह मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर बहुत सैद्धान्तिक विचार करने की आवश्यकता है। इसी लिए मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। कुछ खतरनाक चीजें आज सामने आ रही हैं। जैसे जो सेलेक्ट कमेटी है, उसमें कार्य परिषद् की तरफ से भी रिप्रंजेन्टेटिव जाएं।

अब कार्य परिषद् में जरूरी नहीं है कि उसमें सब एकेडेमिशयन्स हो। इसका नतीजा यह होगा कि अब कन्वेंसिंग शुरू हो जाएगी, नामिनेशन के लिए तो इसको भी देखना पड़ेगा कि यह होना चाहिए या नहीं। फिर, वित्त अधिकारी की जगह कोषाध्यक्ष रख दिया। कोषाध्यक्ष के सम्बन्ध में श्रीमन्, लखनऊ और इलाहाबाद वालों का अच्छा अनुभव है, वह कोषाध्यक्ष के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लखनऊ की सड़कों पर नारा लगता था लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं तीन मशहूर। कहा तो और कुछ जाता था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो गुप्ता जी की तमाम ईमानदारी के बावजूद चुंकि वह कोषाध्यक्ष थे तरह–तरह की चीजें उनके खिलाफ कही गई थीं और तरह–तरह के लांछन लगाए गये थे। इसलिए कि मानो यूनिवर्सिटी दलबन्दी का अड्डा है। किसकी दलबन्दी? खुद शासक दल के अन्दर की दलबन्दी।

दूसरी मिसाल इलाहाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं। मिश्रा जी ऐडवोकेट जनरल थे, वह वहां के कोषाध्यक्ष बन गये और तरह-तरह का प्रचार उनके खिलाफ हुआ। तमाम जुलूस निकाले गये। इसलिए कोषाध्यक्ष वाला मामला, उच्च शिक्षा मन्त्री जी इसको हम भुगत चुके हैं। माननीय रेवती रमण से सलाह ले लें। इलाहाबाद के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा। इस लिए निवेदन है कि इस समय जो कुछ व्यवस्था कर सकते थे वह आपने कर दी कि किसी तरह से परीक्षाओं का संचालन हो जाय। अगले वर्ष सत्र समय से शुरू हो सके। यह सारी व्यवस्था जो हो सकती थी, आपने कर दी। अगर दूसरे सत्र तक इन्तजार करें सेलेक्ट कमेटी में भेज कर अन्य लोगों की भी राय ले लें, हम लोगों की भी राय ले लें, शिक्षाविद की राय ले लें। गम्भीर सैद्धांतिक मुद्दे निहित हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको इतनी जल्दी में पास न कराएं। सेलेक्ट कमेटी में जाकर विस्तार में बात हो सकेगी।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मान्यवर, मैंने भी संशोधन प्रवर समिति के सम्बन्ध में दिया है। साथ ही साथ धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 10, 21 तथा 26 के सम्बन्ध में मैंने विरोध करने की बात और संशोधन दिये हुये हैं। वह आपके समक्ष है। मान्यवर, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री का उद्देश्य बड़ा पवित्र है। कुलपतियों को सुरक्षा, असुरक्षा रहते हुए करना चाहते हैं, छात्र असंतोष की विभीषिका से निपटना चाहते हैं, नये दर्शन के साथ, उच्च शिक्षा में नव भव्य क्रान्ति आप करना चाहते हैं। यह बात सही है कि विश्वविद्यालयों में जीरो सेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए बधाई के पात्र है। मुझे कहना है कि आप को वक्त कड़ा मिला है। मेरा खयाल है कि आप संभवतः अपनी अन्तर्चेतना की पवित्र भावना के अनुकूल विराट परिवर्तन कर नहीं पायेंगे। कोई बुरा भी नहीं। उच्च शिक्षा के केन्द्र वही द्रोपदी जैसे बन चुके हैं। ऐसा मालूम होता है, पूरा द्रौपदी या पंचमुखी प्रशासन चल रहा है। हम दोहरे शासन से परेशान होते हैं। यहां पंचमुखी प्रशासन है। चौखम्भा राज्य यहीं साकार हो रहा है जिसको माननीय उपमुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं।

कोषाध्यक्ष के सिलसिले में कह दूं। धारा तीन में दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, यह करने की आवश्यकता नहीं है। जब वित्त अधिकारी बन गये थे, आदरणीय माननीय नारायणदत्त तिवारी के रिजीम में, तो कोषाध्यक्ष लाने की क्या आवश्यकता ? थी आपने धारा 3, 5, 6, और 7 के अन्तर्गत कोषाध्यक्ष देखेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं संशोधनों के माध्यम से कि कुलपति की नियुक्ति कौन लोग तय करेंगे। तीन नाम भेजे जायेंगे। अगर आप एक नाम पेश कर दें, तो उसको कुलपति बना दें। उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे बड़ी विडम्बना कोई हो नहीं सकती। मैं उच्च शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि जैसा कि इसके पहले करते रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री कुछ कर नहीं सकते, मूक दर्शक बन कर रह जायगे। स्वायत्तता का अर्थ निरंकुशता नहीं होता है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र बन कर चलेगी। वहां के वाइस चांसलर जैसे वाकिफ हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहूंगा। यह बात सही है कि छात्रों को दुश्मन समझ कर वाइस चांसलर आफिस में तीन-तीन साल तक नहीं जायेंगे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पुलिस चौकी स्थापित करेंगे, मैं प्रवर समिति के संशोधन और अन्य संशोधनों का समर्थन करते हुए, आप यूनिवर्सिटीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"]

में शान्ति कायम नहीं रख सकते हैं। आप कहते हैं कि हम छात्रों का सहयोग लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उनका कौन सा सहयोग लिया है। मैं आपके द्वारा माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो 1973 में विश्वविद्यालय ऐक्ट बना लेकिन यहां पर जो सारी पद्धति है वह लार्ड मेकाले, मारले और मिन्टो की है। आप सोचें कि शिक्षा पद्धति में कौन-कौन से परिवर्तन करना चाहिए। क्या कुलाधिपति को सारे अधिकार देने से काम चल जायेगा और हमारी सरकार मूक दर्शन की तरह से बैठी रहेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

राकेश जी अब आपका समय समाप्त हो गया। कृपया बैठिए।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। मैं माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। यह बिल विधान परिषद् से पारित होकर आया है। विधान परिषद् में प्रवर समिति बनी थी उसमें विशेष सदस्य थे और उनकी कुछ मान्यता थी। मैं जानना चाहता हूं कि कुलपति का चुनाव क्या एम० एल० ए० और एम० पी० की भांति किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय को चलायेंगे, आपका कोई अधिकार रहेगा अथवा नहीं रहेगा ? मैं यह चाहूंगा कि इसको आप प्रवर समिति के समक्ष भेजें और वहां पर बड़े-बड़े शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री इस पर अपने सुझाव दे सकेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महान कार्य होगा। आप छात्र और कर्मचारियों की परिषद् का गठन करें। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का अध्ययन करें। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आप भेंड़ की खाल में भेड़िया न खड़ा कर दें नहीं तो आप भी कहीं मिनिस्टर विद आउट पोर्टफोलियो न हो जायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेज दें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं जानता हूं कि सदन का समय बहुत हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं दो बार खड़ा हो चुका हूं। यह परम्परा की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है। वैसे मैं नेता विरोधी दल का बहुत आदर करता हूं।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं संशोधन रखना चाहता हूं। मेरा संशोधन है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

मान्यवर, आप इन्हीं को अवसर दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं गुप्ता जी को बुला चुका हूं। जो संशोधन रखता है उनको बाद में बुलाया जाता है।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल 3–4 मिनट ही लेना चाहता हूं जिसमें मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की सेवा में 2–3 बातें ही कहना चाहता हूं। समय अधिक न होने के कारण कोई अधिक लम्बी बात कहने का अवसर नहीं है लेकिन यह जो विधेयक है इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में 2–4 शब्द जो मुझे आवश्यक लग रहे हैं भी न कहूं तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने कर्त्तव्य का पूरा निर्वहन नहीं किया है।

मान्यवर, इसके औचित्य के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने 2 बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं उन सब बातों के औचित्य को स्वीकार करता हूं लेकिन मुझे यह कहना है कि वे इस बात पर विचार करें कि विश्वविद्यालयों की जिन कमियों का वे इलाज कर रहे हैं, इस विधेयक के द्वारा, मेरी यह अनुभूति है कि बीमारी का इलाज नहीं होगा बल्कि बीमारी बढ़ेगी ही। विश्वविद्यालयों का स्तर, जिस प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप गिराता है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। आप और हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय वे संस्थायें हैं जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं, सदाचार और शिक्षा वहीं से प्रवाहित होती है, समाज उसे ग्रहण करता है, उनसे अन्तर चेतना मिलती है। समाज को हर क्षेत्र में दिग्दर्शन मिलता है। भारत की आजादी प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालयों की स्थिति बराबर गिरती गयी और इतनी अधिक गिरी कि विश्वविद्यालयों का स्तर सरकार के विभाग से भी अधिक गिर गया। सरकार का हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों में बराबर बढ़ता चला आ रहा है। कुलपतियों की नियुक्ति राजकीय स्तर पर होने लगी है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा है कि आज विश्वविद्यालय के कुलपतियों के घर पर पुलिस रखनी पड़ रही है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी सोचें कि बीमारी की जड़ कहीं और है। राजकीय हस्तक्षेप को कैसे कम किया जाय, उसके लिए सरकार को सोचना पडेगा। जनता सरकार कुछ मूल्यों का स्थापन करने आयी है। यह जो विधेयक उपस्थित किया जा रहा है, इसके द्वारा कुलपति के प्रति जो कुलाधिपति होगा एक्शन लेगा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी चपरासी के प्रति भी नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार से जो जांच समिति नियुक्त की जा रही है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जायगी, उसमें कुलपति को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है।

छात्रों का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें टेक्नीकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज और मेडिकल इन्सटीट्यूशन्स भी शामिल हैं, उन सब के अन्दर प्रवेश के लिए सरकार के आदेशों का प्राविधान करने का आदेश दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री कृपा करके यह देखें कि जो प्राविधान वे कर रहे हैं, उनसे क्या उन समस्याओं का निराकरण हो पायेगा जो बड़ी विशाल है। वे कोई कार्य ऐसा न कर डालें जिससे समस्याओं पर काबू न पाया जाय। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें अन्यथा बहुत गलत काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो अत्यावश्यक हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--

माननीय, मेरा एक महत्वपूर्ण संशोधन है। (व्यवधान)

श्री रामआसरे वर्मा(जिला हरदोई)--

मान्यवर, क्या संशोधन रखने वालों को आप मौका देंगे ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये।

(मेजों की थपथपाहट एवं हर्ष-ध्वनि)

श्री रामआसरे वर्मा--

प्रवर समिति में भेजने का मेरा भी संशोधन है।

एक सदस्य--

मान्यवर, जब सरकारी पक्ष से संशोधन आ गया तो अब बहस की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

श्री रामआसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी, अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लेते तो हम लोगों के बोलने की जरूरत नहीं थी। (शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर) आज प्रदेश में विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति है वह निश्चय ही ऐसी है कि उसमें गहरायी से जाने की जरूरत है।

एक सदस्य--

मंत्री जी को बोलने दें।

श्री रामआसरे वर्मा--

मान्यवर, एक टीचर की सन् 1968 में टेम्पोरेरी नियुक्ति होती है, सन् 1972 में शासन की ओर से उसके पद तथा उसके नाम की पुष्टि हो जाती है। पुष्टि में तीन साल का आधार रखा जाता है। लेकिन एक कठिनाई यह है कि अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सीनियारिटी फिक्स करते समय भी उसके उस समय को जोड़ा जाये.. (व्यवधान)

एक सदस्य--

इस प्रस्ताव को मंत्री जी मान रहे हैं। आप अब क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी कहें कि हम स्वीकार करते हैं। (व्यवधान)

(उच्च शिक्षा मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, हमारी बात तो सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रस्ताव जो था प्रवर समिति में भेजे जाने के संबंध में, नेगी साहब का था और उन्होंने प्रस्ताव रखा, दोनों तरफ से विचार हुआ, इधर से भी आया, उधर से भी आया ।

श्री देव बहादुर सिंह—

हमें तो बोलने का मौका नहीं मिला ।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रवर समिति को भेजा जाय या न भेजा जाय, लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया । अब मैंने माननीय मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री गौरी शंकर—एडवोकेट (जिला—इटावा)—

मान्यवर, यह प्रवर समिति में क्यों भेजा जायगा ? मुझे मालूम है कि ये भेज रहें हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों भेजा जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वह कृपा करके यह बतायें कि क्या जो सदस्यों की भावनायें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या यह जो प्रवर समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

उच्च शिक्षामंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, जो यहां पर विचार आया और साथ ही साथ जो संशोधन प्रस्तुत किया गया, उससे माननीय सदन की स्पष्ट भावना का ज्ञान होता जा रहा है और मैंने इसीलिए अपने वक्तव्य में कहने से पूर्व यह अपेक्षा की थी कि माननीय सदस्य क्या चाहते है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय का प्रश्न है । मान्यवर, हम भी यह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई संशोधन पास हो जाय और उसमें यह हो कि हमने किसी कदम पर कोई जल्दबाजी कर दी हैं । अतः ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि जिसका स्वरूप हम देख रहे हैं शीघ्रता करके उसमें हम कोई चीज बड़ी छोड़ दें । मान्यवर, इसमें बहुत से संशोधन किये गये हैं, वह इतने महत्व-पूर्ण है, जिसके महत्व को मैं स्वीकार करता हूं, परन्तु उनकी भाषा इस प्रकार की है, यदि हम इस समय स्वीकार भी करते हैं, तो कोई न कोई तारतम्य बिगड़ जायगा । इसके महत्व को जानते हुए विश्वविद्यालय के महत्व को तथा भविष्य को भी ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय का स्तर क्या बनाना है, क्या रूप-रेखा तैयार करनी है, इसका भी ध्यान रखते हुए माननीय नेगी जी, जगदम्बा प्रसाद जी, राकेश जी ने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय मान्यवर, ज्यादा न कह कर मैं उसको स्वीकार करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इसका विश्व-विद्यालय का एक नया नियम हमारे सामने एक ऐसा प्रस्तुत हो जाय जो अनुकरणीय रहे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यू० जी० सी० के स्पष्ट निर्देश के बाद और उनका 8 सितम्बर, 1976 के शिक्षा सचिव के नाम पत्र में दिये गये अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्या यूनिवर्सिटीज और डिग्री कालेजेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन--जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था ऐक्ट में करने की कृपा करेंगे ताकि यह स्टेटुटरी हो जायं और लेक्चरर्स के एप्वाइमेंट में यह आरक्षण यू० जी० सी० की भावनाओं के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को डिग्री कालेजे ज और यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स की नियुक्ति की जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कल आप जो प्रवर समिति है, उसके सदस्य के नाम प्रस्तावित करें और इसकी सूचना सदन के सामने रखें।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

7 जून, 1979

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे 735 पर)

बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों को 15 अप्रैल, 1979 से 20 मई, 1979 तक विद्युत् आपूर्ति का विवरण

दिनांक	समय (घंटा)	दिनांक	समय (घंटा)
15-4-79	24	1-5-79	21
16-4-79	21	2-5-79	19
17-4-79	24	3-5-79	21½
18-4-79	18	4-5-79	18½
19-4-79	23	5-5-79	21
20-4-79	19	6-5-79	16½
21-4-79	24	7-5-79	16
22-4-79	21	8-5-79	15½
23-4-79	14	9-5-79	12
24-4-79	17	10-5-79	14½
25-4-79	12	11-5-79	13½
26-4-79	22½	12-5-79	10
27-4-79	17½	13-5-79	21½
28-4-79	16	14-5-79	21
29-4-79	17½	15-5-79	24
30-4-79	19½	16-5-79	17½
		17-5-79	21
		18-5-79	24
		19-5-79	21
		20-5-79	24

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 767 पर)

सूची

दिनांक 30 अप्रैल, 1979

क्रम सं0	नगर बस्ती का नाम	अधिकतम रिक्त भूमि धारण करने की सीमा	तक धारा 10 (3) के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का विवरण।
1	2	3	4
1	कानपुर	1000 वर्गमीटर	1,22,541 वर्गमीटर
2	आगरा	1500 वर्गमीटर	8,40,343 वर्गमीटर
3	वाराणसी	1500 वर्गमीटर	47,028 वर्गमीटर
4	लखनऊ	1500 वर्गमीटर	6,61,720 वर्गमीटर
5	इलाहाबाद	1500 वर्गमीटर	2,07,068 वर्गमीटर
6	गोरखपुर	2000 वर्गमीटर	1,13,044 वर्गमीटर
7	बरेली	1500 वर्गमीटर	2,31,736 वर्गमीटर
8	मेरठ	1500 वर्गमीटर	2,38,326 वर्गमीटर
9	मुरादाबाद	2000 वर्गमीटर	4,58,677 वर्गमीटर
10	देहरादून	2000 वर्गमीटर	11,803 वर्गमीट
11	अलीगढ़	2000 वर्गमीटर	82,068 वर्गमीटर
12	सहारनपुर	2000 वर्गमीटर	1,55,988 वर्गमीटर
		योग	31,70,342 वर्गमीटर

नोट :—यह उल्लेखनीय है कि जो अनधिकृत मकान हैं उन्हें रिक्त भूमि माना जाता है और तद्नुसार कार्यवाही की जाती है ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 767 पर)

संलग्नक

मांगे	स्थिति
1—समान कार्य के लिए समान वेतन।	1—इस मांग का सम्बन्ध केन्द्र सरकार की बहुउद्देशीय योजना से है। चूंकि उक्त योजना का स्वरूप अभी पूर्णतया निश्चित नहीं है। अतः इस मांग को स्वीकार करना फिलहाल अपरिपक्व है।
2—स्थायीकरण शासन द्वारा बेसिक हेल्थ वर्कर के जो 5309 पद स्थायी किये गये हैं उनके समक्ष केवल बेसिक हेल्थ वर्कर ही स्थायी किये जायं, हाउस विजिटर नहीं।	2—यह मांग विचाराधीन है।
3—पदोन्नति बेसिक हेल्थ वर्कर/गृह दर्शक सम्वर्ग की आपसी ज्येष्ठता के आधार पर शैक्षिक योग्यता को शिथिल करते हुए शासन द्वारा पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर विभाग में कार्यरत उन कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर दिया जाय जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं तथा सेवा में कनिष्ठ है।	3—संघ के प्रतिनिधियों को हाल ही में बताया गया है कि ऐसे कर्मचारी सीधी भर्ती के पदों के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं और उनके बारे में सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों के साथ नियमानुसार विचार किया जायेगा।
4—यात्रा भत्ता।	4—बेसिक हेल्थ वर्कर को 15 रु0 प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा भत्ता स्वीकृत हैं। अब 15 रु0 के स्थान पर 20 रु0 प्रतिमाह की दर से यात्रा भत्ता दिये जाने की मांग पर विचार किया जा रहा है।
5—टाइम बाउन्ड स्केल	5—यह मांग अस्वीकृत हो चुकी है।

मांगें	स्थिति
6—सलेक्शन ग्रेड	6—बेसिक हेल्थ वर्कर सम्वर्ग के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत है। अब 10 प्रतिशत के बजाये 15 प्रतिशत सलेक्शन ग्रेड दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।
7—शैक्षिक योग्यता	7—प्रश्नगत पद की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल (विज्ञान) से बढ़ाकर इन्टर-मीडिट (विज्ञान) करने पर विचार किया जा रहा है।
8—12 द्विसीय भ्रमण के बजाय 20 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया जाय।	8—बहूधंधी योजना के लागू होने पर यह मांग स्वतः तय हो जायेगी। फिलहाल इस मांग के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी है।

प्रदेश हरियाणा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 768 पर)

संलग्नक

जिला मेरठ	जशवंत चीनी मिल	264172.00
	मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल	36320.08
	सखौती टांडा चीनी मिल	126737.46
जिला मुजफ्फरनगर	खतौली चीनी मिल	99452.22
	मंसूरपुर चीनी मिल	685969.56
	रोहानाकलां चीनी मिल	161622.80
जिला गाजियाबाद	सिभौली चीनी मिल	139488.00

संसद सदस्य सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 769 पर)

संलग्नक

	1975–76	1976–77	1977–78
शराब	5131.71	6048.94	6828.30
ताड़ी	82.97	108.82	107.59

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 770 पर)

संलग्नक—

गाजीपुर—जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1979

लखनऊ—फरवरी तथा मार्च, 1979

हमीरपुर—फरवरी तथा मार्च, 1979

रायबरेली—मार्च, 1979

गोंडा—मार्च, 1979

बस्ती—मार्च, 1979

सहारनपुर—मार्च, 1979

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—17 वि० सभा—3-5-80—850 प्रतियां (हिन्दी)।